खण्ड-263, अंक-1
मंगलवार, 26 माघ, शक संवत् 1887
(15 फरवरी, 1966 ई0)

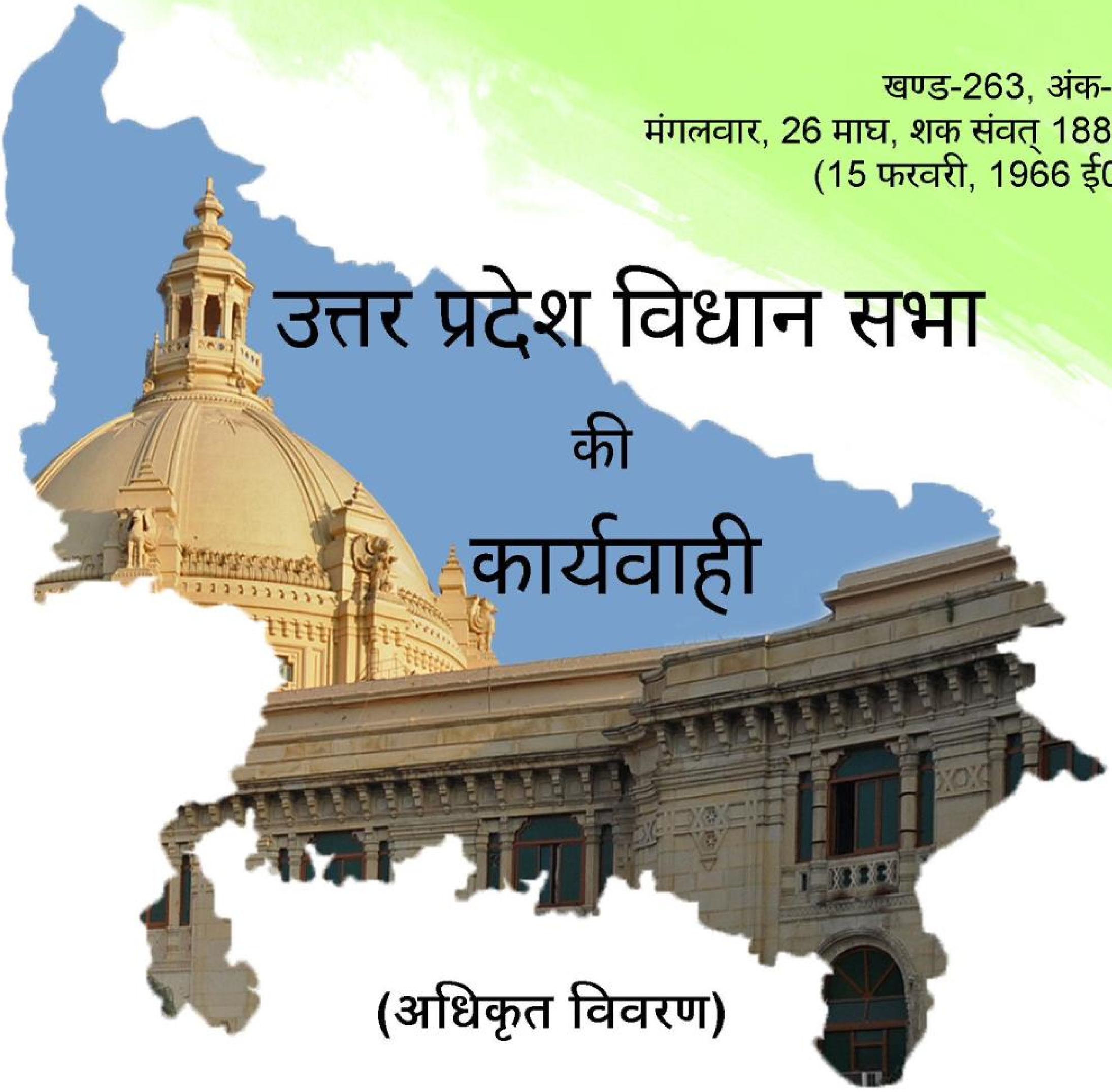

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १५ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केश गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
डम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितांबरराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री

रामप्रसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्कुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखनसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसीनकश्री, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शरीफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रसन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री

सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह, वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह उपमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर राम नारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १५, फरवरी, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले के सदर थाना में नन्दा की कथित हत्या की रिपोर्ट

**१—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि २७ सितम्बर, १९६५ को नन्दा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सदर को जिला सीतापुर में नन्दा के पुत्र, श्री मनोहर, ग्राम गुड़ियन पुरवा, मजरा धर्मपुर, थाना सदरपुर, जिला सीतापुर में लिखायी थी? उपरोक्त नन्दा की कथित हत्या के बारे में पुलिस ने जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट क्या है?

गृह उपमन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

जी हां। मनोहर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई थी।

इस सम्बन्ध में जांच के पश्चात् उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा न्यायालय भेजा जाय अथवा नहीं इस बात पर विचार ही किया जा रहा था कि नन्दा अतिरिक्त जिला अधिकारी (न्याय) के न्यायालय में उपस्थित हुआ। नन्दा की उपस्थिति के पश्चात् इस बात की रिपोर्ट दी गई कि मुकदमा अभियुक्तों के विरुद्ध नहीं चलाया जायगा।

*२—श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि इस कथित हत्या के केस में पुलिस ने जिन लोगों को अभियुक्त बनाया उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई चार्जशीट लगायी गई थी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अभियुक्तों के विरुद्ध कोई चार्जशीट न्यायालय नहीं भेजी गई।

*३—श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या सरकार बताएगी कि तथा कथित कत्लशुदा नन्दा ने २७ जनवरी, १९६६ को ए० डी० एम० (जे०), सीतापुर के कोर्ट में हाजिर होकर कोई प्रार्थना-पत्र दिया? क्या सरकार उस प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां।

प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९ पर)

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

नन्दा के लड़के मनोहर ने क्या रिपोट लिखाई थी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह छोटी-सी रिपोर्ट है पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष—

हां, पढ़ दीजिए।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

"हमारा नाम मनोहर, हमार बाप के नाम नन्दा लं.न्धिया है। ग्राम गोड़िहन पुरवा गांव धर्मपुर जौन यही थाना मां लागत है रहित है आज रात जे बीत गई है रात मां शाम के बेरिया हम व हमार बाप नन्दा व घर के औरतें व बच्चे खाना खा पी के अपने घर में सोवत रहे कि करीब आधी रात लौटे हमार महतारी जागी और फरिका खुला देखा कि हमार बाप अपने चारपाई पर नाहीं है तब हमार महतारी हमका व हमरे भाई श्याम का जगाइस और कहिस कि तुहार बाप चारपाई पर नहीं सोवत हैं। देखो कहां गयेन। तब हम हांक दिहिन कि गांव वाले दौड़ो। हमार बाप घर नहीं हैं। तब खुशी राम, गोबरे, सालिक और बहुत लोग आ गए। सब लोग ढूंढ़ लाग। दिन मां लोधनपुरवा के पश्चिम नदी के किनारे खून पड़ा देखा। वहां के गोकरन कहिन कि हमरे भैंसा के नाक से नाथ खींच जाए से गिरा है। नदी के किनारे किनारे कुवां बाग में तलाश किहिन कुछ पता नाहीं चला। तब रिपोर्ट का आयन हैं। हमरे बाप से महंगे लोनिया, शंकर लोनिया, भिखारी लोनिया, रमेसर लोनिया से रंजिश कुवां के बारे मां रही है। हमका शक है कि हमार बाप कहीं चला गवा या मार डाला गवा है जौन लिखावा लिखा गवा सुना ठीक है। निशान अंगूठा बनाइत है।

निशान अंगूठा मनोहर।"

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

सोने प्रधान का चालान इस मुकदमे में किया गया अथवा नहीं और क्या ये चारों आदमी जिनके नाम उसमें लिखाया गया है कि रंजिश हमारे बाप से इनसे थी, जेल भेजे गये और क्या यह प्रधान भी जेल भेजा गया अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई चार्जशीट नहीं लगायी गयी।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

मैं तो जानना चाहता हूं कि ये पांचों आदमी जेल भेजे गये अथवा नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इन चारों आदमियों ने ११ तारीख को कचहरी में आत्म समर्पण कर दिया और सोनेलाल प्रधान को २४ तारीख को गिरफ्तार किया गया।

श्री अवधेशकुमार सिन्हा—

ये पांचों आदमी जेल में कितने दिन रहे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ये चारों आदमी ११–१०–६५ से जेल में रहे । कब तक रहे इनकी तारीखें अलग अलग हैं । महंगू १५–१०–६५ तक जेल में रहा, शंकर १२–१०–६५ तक, फकीरे ८ से ११ तक रहा, रामआसरे १२–१०–६५ तक रहा और सोनेलाल २४–१०–६५ से २९–१०–६५ तक जेल में रहा । ३०–१०–६५ को जमानत पर छटा ।

श्री अवधेशकुमार सिन्हा—

सोनेलाल प्रधान का चालान किस आधार पर किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, चालान तो किसी का किया नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब है कि गिरफ्तारी किस आधार पर हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस आधार पर की गयी कि मनोहर ने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसमें था कि खून मिला । पुलिस वालों ने पूछा कि खून किसका मिला और इन लोगों से पूछा जिनके खिलाफ रिपोर्ट थी । उन्होंने कहा कि भैंस का खून था । उस खून को एक्जामिन कराया गया तो पता चला कि भैंसे का खून नहीं हो सकता और आदमी का खून होगा । पुलिस वालों ने पूछा कि उन्होंने गलत रिपोर्ट क्यों लिखायी ? उन्होंने कहा कि सोनेलाल प्रधान ने उन से कहा था कि तुम लोग ऐसा कह देना इसलिये हमने ऐसा कह दिया । इसलिये जब सोनेलाल प्रधान पकड़ा गया तो उसको इसी आधार पर पकड़ा गया । बाद में वहां एक खून से सना गमछा भी मिला जो बाद में पहचाना गया ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

नन्दा जब अदालत में हाजिर हुआ तो क्या उसने कोई स्टेटमेंट दिया और यदि नहीं, तो क्या उसने कोई प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

नन्दा ने कचहरी में स्टेटमेंट दिया और वह इस प्रकार है :—

"बसन्तपुर गांव जो बाराबंकी में लगता है वहां से परसों आया था । सोने प्रधान मेरे गांव गये थे । मुझको लेवा लाये थे । भिखारी भी था, उनके साथ में सदासर अहिर था । उसी ने उनको पहचान नहीं पाया । इन लोगों ने कहा कि तुम यहां घूमते हो । वहां मुकदमा चल रहा है कि तुम मार डाले गये हो, तुम चलो । जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे मुकदमा चल रहा है तो मैंने कहा चलो । आधे कुंआर में घर से चल दिया । किसी से नहीं । वजह यह हुई कि भिखारी, शंकर, महंगे पर दरख्वास्त कप्तान के यहां दी उसी पर झगड़ा था । पुलिस वालों ने मुझसे पैसे मांगे कि लाओ नहीं तो तुमको बंद कर देंगे । तो मैं पैसे नहीं दे सका तो मेरे पास भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं था । सिपाही ब्रजराजसिंह ५० रुपये मांगता था । मेरे पास पैसे थे कहां देने को । जैसे ही दरख्वास्त मेरी यहां से थाने गयी वैसे ही सिपाही थाने से मेरे पास रुपया मांगने को पहुंच गया, सिपाही से मैंने कहा पैसे नहीं है । वह लौट गया । तीसरे दिन रात में जब बाल बच्चे सो रहे थे फिर मैंने अपने घर वालों को कोई इत्तिला नहीं दी कि हम भाग आये हैं, जा रहे हैं, फिक्र मत करना, जब प्रधान जी से भेंट हुई तभी पता चला कि हमारे पीछे मुकदमा कत्ल का चल गया है ।

हस्ताक्षर अपठनीय ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या इस मुकदमे की जांच पहले असिस्टेंट दारोगा ने की थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दरख्वास्त २७ तारीख को अदालत में हुई. . . . .

श्री अध्यक्ष—

वह तो पूछ रहे हैं कि असिस्टेन्ट दारोगा द्वारा क्या जांच की गयी ?

श्री शिवेन्द्रप्रताप—

श्रीमन्, पहले जांच छोटे दारोगा ने की थी, बाद में एस० ओ० ने । तो मैं जानना चाहता हूं कि उस छोटे दारोगा की रिपोर्ट क्या थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पहले छोटे दारोगा ने जांच की थी और उसने पंचनामा तैयार कराया था, वह मेरे पास इस समय नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि खून से तर गमछा मिला । तो जो गमछा मिला वह किसका था और क्या पुलिस ने उसकी जांच की ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

गमछा नन्दा के घर वालों ने पहचाना कि वह नन्दा का है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचायतनामा किस लाश के सिलसिले में कराया गया, वह लाश नन्दा की थी या अन्य की थी, यदि अन्य की थी तो किसकी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह लाश, जब कि नन्दा जिन्दा था, तो नन्दा की लाश नहीं हो सकती थी । वह लाश जब मिली तो नन्दा के लड़के ने और पंचों ने यह कहा कि यह नन्दा की लाश है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

आदमी की लाश और भैंसे की लाश में बहुत फर्क होता है । वह आदमी की लाश थी तो दूसरा कत्ल हुआ तो उसकी भी जांच होनी चाहिये । दूसरी बात यह कि कत्ल हो गया और नन्दा का कत्ल दिखाया तो इस तरीके से जिन लोगों ने गलत बयानी की और दूसरे आदमी को फांसी दिलाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ १९४ और २११ ताजीरात हिन्द के मुताबिक क्या चालान किया गया ? अगर नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह भैंसे की लाश नहीं थी । वह आदमी की लाश थी, माननीय सदस्य को यह गलतफहमी हो रही है कि भैंसे की लाश को आदमी की लाश बतलाया गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

वह किसकी लाश थी । मंत्री जी ने यह कहा है फर्जी नन्दा की लाश दिखाई गई लेकिन वह नन्दा की नहीं थी तो किस की लाश थी ? क्या उसको पहचाना गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस बात की तहकीकात एस० पी० कर रहे हैं कि वह लाश किसकी थी ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि नन्दा के मुताल्लिक जो लाश मिली थी वह नन्दा के गांव से कितनी दूर मिली थी और उस लाश के सम्बन्ध में और कोई दूसरी तहकीकात हुई या नन्दा के लड़के की रिपोर्ट पर नन्दा की लाश मान ली गई ?

श्री अध्यक्ष—

चूंकि नन्दा के लड़के ने यह कहा कि उसके बाप की है तो यह समझ लिया गया ।

श्री रघुनाथसिंह—

यह लाश गांव से कितनी दूरी पर मिली ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह लाश नाले में मिली । चौकीदार ने रिपोर्ट की कि एक लाश नाले में ऐसी पड़ी हुई है । उस लाश को निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया । तो नन्दा के लड़के और पंचों ने यह तशखीस की कि यह नन्दा की लाश है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आये दिन इस आदरणीय सदन में पुलिस कर्मचारियों की कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही और गलत कारनामों के सम्बन्ध में इसी प्रकार से चर्चा होती रहती है और बेगुनाहों को कत्ल और डकैती में फंसाया जाता है । ऐसे कर्त्तव्यहीन जो पुलिस के कर्मचारी हैं जिन्होंने इस प्रकर की कार्यवाही करके एक प्रधान, जन प्रतिनिधि को फंसाने की कोशिश की तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे इस केस की डिटेल मालूम नहीं है । मिनिस्टर कंसर्न्ड इसका जवाब दे रहे हैं । जो कर्मचारी गलत काम करते हुये पाये जाते हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

यह २७ सितम्बर, १९६५ का वाक्या है । २७ जनवरी को नन्दा ने अदालत में हाजिर होकर बयान दिया । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ४ मास तक पुलिस यह नहीं जान पाई कि यह लाश नन्दा की थी या और किसी की थी । ४ मास तक पुलिस पता नहीं लगा पाई इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

जवाब यह मिला है कि नन्दा के लड़के ने बतलाया कि यह उसकी लाश है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मंत्री जी ने बताया कि चार महीने तक जांच होती रही नन्दा के अदालत में हाजिर होने के पहले, तो जांच में इतनी देर क्यों हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

एस० पी०, सीतापुर स्वयं इस की जांच कर रहे हैं कि वह लाश किस की थी और किन-किन सरकमस्टांसेज में नन्दा के लड़के और पंचों ने यह बताया कि यह लाश नन्दा की है । लाश जब मिली तो उस का चमड़ा सड़ गया था । उस के लड़के ने बताया कि यह उस के बाप की लाश इसलिये है कि उस के बाप के आगे के तीन दांत टूटे हुये थे और इस लाश के भी आगे के तीन

[श्री अध्यक्ष]

दांत टूटे थे । दूसरी बात उसने यह बतायी कि उस के बाप की अंगुलियां लम्बी-लम्बी थीं और यह भी लाश में थीं । इसलिये ही हम ने शिनाख्त की कि यह हमारे बाप की लाश है । अब यह जांच हो रही है कि यह लाश किस की थी और कहां की है और अगर इस में कोई मेलाफाइडी पुलिस की होगी तो उस पर सख्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजनारायण मिश्र---

मंत्री जी ने बताया कि लाश का पोस्टमार्टम हुआ था । उस के आधार पर क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह लाश कितनी पुरानी थी तथा कत्ल कितने दिन पहले हुआ था ?

श्री अध्यक्ष---

यह निश्चित हो चुका है कि वह लाश नन्दा की नहीं थी किसी और की थी । अब वह किस की थी इसकी जांच हो रही है ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)---

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है यह बतला दें ।

श्री हरगोविन्द सिंह---

रिपोर्ट यह है कि लाश बिलकुल सड़ गयी है इसलिये यह कैसे मरा इस पर कोई राय नहीं दी जा सकती ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

मंत्री जी ने बताया कि मुद्दई ने बयान दिया है और गवाहान ने १६१ में बयान दिया है, तो क्या उन के खिलाफ गलतबयानी करने और गलत रिपोर्ट लिखाने के लिये १८९ में मुकदमा चलाया जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

एस० पी० स्वयं जांच कर रहे हैं, यह मैंने बताया है ।

श्री जगन्नाथ राव---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह नन्दा चार महीने तक कहां रहा ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उसने बताया कि वह बाराबंकी के एक गांव में रहा था ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा---

मंत्री जी ने यह गलत जवाब दिया है । ए० डी० एम० जे० के यहां जो दरखास्त उसने २७ तारीख को दी उसकी अंतिम लाइन है कि 'पुलिस वाले कहते हैं कि भाग जाओ वरना बन्द कर देंगे । तब मैं डर के मारे खुदघर से भागा रहा ।' क्या यह बात सही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैंने तो बताया कि वह बाराबंकी में रहा और उसने यह भी कहा कि मैंने घर वालों को या किसी को बताया नहीं था कि मैं कहां रहा ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा---

क्या यह सत्य है कि दारोगा ने एक आदमी को इतना मारा कि वह मर गया, मरने के बाद उसकी लाश नाले में डलवा दी गयी और नन्दा के गायब होने की जो रिपोर्ट हुई तो चौकीदार से कहा कि इसी को नन्दा बता दो ताकि हमारे ऊपर जुर्म न आ सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह तो वही जानते होंगे कि सही है या गलत है ।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—

इस मामले की जांच पहले पहल अफसर दोयम ने की और उसने रिपोर्ट दी कि नन्दा नहीं मारा गया, तो क्या यह सही है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने उसे इस पर सस्पेंड किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें कोई ऐसी इत्तला नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

जिस लाश का पोस्टमार्टम हुआ जिसको कि नन्दा की लाश बताया गया, तो उसके बाद उसको किसको डिलीवर किया गया ताकि उसकी अन्त्येष्टि की जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर दो-तीन सवाल विरोधी पक्ष की तरफ से किये गये और उत्तर मन्त्री जी देते हैं कि हमको इत्तला नहीं है और हम नहीं जानते । तो क्या इस तरह के जवाब दिये जा सकते हैं ? उनको निश्चित कहना चाहिये कि हमारी जानकारी ऐसी है—यह है, यह नहीं है । "हम नहीं जानते" यह कोई उत्तर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप बैठें ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

मेरा सवाल था कि क्या अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट लली ? मैंने नहीं पूछा कि न्यायालय भेजे गये या नहीं भेजे गये । मैं जानना चाहता हूं कि चार्जशीट लगाकर जो पो० पो० आफिस में आयी तो चार्जशीट किसने लगायी ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे नहीं मालूम कि चार्ज-शीट से उनका क्या मतलब है, मैं तो समझता हूं कि वह अदालत में दाखिल होती है । तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन् ने ठीक ही समझा है कि जब अदालत में चला जाय. . . . . .

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और जेलों में रखे गये और यह साबित हो गया कि नन्दा जीवित है, तो क्या सरकार उन लोगों को मुआवजा और कंपेंसेशन देगी जिनको इतने दिनों से जेलों में बन्द किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कंपेंसेट करने का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिये कि उस वक्त जितना मैटीरियल पुलिस के सामने था और पुलिस ने चार्जशीट की थी और पी० पी० आफिस में ही मामला रहा, अदालत में नहीं गया और इन लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया और बेल पर चले गये ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा —

इस पर श्रीमन्, आध घंटे का विवाद होना चाहिये । इसकी अनुमति दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उसका यहां मौका नहीं है ।

रोडवेज वर्कशाप, टेढ़ीकोठी, लखनऊ से एंगल आयरन ट्रस गायब होना

**४—श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ चारबाग बस स्टैन्ड पर किताबों व पान की दुकानों के पीछे जो तीन हजार रुपये की कीमत के सरकारी एंगल आयरन ट्रस पड़े हुये थे वह आज से लगभग छः मास पूर्व वहां से गायब हो गये और जांच होने पर सम्बद्ध अधिकारी ने बताया कि वे ट्रस रीजनल वर्कशाप यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, टेढ़ी कोठी, लखनऊ में जमा करने के लिये भेजे गये हैं ? यदि हां, तो वह टेढ़ी कोठी के स्टाक बुक में किस नं० पर जमा किये गये ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

यह सही नहीं है कि कथित एंगल आयरन ट्रस गायब हो गये थे । वह ट्रस रीजनल वर्कशाप, टेढ़ी कोठी, लखनऊ के स्टाक बुक नं० सी० एम० ई० जनरल/१३५, दिनांक ९ दिसम्बर, १९६४ द्वारा जमा किये गये ।

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, मेरी जानकारी के अनुसार यह ट्रस जमा नहीं हुए हैं, कागजात में भले ही जमा दिखाये गये हों और यह ट्रस ओवरसियर, जैन द्वारा बेच दिये गये हैं तथा वे इसका पैसा खा गये हैं। तो क्या मंत्री जी कृपया इसकी फिर से जांच करेंगे और उसकी विस्तृत रिपोर्ट सदन के सामने रखेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वे अगर उसको लिख कर देंगे और उसकी सपोर्ट में कुछ शहादत देंगे तो जरूर उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री गयाप्रसाद—

मेरी सूचना तो यह भी है इन ओवरसियर ने और भी दूसरा सामान बेचा है जिसकी विस्तृत सूचना मैं भेज रहा हूं । तो मैं यह चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन ओवरसियर का ट्रान्सफर करके इस पूरे मामले की जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

पहले आप लिख कर तो भेजिये ।

श्री मैनेजरसिंह—

यह सामान किस स्टोर में रखा गया तथा उसका इस्तेमाल हुआ या नहीं अभी तक ?

श्री हरीदत्त कणडपाल—

यह तो उत्तर में कहा है कि कहां रखा गया है । उसका इस्तेमाल तो कुछ हुआ होगा ।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसकी एन्ट्री किस तारीख की है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

९ दिसम्बर, १९६४ को जमा किया गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

यह सामान कब से कब तक वहां पड़ा रहा और क्यों पड़ा रहा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

चारबाग बस स्टैन्ड पर पुराने शेडों को तोड़ कर नये बनाये गये थे, उसी से जो सामान बचा था वह वहां पड़ा था ।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, यह प्रश्न बहुत महत्व का है और यहीं लखनऊ में करीब का ही है । तो क्या इसकी जांच मंत्री जी ने या उप मंत्री जी ने स्वयं की थी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

माननीय सदस्य का जब प्रश्न आया तो उसकी जांच हमने करायी थी ।

श्री रघुनाथसिंह—

जब इतने गम्भीर आरोप थे तो इनको स्वयं श्रीमन्, जाकर देखना चाहिये था । इनका उत्तर कितनी गैर जिम्मेदारी से भरा है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री देवेन्द्रसिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिये गये।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

रायबरेली जिले में नहर से सिंचाई

*१—श्री रत्नपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला राय बरेली के अन्तर्गत १९६५ में खरीफ की फसल बारिश न होने के कारण धान, बाजरा, ज्वार, मूंगफली आदि की कितनी क्षति हुई है और नहर विभाग नहरों द्वारा उक्त क्षति की कितनी रोक थाम करने में समर्थ हुआ ? यदि नहीं कर सका, तो क्यों ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

१—उक्त फसल में निम्नलिखित क्षति हुई —

फसल	सिंचित क्षेत्र रु० में	असिंचित क्षेत्र रु० में
१—क्वारी धान	३० से ५० पैसे तक	५० से ७५ पैसे तक
२—अगहनी धान	३० से ४० पैसे तक	५० से ७५ पैसे तक
३—ज्वार, बाजरा, कांकुन सावां आदि ..	३० से ५० पैसे तक	४० से ६० पैसे तक
४—मूंगफली	३० से ६० पैसे तक कुल क्षेत्र में ।	

सिंचाई विभाग ने इस सूखे की स्थिति में भी उक्त जिले में नहरी कमाण्ड में स्थित लगभग ९१,११५ एकड़ भूमि को सिंचन सुविधायें उपलब्ध करके फसलों को और क्षति से बचाया ।

श्री रतीपाल—

सन् ६५ में नहर पानी देने में असमर्थ रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् ६४ में सिंचाई से नहर विभाग की कितनी आय हुई है और सन् ६५ में खरीफ में पानी न देने से कितनी आय हुई है और कितना घाटा हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आय से कोई संबंध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा सवाल करिये ।

श्री रतीपाल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सिंचाई न होने के कारण किसानों को काफी हानि हुई है । पहले नहर विभाग पानी देता रहा है । इस साल नहीं दे सका और न देने के कारण फसल मारी गई । क्या मंत्री जी उन किसानों को लगान में छूट देना चाहते हैं जो नहर के बल पर निर्भर रहते थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

लगान में छूट देने के कायदे हैं । उन कायदों को मैं बता चुका हूं । कायदों में होगा तो छूट देंगे ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर द्वारा राय बरेली में सन् ६४-६५ में कितनी सिंचाई हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रोपोज्ड जो सिंचाई है वह ७० हजार एकड़ की है, पर वैसे ९१,११५ एकड़ भूमि में सिंचाई हुई है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी ने बताया कि ९१,११५ एकड़ भूमि में सिंचन सुविधा उपलब्ध हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुविधा उपलब्ध थी और ९१,११५ एकड़ भूमि में कितनी सिंचाई हुई, एक पानी लगा या आधा पानी लगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पानी लगा । एक या आधे का कोई रिकार्ड नहीं रहता यह हम मानते हैं ।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, यह तो कागजी घोड़ा दौड़ाते हैं । आधा पानी भी वहां नहीं लगता है ।

[१५ फरवरी, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

निर्वाचन कार्यालय में छंटनी

*१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला निर्वाचन कार्यालयों के कुछ लिपिक एवं डुप्लीकेटर आपरेटरों को अक्तूबर, १९६५ में नवम्बर, १९६५ से हट जाने के लिए १ माह की नोटिस दी गई है ? यदि हां, तो उनकी जिलेवार संख्या क्या है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जी हां, प्रत्येक जिले में निकाले गए या निकाले जाने वाले लिपिकों एवं डुप्लीकेटर आपरेटरों की संख्या संलग्न सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६० पर)

*२—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस संकटकालीन स्थिति में चतुर्थ योजना लागू होने के अवसर पर इन कर्मचारियों की सेवायें क्यों समाप्त की जा रही हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

भारत निर्वाचन आयोग के सुझाव पर यह तय किया गया कि जिला निर्वाचन कार्यालय में विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की डुप्लीकेटर्स द्वारा तैयार किए जाने की यू० पी० स्कीम समाप्त कर दी जाय, क्योंकि यह स्कीम अधिक मितव्ययी नहीं थी । जैसा कि भारत के अन्य समस्त राज्यों में होता है, निर्वाचक नामावलियों की पुनः छपाई का विचार है ।

बुलन्दशहर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कौन-कौन आनरेरी मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं जिनको उक्त पद पर कार्य करते हुए लगातार दस साल से अधिक हो चुके हैं और क्या यह सच है कि इनमें से कुछ आनरेरी मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से इस कार्य के लिए अनफिट हो चुके हैं ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

इस समय बुलन्दशहर जिले में ऐसे केवल दो आनरेरी मैजिस्ट्रेट सर्वश्री भानुप्रताप सिंह तथा ब्रजराज शरण सिंह हैं जो लगातार दस साल से ज्यादा अवधि से इस पद पर कार्य कर रहे हैं । इनके अतिरिक्त श्री बनवारी लाल भी दस साल से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं किन्तु इनका कार्यकाल छः दिन के लिए नवम्बर, १९६३ में टूट गया था । इनमें से कोई अपने कार्य के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्री बनवारी लाल का कार्यकाल समाप्त हो चुका था तो उनके दोबारा नियुक्त करने के लिए क्या चीजें सामने आईं कि उनकी ही नियुक्ति करनी पड़ी ?

श्री सैयद अली जहीर—

वह तो यह हुआ कि ३० अक्तूबर को उनका टर्म खत्म हुआ । बाद आर्डर्स ईशू होने में देर हुई रिपोर्ट न आने पर । वह रिपोर्ट आई तो ७ नवम्बर से फिर से टर्म रिन्यू कर दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट के अप्वाइंमेंट से पहले कोई फिजिकल फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन का या किसी का सामने रखा जाता है या बिना किसी सर्टिफिकेट के नियुक्ति कर दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—

रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज में मांगी जाती है ।

नत्थूपुर क्षेत्र में बिजली

*४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपमंत्री, नियुक्ति विभाग का प्रश्न कर्त्ता द्वारा दिनांक २६ मार्च, १९६४ का लिखित कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र (आजमगढ़) के विभिन्न ग्रामों में विद्युतीकरण करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्नकर्त्ता का दिनांक २६ मार्च, १९६४ का पत्र प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र (आजमगढ़) के अन्तर्गत निम्नलिखित ४ ग्रामों में बिजली पहुंच चुकी है :

(१) दुबारी
(२) लखनौर
(३) कटघरा शंकर
(४) दरगाह

*५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और उनकी आबादी अलग-अलग क्या-क्या है ? तथा इन ग्रामों से किन-किन की आय हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र (आजमगढ़) के अन्तर्गत (प्रश्नकर्त्ता के दिनांक २६ मार्च, १९६४ के पत्रानुसार) उपरोक्त ४ ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है। इन ग्रामों की आबादी तथा आय का विवरण संलग्न ब्योरे में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१ पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि कितनी आबादी पर बिजली का खंभा लगाया जाता है और क्या यह सही है कि जहां बिजली दी है वहां आबादी के हिसाब से खंभे न लगाने के कारण बिजली और आमदनी में कमी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

शहर में आबादी के हिसाब से खम्भे नहीं लगाए जाते हैं। चूंकि बिजली की कमी है, इसलिए ट्यूबवैलो को ज्यादा दे रहे हैं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

जब ट्यूबवैल के लिए सरकार के पास खंभे और तार नहीं हैं तो क्या इस वर्ष भी अधिक बिजली लगाने का इरादा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जरूर है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी वहां बिजली देने की कृपा करेंगे जहां ट्यूबवैल लग चुके हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

रुपए का प्रबन्ध कर रहे हैं। बिजली देना चाहते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी ज्ञात है कि जबसे आपके पास से बिजली का वितरण किया गया है तब से लोगों को बहुत असुविधा हो रही है और क्या फिर से अपने हाथों में लेने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हां, इस पर विचार किया जायगा।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[३ रे मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*७—श्री उग्रसेन—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

मुरादाबाद जिले में नलकूप चालक

*८—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कौन-कौन ट्यूबवैल आपरेटर एक ही कुंए पर अरसे से काम कर रहे हैं और उन लोगों को वहां से हटाए न जाने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिला मुरादाबाद में १८५ ट्यूबवैल आपरेटर्स तीन साल से अधिक की अवधि से एक ही ट्यूबवैल पर कार्य कर रहे हैं जिनकी सूची †संलग्न तालिका में दी गई है। ये ट्यूबवैल आपरेटर्स अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं इसलिए इनको बदलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

*९—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कितने सरकारी ट्यूबवैल ऐसे हैं जो कि नवम्बर और दिसम्बर, १९६५ के महीने में मेकेनिकल फाल्ट की वजह से बन्द रहे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिला मुरादाबाद में नवम्बर, दिसम्बर, १९६५ में १४५ नलकूप मेकेनिकल खराबी से भिन्न-भिन्न समय के लिए बन्द रहे।

श्री रियासत हुसैन—

अगर इन १८५ आपरेटरों का ट्रांसफर इसलिए नहीं किया गया है कि उनका काम अच्छा है, तो सरकार उनको इनाम देगी या इसलिए नहीं किया गया है कि सरकारी अधिकारियों के वे खास मुंह लगे हुए हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

सभी आपरेटर अच्छा काम करने के लिए होते हैं। अगर किसी की शिकायत होती है तो उसे वहां से हटा दिया जाता है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री ने यह जानने की कोशिश की कि ये १४५ कुएँ किस मैकेनिकल डिफेक्ट से बन्द रहे और उसका क्या इलाज किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ट्यूबवैलों के आस-पास स्पेयर पार्टस् और कुछ परसेंटेज में मोटर रखने का प्रबन्ध कर दिया गया है ताकि जल्दी ठीक किये जा सकें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेकेनिकल डिफेक्ट क्या एक ही प्रकार के थे या अलग-अलग तरह के थे और उसके बाद कुवें कब चलने आरंभ हुए ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुरादाबाद में ६४७ ट्यूबवैलों में से अगर १४५ खराब हों तो यह बहुत ज्यादा तो नहीं हैं । मेकेनिकल फाल्ट एक प्रकार के तो हो ही नहीं सकते हैं । अलग-अलग तरह की मशीनें हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

१४५ कुएं उस समय बन्द रहे जबकि गेहूं के लिए आबपाशी की खास आवश्यकता थी । तो क्या वे सामान के न मिलने से बन्द रहे या मिस्त्री और टेक्नीकल स्टाफ के समय से न पहुंचने के कारण बन्द रहे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह नहीं है कि पूरे महीने बन्द रहे । अगर एक घंटे भी कोई बन्द रहा तो इस सूची में आ गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या इस समय वे १४५ ट्यूबवैल बिलकुल ठीक हालत में काम कर रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सबकी तो जानकारी नहीं है लेकिन ज्यादातर ठीक चल रहे हैं ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

१४५ कुंएं में से कितने ऐसे हैं जो १ सप्ताह से ज्यादा अवधि के लिए मेकेनिकल डिफेक्ट के कारण बन्द रहे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि ये कुएं टेक्नीकल स्टाफ की लापरवाही के कारण बन्द रहे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसे देख लिया जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पुर्जे वगैरह न मिलने की वजह से ट्यूबवैल्स बन्द रहे, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रांत में सेल्स टैक्स बढ़ जाने की वजह से पुर्जों के मिलने में कठिनाई हो रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

पुर्जों के जल्द से जल्द उपलब्ध करने का इन्तजाम किया गया है। गवर्नमेंट का जो तरीका पुर्जों को खरीदने का है, उसी प्रकार से पुर्जे खरीदे जाते हैं। अब तक जिलों में स्टाक नहीं रहता था, अब उसका भी प्रबंध किया गया।

श्री शिवराजसिंह—

क्या यह सही है कि ट्यूबवैल्स पर मेकेनिकल लाग बुक्स अब नहीं रखी जाती ?

श्री मिरचारीलाल—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या वहां के एस० डी० ओ० ने सरकार को यह रिपोर्ट दी थी कि ट्यूबवैलों को रबी की फसल के लिए ठीक हालत में कर दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे पास यह खबर थी कि ट्यूबवैल्स काम कर रहे हैं।

कैनाल कालोनी लखनऊ में क्लब

*१०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित))—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कैनाल कालोनी चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग, पुराना किला, लखनऊ में सरकारी भूमि व भवन के अन्दर कोई क्लब स्थापित हुआ है ? यदि हां, तो कब से और कौन-कौन उसके सदस्य हैं ?

श्री मिरचारीलाल—

जी हां, निवास स्थान नं० ३ के अहाते के एक भाग में ४ अप्रैल, १९६५ से स्थापित है। क्लब सरकारी भवन में नहीं है। सिंचाई विभाग के १८० अभियन्ता इसके सदस्य हैं जिनकी सूची † सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

*११—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितना सरकारी धन उपरोक्त क्लब पर व्यय हुआ है ? तथा उसका प्रबन्ध कहां हुआ है ?

श्री मिरचारी लाल—

क्लब को, एक प्राइवेट संस्था के रूप में, शासन की ओर से ५०० रु० का अनुदान दिया गया है।

क्लीनर कम कण्डक्टरों की तनख्वाह में अन्तर

*१२—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में रीजन वाइज क्लीनर्स-कम-कन्डक्टर और कन्डक्टर की तनख्वाह तथा अन्य सुविधायें क्या-क्या हैं ?

---

†छापी नहीं गई।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

तनख्वाह व अन्य सुविधाएं प्रांत भर में एक ही हैं रीजन वाइज नहीं है। उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९२–९३ पर)

*१३—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि गोरखपुर और बरेली रीजन में कन्डक्टर और क्लीनर-कम-कंडक्टर की तनख्वाहों में बहुत अन्तर है जबकि शैक्षिक योग्यता तथा काम एक प्रकार का है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसा अन्तर सभी क्षेत्रों में है, न कि केवल गोरखपुर व बरेली क्षेत्रों में। काम व शैक्षिक योग्यता की बिना पर तनख्वाह तथा अन्य सुविधाओं में अन्तर किया गया। इस विषय पर विचार चल रहा है।

सीतापुर-लहरपुर बस सर्विस की मांग

*१४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ–शाहजहांपुर द्वारा सीतापुर मार्ग जिसका राष्ट्रीयकरण कई वर्ष पहले से हो चुका है, उसमें परिवहन विभाग ने प्राइवेट आपरेटरों को राज्य बसों के अतिरिक्त बस चलाने का परमिट दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कितनी प्राइवेट बसें चल रही हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कोई परमिट नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*१५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-हरदोई मार्ग तथा सीतापुर-हरदोई और सीतापुर-लहरपुर मार्ग पर अलग-अलग कितनी प्राइवेट बसें चल रहीं हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

लखनऊ—हरदोई मार्ग	..	३१
लखनऊ—सीतापुर	..	१४

सीतापुर—लहरपुर मार्ग बस चलाने के लिए मान्य नहीं है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सीतापुर-लहरपुर मार्ग को मान्यता नहीं मिली हुई है तो प्राइवेट १३ बसें किस आधार पर चल रहीं हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह जो कहा गया है कि सीतापुर-लहरपुर मार्ग को मान्यता नहीं है, उसका तात्पर्य यह है कि इस नाम का मार्ग नहीं है, सीतापुर-लहरपुर-तंबोर मार्ग को मान्यता है। इस पर परमिट दिये गये हैं। इसका कुछ हिस्सा नोटिफाइड है और कुछ मार्ग पर परमिट दिये गये हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

इसी मार्ग पर सीतापुर से १० मील राजकीय मार्ग घोषित है और आगे तंबोर तक ३० मील के मार्ग पर प्राइवेट बसें चल रही हैं। क्या इस बात को देखते हुये कि यह शेष मार्ग भी अच्छा है, सरकार उसको राजकीय मार्ग घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सीतापुर से लखीमपुर को जो सड़क जाती है उस पर १६ मील का मार्ग नोटिफाइड है और जहां से लहरपुर को सड़क फटती है उससे आगे तंबोर तक नोटिफाइड नहीं है, यह माननीय सदस्य की सूचना सही है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

सीतापुर-लहरपुर मार्ग पर १६ मील तक मान्यता है। केवल १२ मील वहां से लहरपुर और रह जाता है, यह मार्ग भी अच्छा है, फिर आप इस शेष १२ मील को मान्यता क्यों नहीं देते ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, यह जो राष्ट्रीयकरण वाली बात है तो लखीमपुर-सीतापुर रोड का १० मील का तो राष्ट्रीयकरण है लेकिन यह १६ मील सड़क के राष्ट्रीयकरण की तो मुझे सूचना नहीं है कि उसके राष्ट्रीयकरण की बात चली है या नहीं, यह काम आसान भी नहीं होता, बहुत लम्बी कार्यवाहियां चलती हैं।

पटेल आयोग के अन्तर्गत बाढ़ अनुदान का व्यय

*१६— श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सच है कि पटेल आयोग से सम्बन्धित जिले के बाढ़ निवारणार्थ कार्यों के करने के लिये मिला हुआ धन खर्च नहीं किया गया और उसका अधिकांश भाग सरकार को वापस हो गया है ? क्या मंत्री जी उल्लिखित धन के खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—जी हां। गत वित्तीय वर्ष में निर्धारित धन-राशि पूर्ण रूप से व्यय न हो सकी।

द्वितीय भाग—गत वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में व्यय का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९४ पर)

श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पटेल आयोग के अन्तर्गत ३०.८१० लाख रुपया खर्च करने का जो कार्यक्रम था उसमें से केवल २०.८७९ लाख रुपया खर्च हुआ, तो इतना रुपया न खर्च होने का कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कारण यह है कि जमीन नहीं मिल सकी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जो रुपया खर्च नहीं हो सका है उसका केवल यही कारण नहीं है कि जमीन नहीं मिल सकी ? जमीन तो एमर्जेन्सी में डी० आई० आर० में ली जा सकती थी लेकिन क्या टैक्निकल हैन्ड्स की कमी थी जिसके कारण यह काम नहीं पूरे किये जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो डिटेल दिये हैं उसमें यह है कि ५ पांच लाख रुपया खर्च होने वाला था, उसमें ५ लाख से ज्यादा खर्च हो गया, ग्रामों को ऊंचा करने के लिये १५ लाख रखा गया था लेकिन लोगों के खेत बोये हुये थे, मिट्टी नहीं उठाने दिया, उसमें दिक्कत हुई। ड्रेनेज में भी ९ लाख में से १ लाख ही खर्च हुआ, लोगों ने नालियां नहीं खोदने दीं, जमीन लेने गये तो झगड़ा होता था। हर चीज तो डी० आई० आर० में नहीं होती, मकान किसी के ले लें यह कैसे हो सकता है, खास परपज होता है डी० आई० आर० का।

*१७–१९—श्री उमाशंकर तथा श्री इन्द्रासनसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।)

देवबन्द बेंच में आनरेरी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति न होना

*२०—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रदेशीय स्तर पर १९६३ से १९६५ तक जो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होनी थी लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई? यदि नहीं हुई, तो क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा—

१९६३ से १९६५ तक कुल ३७ नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इन में से कुछ मामले सरकार के विचाराधीन हैं और शेष में नियुक्तियां न होने का कारण है जिला स्तर से चुनाव समिति के सुझाव प्राप्त न होना तथा मांगी हुई सूचनाओं का प्राप्त न होना।

श्रीमती शकुन्तलादेवी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि देवबन्द बेंच में किन-किन व्यक्तियों के नाम की नियुक्ति हुई थी जिनको कि बाद में नामंजूर किया गया और अगर किया गया तो किन कारणों से और उनके नाम क्या थे?

श्री सैयद अली जहीर—

जहां तक मुझे याद है देवबन्दमें कुछ अयोग्य लोग पाये गये इस वजह से मंजूर नहीं किया गया था।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि देवबन्द बेंच के लिये ३ नाम नामजद कर दिये गये थे और बाद में उनको वापस लिया गया तो क्या जनाब ने, जो अयोग्य थे, उन्हीं को नामजद किया था?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो अगले प्रश्न के बारे में पूछ रहे थे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मेरी जानकारी यह है कि देवबन्द की बेंच के लिये ३ आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के नाम नामिनेट किये गये परन्तु उसके बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया कि वहां पर बेंच नहीं बनेगी और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। फिर उन आदेशों को रद्द करके बेंच को बनाने के लिये निर्णय लिया गया। तो मैं इस हेरा फेरी के कारण जानना चाहता हूं?

श्री सैयद अली जहीर—

श्रीमन्, यह प्रश्न तो अगले प्रश्न के सम्बन्ध में है। इस प्रश्न में तो यह आता नहीं है।

श्रीमती शकुन्तलादेवी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देवबन्द की बेंच के लिये स्पेशल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति का फैसला हुआ था तो मैं जानना चाहती हूं कि बाद में किन कारणों से इसे समाप्त कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिये ?

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है देवबन्द का यह किस्सा हुआ था कि वहां से कुछ सिफारिशें आयी थीं। बाद में हमारे कुछ एम० एल० एज० और मेम्बरान ने उनके खिलाफ शिकायतें कीं। फिर उसकी इंक्वायरी हुई। उसकी वजह से यहां पर कोई तकरुरी नहीं हो सकी।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, अभी मैं २–३ बार खड़ा हुआ परन्तु आपने मुझे प्रश्न करने का मौका न देकर बैठी हुई माननीय सदस्या को बुला लिया। इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

केवल फर्क इतना है कि वे महिला हैं।

सहारनपुर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*२१—श्रीमती शकुन्तलादेवी—

क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिला सहारनपुर में १९६३ से १९६५ के आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हो चुकी थी और जिले में उनकी स्वीकृति भी जा चुकी थी, उनको वापस क्यों मंगा लिया गया है जब कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था ?

श्री जयराम वर्मा—

१९६३ से १९६५ की अवधि में किसी अवैतनिक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करके आदेशों को वापस नहीं मंगाया गया। ऐसे किसी मैजिस्ट्रेट के काम शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता।

*२२—श्रीमती शकुन्तलादेवी—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर के बेंच सदस्यों की १९६४ की नियुक्ति देकर फिर वापस क्यों मंगाई गई ?

श्री जयराम वर्मा—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

पिछले म्युनिसिपल बोर्डों के चुनावों में वहां पर एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया था और सरकार ने उसे तुरन्त मंजूर कर लिया था। वहां पर आनरेरी मैजिस्ट्रेट के लिये नामों की सिफारिश करने के लिये जो समिति बनी हुयी थी, उसने जो नाम पेश किये हैं, क्या सरकार उन पर विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

सरकार को यह हक है कि वह इस समिति की सिफारिशों को माने या न माने।

श्री विजयसिंह—

जब एक दफा नाम आते हैं तो उन्हें न मानने के क्या कोई राजनीतिक कारण हैं ? क्या उनका नाम दुबारा भी आ सकता है ?

श्री जयराम वर्मा—

अगर कोई नाम नामंजूर हो जाये और उसमें किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने की अयोग्यता हो या वह उस पालिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे दे तो उसका नाम फिर भेजा जा सकता है ।

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, कोई आपसी गुटबन्दी का कारण तो नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर—

मैं प्रश्न को समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

उनके प्रश्न का आशय यह है कि एक मर्तबा जिसका नाम आ जाय तो अगर उसका नाम दुबारा फिर आ जाय, तो क्या आप उस पर विचार कर लेते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां, विचार कर लेते हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, पूरे प्रदेश में यह होता है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट के नाम की सिफारिश करने के लिये एक कमेटी होती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति में उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति होती है जो माननीय मंत्री जी से सम्बन्धित होते हैं ? उदाहरण के लिये झांसी में जो समिति है उसमें शहर के कांग्रेस के आदमी हैं । यदि यह सही है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

इसके मुताल्लिक कोई कायदा और कानून नहीं है । लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि ऐसे ही आदमी को नामजद किया जाता है जिसके ऊपर सरकार का एतमाद होता है ।

नदी गांव ब्लाक में मलंगा नाले पर पुल की आवश्यकता

*२३—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जालौन जिले की नदी गांव ब्लाक के ग्राम रवा के पास से जाने वाले मलंगा नाले पर बरसात में प्रतिवर्ष कई लोगों की मृत्य हो जाती है और इसके बचाव के लिये सरकार की ओर से नदी गांव ब्लाक द्वारा इस पर पुल बनवाये जाने हेतु कोई एस्टीमेट तैयार कराया गया है ? यदि हां, तो उसमें सरकार कितना व्यय करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विद्युत परिषद् अधिकारियों के विदेश जाने की जानकारी

*२४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि दिसम्बर, १९६४ से मार्च, १९६५ के बीच राज्य विद्युत् परिषद् के कौन-कौन से अधिकारी सरकारी खर्चे से विदेश गये तथा उनके जाने का उद्देश्य क्या था ?

नोट—तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री गिरधारीलाल—

परिषद् का कोई अधिकारी सरकार के खर्चे पर दिसम्बर, १९६४ से मार्च, १९६५ के बीच विदेश नहीं गया ।

*२५—श्री हिम्मतसिंह—

जब वे विदेश गये तो उस समय उनके अवकाश-ग्रहण करने में कितने-कितने दिन शेष थे ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता ।

*२६—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनके विदेश गमन पर कितना-कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता ।

चिल्लूपार क्षेत्र के लिये नलकूप की मांग

*२७—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र नवम्बर, १९६५ में इस आशय का प्राप्त हुआ है कि सरकारी आदेश के कारण गोरखपुर जिले के चिल्लू-पार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई नल कूप इसलिये नहीं कि सरकारी आदेश है कि जहां ढाई हजार घंटे नलकूप चलते हों वहीं लगाये जायं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त उपरोक्त क्षेत्र में नलकूप लगाने का आदेश देने का कष्ट करेगी क्योंकि वहां कोई दूसरा साधन सिंचाई का नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां ।

दूसरा भाग—चिल्लूपार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में २६ नलकूप पहले से ही लगे हुये हैं और नलकूपों का निर्माण क्षेत्र में उनकी आवश्यकता एवं आर्थिक एवं प्राविधिक दृष्टि से उनकी व्यवहारिकता पर निर्भर करता है और इस उद्देश्य से कि नलकूपों का निर्माण ऐसे ही स्थानों पर हो जहां उनकी वास्तव में आवश्यकता है और वहां उनकी क्षमता के पूर्ण सदुपयोग की यथार्थ में आवश्यकता है, जिला स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई है। यह समिति नये नलकूपों का निर्माण, उनके सिंचाई क्षेत्र और स्थान आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेती है। अतएव सरकार द्वारा नलकूप निर्माण के लिये आदेश प्रसारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

मथुरा जिले में फसली कुलाबे

*२८—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में गत वर्ष कितने फसली कुलाबे दिये गये । क्या इस वर्ष भी सरकार पुनः उन सभी कुलाबों को लगायेगी जिनके कमान्ड में किसानों ने इस आशा से गेहूं और गल्ला बो दिया कि कुलाबा तो मिल ही जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

मथुरा जिले में गत वर्ष ६९ फसली कुलाबे दिए गये थे । इस वर्ष पानी की अत्यधिक कमी होने के कारण कोई फसली कुलाबा नहीं दिया गया है ।

मिर्जापुर जिले में कण्डक्टरों का निलम्बन

*२९—श्री श्रीराम—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६५ में मिर्जापुर जिले में कितने कन्डक्टरों को नौकरी से किस-किस अपराध में निलम्बित किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

६ कन्डक्टर बिना टिकट यात्री ले जाने के अपराध में निलम्बित किये गये ।

*३०—श्री श्रीराम—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बतायेंगे कि निलम्बित किये गये कन्डक्टरों में से कौन-कौन बहाल कर दिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

दो कन्डक्टर बहाल किये गये ।

चुनाव कार्यालयों से हिन्दी टाइपिस्टों का अलग किया जाना

*३१—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलों में स्थित चुनाव कार्यालयों के कितने हिन्दी टाइपिस्ट मितव्ययिता के नाम पर निकाले जा रहे हैं ? क्या उन्हें किसी दूसरे विभाग में लिया जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—

लगभग १५० हिन्दी टाइपिस्ट निकाले गये हैं । जिनमें से १०० नियमित हैं, बाकी बिलकुल अस्थायी है, जिनकी सेवायें फरवरी, १९६६ तक के लिये थीं । समस्त विभागाध्यक्ष और प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को यह आदेश दिये गये हैं कि ऐसे कर्मचारियों को अपने दफ्तरों में आगे नियुक्ति करते समय प्राथमिकता दी जाय।

*३२—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या आगामी आम चुनाव की मतदाता सूची राजकीय मुद्रणालय से ही छपवाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं, जिलों में स्थित प्राइवेट प्रेसों के द्वारा मतदाता सूचियों के छपवाने की व्यवस्था की जा रही है ।

*३३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

[४थे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मथुरा में बिजली की व्यवस्था

*३५—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का लाइसेंस कब समाप्त होने को है ?

श्री गिरधारीलाल—

मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० का लाइसेंस २९ जुलाई, १९६७ को समाप्त होगा।

*३६—श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या यह सत्य है कि नगर की बिजली प्रतिदिन चाहे जब फेल हो जाती है उस कारण उत्पादन कम होने से उद्योग धन्धों को ठेस पहुंचती है और चाहे जब प्रकाश व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो जाती है? यदि हां, तो सरकार ने इसके सुधार की दिशा में अब तक क्या कदम उठाया है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। मथुरा नगर की बिजली की सप्लाई में क्षणिक फेल्योर हुआ करते हैं। इसके रोक थाम के लिये जो कार्यवाही की गई है इसका ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९५ पर)

जालौन जिले में बिजली

*३७—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में कौन-कौन गावों में चालू वित्तीय वर्ष में बिजली पहुंच जायेगी?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना नत्थी किये गये ब्यौरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९६ पर)

*३८—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले के नदी गांव कस्बे में कब तक बिजली पहुंच जाने की आशा है?

श्री गिरधारीलाल—

इस कस्बे का विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना नहीं है।

यक्ष्मा के रोगियों को यातायात की सुविधायें

*३९—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसका ध्यान इस ओर गया है कि जिस प्रकार यक्ष्मा के रोगियों को रेलगाड़ियों में किराया आदि दिया जाता है उसी प्रकार राजकीय यातायात में भी व्यवस्था की जानी चाहिये? यदि हां, तो कब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले में तरीद झील से पानी निकासी के लिये प्रार्थना

१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा तरीद व गुलरिया, जिला फर्रुखाबाद के किसानों का कोई प्रार्थना-पत्र तरीद झील के पानी रुकने से फसल नष्ट होने के संबंध में दिनांक २६ दिसम्बर, १९६४ को जिलाधीश तथा चीफ इंजीनियर, कैनाल को मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां, किसानों का प्रार्थना पत्र जिलाधीश, को २६-१२-६४ को प्राप्त हुआ था और उसी आशय का एक अन्य प्रार्थना पत्र मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को फरवरी, १९६५ में प्राप्त हुआ था ।

दूसरा भाग—जांच के बाद प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायतें निराधार साबित हुईं और उसे खारिज कर दिया गया जिसकी सूचना किसानों को दे दी गई ।

२—श्री होरीलाल यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे विकास क्षेत्र सौरिक, जिला फर्रुखाबाद द्वारा पारित तरीद झील के पानी निकालने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, मैनपुरी को दिनांक २७ मार्च, १९६४ को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, नाले की जांच की गई है और उसकी मीर १-२ से मील ३-० तक सफाई का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

मोहम्मदी क्षेत्र के नलकूप में खराबी

३—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले के नलकूप विभाग मोहम्मदी (पश्चिम) का कूप नं० ६ कितने दिनों से पानी नहीं दे रहा है ? पानी न देने का कारण क्या है तथा कब तक ठीक हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त नलकूप पानी दे रहा है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

४—श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मथुरा जिले में कितने राजनैतिक पीड़ितों को मासिक पेन्शन दी जा रही है और इस पेन्शन की उच्चतम एवं अल्पतम धनराशि क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मथुरा जिले में इस समय ८२ राजनैतिक पीड़ितों को राजनैतिक पेंशन मिल रही है । इस पेंशन की उच्चतम एवं अल्पतम धनराशि क्रमशः ६० रु० २० रु० मासिक है । इसके अतिरिक्त १-४-६४ से महंगाई को देखते हुए इनकी पेन्शनों में ५ रु० की तदर्थ वृद्धि कर दी गई है ।

राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र

५—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राजनैतिक पीड़ितों के कितने प्रार्थना-पत्र बकाया हैं जिन पर सहायता देना शेष है ? उनको सहायता न देने में क्या कठिनाई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मांगी गई सूचना एकत्रित करने में जितना समय, श्रम तथा व्यय लगेगा, वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुए बहुत अधिक होगा ।

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५२ (२) के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित विधेयक की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९७ पर)

कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना किसानों से गन्ना न लेने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना माननीय उग्रसेन, माननीय कृष्णा और माननीय बांकेलाल जी ने दी है। इसको मैंने कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया है, वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है केवल। वह इस प्रकार से है :

"देवरिया जिले के अन्तर्गत कप्तानगंज चीनी मिल सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना न लेकर बिहार प्रान्त के गन्ना किसानों का गन्ना ले रही है। कप्तानगंज सुरक्षित क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों का खेत में लाखों मन गन्ना खड़ा हुआ है। मिल तथा गन्ना विकास के कार्यकर्त्ता किसानों में नाजायज तौर पर पुर्जियों का वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था से लाखों मन गन्ना खेतों में रह जाने की संभावना है।"

माननीय मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

(विद्युत उपन्त्री श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

सोमवार को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

झांसी जिले के ललितपुर इलाके में कंट्रोल की दूकानों पर दूषित मिट्टी का तेल बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना माननीय लखपत राम शर्मा की नियम ५२ के अन्तर्गत है जिसको मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है :

"ललितपुर व उसके आस-पास के इलाकों में जो जिला झांसी में सरकारी कंट्रोल की दुकानों पर मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है वह दूषित होने के कारण पेट्रोल की भांति एक दम से आग पकड़ लेता है जिसके कारण बड़ी तादाद में आदमी जख्मी हो रहे हैं। प्रमाण स्वरूप कुछ उदाहरण देता हूं.....।"

इस प्रकार से उन्होंने १० उदाहरण दिए हैं। माननीय मंत्री जी इसके ऊपर कब वक्तव्य देंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

अभी मालूम हुआ है तो पता लगाने में, एक दो रोज लगेंगे। इसलिये सोमवार को रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

आप २२ तारीख को वक्तव्य द दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

ठीक है।

आगरा जिले में डाकू दल के सक्रिय होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक और नियम ५२ की सूचना मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार की है जो माननीय बालो जी अग्रवाल की है। वह इस प्रकार से है :

"जनवरी के अन्तिम सप्ताह में आगरा में नदौता ग्राम में १० बच्चों को डाकू उठा कर ले गए थे। इस संबंध में तो यहां वक्तव्य हो चुका है। लेकिन अब फिर ३० जनवरी, को ४ वर्ष के बच्चे को डाकू उठा कर ले गए और १० फरवरी को फिर ले गये।"

माननीय गृह मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

२२ तारीख को।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

कतिपय विषय

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

आज के पायनियर में यह जो छपा है कि कल मैंने उदासीन होकर सदन का त्याग कर दिया यह समाचार मिथ्या तथा भ्रामक है और इससे वैयक्तिक राजनीति में भ्रान्ति पैदा हो सकती है। इसका प्रतिवाद करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मुझे यह निवेदन करना है कि जो मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था देवरिया जिले के कप्तानगंज मिल के बारे में वहां पर गन्ना किसानों को एक भी पर्ची नहीं मिली है, उस संबंध में वक्तव्य कब होगा ?

श्री अध्यक्ष---

सोमवार को हो जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

पुलिस ने लाठी चार्ज किया अलीगढ़ प्रदर्शिनी में और मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न दिया था। आपने कहा कमरे में मिलिये तो मैं मिला भी था, लेकिन आपने आज भी नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको बतला भी दिया है कि मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है।

कानपुर की शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपने अयोग्य विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने तथा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

माननीय सर्वश्री शिवनाथ सिंह तथा हरीश कुमार गंगवार, सदस्य विधान सभा ने कानपुर शहर की शिक्षा संस्थाओं द्वारा अनियमित ढंग से ५० अयोग्य छात्रों को १९६५ की इन्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने तथा इस अनियमितता की सूचना प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा आवश्यक जांच के बाद इन छात्रों के परीक्षाफल निरस्त करने तथा इस सम्बन्ध में कुछ दोषी अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को दण्ड देने के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत विधान सभा का ध्यान आकर्षित किया है। श्री शिवनाथ सिंह का कथन है कि जांच में कुछ निर्दोष अध्यापकों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई तथा अनजान विद्यार्थियों को रहस्यमय ढंग से फंसा कर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। इस कारण तथा संस्थाओं में की गई जालसाजी के कारण वहां की जनता में घोर रोष एवं असन्तोष व्याप्त है। श्री हरीश कुमार गंगवार ने नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश ने ५० इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया है, जिसके कारण छात्रों तथा उनके अभिभावकों में असन्तोष है।

२—इस सम्बन्ध में उचित जांच के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि कानपुर जिले के ५५ संस्थागत परीक्षार्थियों का मामला माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विचारार्थ आया, उनमें से ३८ छात्र जी० एन० के० इन्टर कालेज तथा १७ छात्र क्राइस्ट चर्च इन्टर कालेज, कानपुर के थे। जी० एन० के० इन्टर कालेज के विरुद्ध यह आक्षेप था कि संस्था के प्रिंसिपल ने कतिपय परीक्षार्थियों को जिनकी उपस्थित अधिक कम थी और जो नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य नहीं थे, उपस्थिति रजिस्टरों में अनुचित परिवर्तन कर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया। परिषद् ने इस शिकायत के प्राप्त होने पर, इस संस्था के उपरोक्त सभी ३८ छात्रों का परीक्षाफल जांच के लिये रोक लिया। जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि संस्था में कथित गड़बड़ी की गई है। इस सम्बन्ध में १३ सहायक अध्यापकों को दोषी पाया गया जिन्होंने उपस्थिति रजिस्टर में इस प्रकार की गड़बड़ी की थी। अतः उन्हें तथा प्रधानाचार्य को, जिनकी असावधानी के कारण ही ऐसा हुआ, परिषद् के समस्त पारिश्रमिक वाले कार्यों से ३ वर्षों के लिये वंचित कर दंडित किया गया। किसी निर्दोष अध्यापक को दण्ड नहीं दिया गया। पुनः चूंकि इन छात्रों का भी परीक्षा में सम्मिलित होना नियम विरुद्ध था, अतः उन पर कार्यवाही की गई। उक्त ३८ छात्रों में से २ छात्र पूरे परीक्षा में अनुपस्थित रहे तथा ४ छात्रों की उपस्थिति नियमानुकूल ठीक थी। अतः शेष ३२ अयोग्य छात्रों का परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया।

३—क्राइस्ट चर्च इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य ने स्वयं परिषद् को पहले ही सूचित कर दिया था कि उनकी संस्था के इन्टर कक्षा के हिन्दी तथा नागरिक शास्त्र विषय के उपस्थिति रजिस्टर गुम हो गये हैं। अतः इन छात्रों की उपस्थिति की गणना नहीं की जा सकी। इसलिये सभी छात्र को उपस्थिति की कमी के बावजूद परीक्षा में बैठने की अस्थाई अनुमति प्रदान कर दी गई। इससे केवल १७ छात्र प्रभावित थे जिनका परीक्षाफल परिषद् ने अग्रिम जांच के लिये रोक लिया। जांच के परिणामस्वरूप केवल २ परीक्षार्थी ऐसे पाये गये जिनकी उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा में बैठने के अयोग्य पाया गया। अतः इन २ छात्रों का परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया तथा शेष १५ छात्रों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया।

४—इस प्रकार परिषद् ने केवल ३४ ऐसे छात्रों का परीक्षाफल निरस्त किया है जिनका परीक्षा में सम्मिलित होना नियम विरुद्ध था, ५० छात्रों का नहीं। इसी प्रकार केवल एक ही

[श्री राममूर्ति]

संस्था के १ प्रधानाचार्य तथा १३ सहायक अध्यापकों को जो दोषी थे दण्ड दिया गया। यह कथन ठीक नहीं है कि ये छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण थे क्योंकि परिषद् ने इनका परीक्षाफल कभी घोषित ही नहीं किया। ऐसे छात्रों का जिनके परीक्षाफल घोषित नहीं किये जाते उनका विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर पढ़ने की कोई संभावना नहीं है और न तो शासन को इसकी कोई सूचना है।

५--अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि केवल दोषी पाये गये १३ सहायक अध्यापकों तथा १ प्रधानाचार्य तथा ३४ ऐसे छात्रों का जिनका परीक्षा में प्रवेश नियम विरुद्ध था, के विरुद्ध बोर्ड द्वारा कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही से यदि उन्हें नुकसान हुआ है तो उसके वे स्वयं उत्तरदायी हैं तथा ऐसे अवांछित तत्वों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उन्हें नियमानुसार दंडित करना उचित तथा आवश्यक था।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि हाजिरी का काम स्वयं उन्होंने किया और सारी जिम्मेदारी कालेज की है। तो ऐसी दशा में विद्यार्थियों का परीक्षाफल क्यों रोका गया?

श्री राममूर्ति--

मैंने तो इसमें जाहिर कर दिया है कि विद्यार्थियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है अगर वे अनुपस्थित रहते हैं या पूरी हाजिरी नहीं होती है और वहां के टीचर्स भी अनियमितता के दोषी पाये गये।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रजिस्टर में जो गड़बड़ी की गई वह किस प्रकार की गई और केवल ३२ छात्रों पर ही आरोप किस आधार पर लगाये गये?

श्री राममूर्ति--

मैंने जाहिर कर दिया कि गड़बड़ी यह थी कि उनकी हाजिरी पूरी नहीं थी। रजिस्टर टैम्पर करके हाजिरी पूरी कर दी गयी और इम्तहान में बैठने की इजाजत दे दी गयी। जब जांच हुई तो पता चला कि हाजिरी नहीं है। इसलिए ऐक्शन लिया गया।

श्री शिवनाथसिंह--

जब कि रजिस्टर बदल दिये गये तो केवल ३२ छात्रों पर आरोप क्यों लगाया गया? वह कौन से...

श्री अध्यक्ष--

आपके कहने का मतलब यह है कि किस तरह से आपने निश्चय किया कि यह ३२ छात्रों के सम्बन्ध में जो हाजिरी के रजिस्टर में इन्दराज हुआ वह गलत था?

श्री राममूर्ति--

मैंने अर्ज किया कि जब छानबीन की गयी और रजिस्टर टैम्पर किया हुआ पाया गया तो जितनी डिटेल में कार्यवाही हो सकती है, की गयी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि जब रजिस्टर ही गुम हो गये तो बाकी छात्रों को कैसे जाना कि उनकी हाजिरी पूरी है?

श्री राममूर्ति--

मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब जांच की गयी तो जांच में यह सब बातें मालूम की जाती हैं।

13178

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि उनको जानकारी इस बात की किस सूत्र से हुई कि यहां विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने हाजिरी में गड़बड़ करके इम्तहान में बैठने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और दूसरी बात यह कि इस तमाम घटना की जांच किस अधिकारी के द्वारा की गयी है ?

श्री राममूर्ति—

अधिकारियों का नाम नहीं है। मैंने बयान में बता दिया है कि जब बोर्ड को पता चला कि इस तरह की गड़बड़ी हुई तो परीक्षाफल रोक लिया गया और जांच की गयी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

किस सूत्र से उनको पता चला ? किस आधार पर समझ लिया वह आधार नहीं बताया मंत्री जी ने ?

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब यह है कि कैसे मालूम हुआ कि यह सब गड़बड़ी हुई वह सूत्र बता दें।

श्री राममूर्ति—

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

बगैर हाजिरी पूरी हुए अगर लड़के इम्तहान में पास हो गये तो हाजिरी का महत्व क्या रह जाता है और क्यों कार्यवाही की गयी, ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के खिलाफ जो बिना हाजिर के परीक्षा में उतीर्ण हो गये ? इस प्रकार गैर जरूरी हाजिरी को अनिवार्य क्यों बना रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न तो ठीक है, लेकिन लोग चुन कर आते हैं तब भी हार जाते हैं अदालत में।

श्री दयाराम शाक्य—

जब रजिस्टर गायब हो गये और अधिकारियों ने भी रिपोर्ट की कि रजिस्टर गायब हैं तो कौन सा रेकार्ड जांच के सामने आया जिससे पता चला कि वास्तविक रूप से हाजिरी कम थी ?

श्री राममूर्ति—

जांच के मानी यह हैं कि वह तमाम बातें लायी जाते हैं जिससे जानकारी हो। मेरे लिए विवरण बताना नामुमकिन है कि किस-किस से पूछा गया और क्या-क्या बातें पूछी गयीं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुए कि ३४ विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है और टीचरों को भी थोड़ा बहुत दण्ड मिला है माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि उन्हें इस बात का पता नहीं कि सूत्र कौन सा था...

श्री अध्यक्ष—

यह कहा कि नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह स्पष्ट है कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बात की। और उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जांच किस व्यक्ति ने की और किसरे कार्ड की जांच

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

को, तो इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए और इस वक्तव्य की महत्ता को देखते हुए क्या वे पुनः पूरी जानकारी हासिल करके इन सब बातों से इस सदन को अवगत करावेंगे ?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, लाखों विद्यार्थियों ने बोर्ड का इम्तहान दिया। इन ३४ विद्यार्थियों से बोर्ड के अधिकारियों को कोई रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी और न कोई वैमनस्य था। जब एक चीज उनके नोटिस में आयी तो उसकी जांच पड़ताल की गयी और जब वे सन्तुष्ट हो गये कि इसमें अनियमितता हुई है तो यह कार्यवाही की गयी।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, यह कोई एक विद्यार्थी के जीवन के भविष्य से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है, बल्कि ३४ विद्यार्थियों के जीवन के भविष्य से सम्बन्धित है। तो जब सरकार की जानकारी में यह बात आयी कि सारे के सारे रजिस्टर्स गायब हो चुके हैं तो इस सूरत में प्रथम सूचना अधिकारियों को कब दी गयी और अगर सब के सब रजिस्टर्स गायब थे तो जांच का मुख्य आधार क्या था ? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि इन ३४ विद्यार्थियों के लिये फर्जी कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—

इसका मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि ३४ लड़के जो हाजिरी कम होने की वजह से परीक्षा में पास होने पर भी फेल कर दिये गये या उनका रिजल्ट रोक दिया गया, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को इस तरह का निदेश देंगे कि हाजिरी के नियमों में कुछ ढील दें ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य को इस बात का भ्रम है कि लड़के पास हो गये थे। जब यह देख लिया गया कि उनके केस में अनियमितता हुई है तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया, इसलिये इसमें पास और फेल का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मैनेजरसिंह—

यदि वे पास नहीं हुए या उनका रिजल्ट घोषित ही नहीं हुआ, तो मेरा निवेदन यह है कि इस समय जो हाजिरी की कैद है, उसमें कोई ढील देने का निदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् को देंगे ? मेरा मतलब है कि पहले जिस तरह से आचार्य लोग हाजिरी में छूट देते थे उसी तरह से अब भी उनको छूट देने का अधिकार देंगे ?

श्री राममूर्ति—

कंडोन करने का जहां तक सम्बन्ध है, प्रिंसिपल दो साल में १० हाजिरी कंडोन कर सकता है और यदि कोई लड़का फेल हो जावे और वह फिर परीक्षा दे तो वह साल भर की हाजिरी में ५ हाजिरी कंडोन कर सकता है। लेकिन यहां तो अनियमितता बरती गयी जिसकी वजह से यह कार्यवाही की गयी है।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वे रजिस्टर गायब मिले जिसके लिये प्रिंसिपल जिम्मेदार हो सकते हैं, फिर ऐसे कौन से आरोप मास्टरों के ऊपर आये जिनके आधार पर उनको दोषी पाया गया ?

श्री राममूर्ति—

रजिस्टर गायब होने पर यही दलील तो दी गयी जिसकी जांच की गयी।

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न समाप्त।

१९६५–६६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद होगा।

(कुछ क्षण पश्चात्)

मैं समझता हूं कि हम लोग साढ़े ४ बजे तक इन पर सामान्य बहस कर लें और उसके उपरान्त मंत्रियों द्वारा मांगें प्रस्तुत होकर इनको स्वीकार कर लिया जाय और उसके बाद विनियोग विधेयक लिया जाय। (किसी के आपत्ति न करने पर) तो यही रहा।

अब माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी इस पर विवाद आरम्भ करेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में एक परिपाटी सी हो गयी है कि हर तीसरे चौथे महीने सप्लीमेंटरी बजट पेश कर दिया जाता है। उसके लिये कुछ परिस्थितियां और आवश्यकताएं होती हैं। सप्लीमेंटरी बजट कोई सहज स्थिति का परिचायक नहीं हुआ करता। कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं जिनको आसान करदेना सप्लीमेंटरी बजट का काम हुआ करता है। लेकिन हम यह देखते हैं कि जहां पर अच्छे सिद्धान्तों का निरूपण करके बजट पेश किया जाता है और कहा जाता है कि "व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक मांगें पेश करनी पड़ती हैं, जिनके लिये मूल आयव्यय में कोई व्यवस्था नहीं रहती। अनुपूरक मांगों का उस समय भी आवश्यकता होती है जब कि सम्बन्धित व्यय के लिये धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिये हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान मंडल के सामने विशिष्ट स्वीकृति के लिये पेश करना आवश्यक हो। ऐसी मांग जो कि 'प्रतीक मांग' कहलाती हैं, प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि विशिष्ट रूप से उसे स्वीकार करने की बात होती है। ऐसी स्थिति नहीं पैदा कर देनी चाहिये कि इस प्रदेश का आर्थिक ढांचा ही ढुलमुल हो जाय, क्षीण हो जाय, और हम इसे देखते ही रह जायं। ज्यादा से ज्यादा खर्च की व्यवस्था हमारे वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री द्वारा कराने की कोशिश की जाती है और उससे कम से कम राहत मजदूरों, किसानों, छोटे कर्मचारियों और नीचे स्तर के लोगों को देने की कोशिश की जाती है। यह स्थिति है, विशेष कर साल में दो-दो सप्लीमेंटरी बजट पेश हुये। आपको याद होगा कि सितम्बर सन् १९६५ में १८ करोड़ ३६ लाख ३७ हजार ५ सौ रुपये का बजट पेश किया गया था। फरवरी में यह दूसरा सप्लीमेंटरी जिस पर बहस हो रही है २९ करोड़ ६३ लाख ३९ हजार ८ सौ रुपये का है जिसका ब्रेक अप इस प्रकार है :—

			रु०
राजस्व लेखा	..	..	६,८९,८१,१००
राजस्व लेखे से बाहर पूंजी लेखा	..	..	३,०८,६६,६००
ऋणों और अग्रिमों का वितरण	..	..	१९,६४,९२,१००
		कुल योग	२९,६३,३९,८०० रु०

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

श्रीमन्, इस प्रकार से आप देखेंगे कि करीब १०, ११ महीनों के अन्दर वित्त मंत्रालय ने हमारे सामने ४७ करोड़ ९९ लाख ७७ हजार ३ सौ रुपये का बजट पेश किया है। यह स्पष्ट कर देता है कि हमारा वित्त मंत्रालय दूर तक नजर नहीं दौड़ाता, अपने दृष्टिकोण को संकुचित रखता है। यह सप्लीमेंटरी बजट इस बात का द्योतक है कि वित्त मंत्रालय में उचित अर्हता और योग्यता जो होनी चाहिये उसका सर्वथा अभाव है। यह भी इस बात का द्योतक है कि उनका दृष्टिकोण अत्यन्त अव्यावहारिक है। वह भी इस बात को स्पष्ट करता है कि वह अदूरदर्शी है। ऐसी स्थिति में यह प्रदेश आगे किस प्रकार से बढ़ेगा इसको सोचने की स्थिति में हम सब लोग आ गये हैं। ऐसा हुआ करता है कि मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय पर काबू होता है, लेकिन जब उनको अवकाश नहीं मिलता और जब काम का बोझ बढ़ जाता है जैसे इस समय जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, उन पर शिक्षा विभाग जैसा बहुत बड़ा विभाग है जिसका जिम्मेदारी संभालना उनके लिये मुश्किल सा हो रहा है। फिर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालना और भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में उनके सामने तीन रास्ते थे और उसका उन्होंने उपयोग किया है। एक तो यह हो सकता है कि वे अपने वित्त मंत्रालय के अधिकारीवर्ग पर हावी हो सकें जिसके लिये उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। योग्यता की बात तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि उनके पास इसके लिये विशेष अनुभव और तजुर्बे नहीं हैं। दूसरा वित्त मंत्रालय के सचिव और उनके कर्मचारियों पर उनका कुछ असर हो। किन्तु दुख है कि उनके नैतिक और चारित्रिक प्रभाव का पूरा असर उन पर पड़े ऐसी स्थिति में हमारे मंत्री जी नहीं हैं।

तीसरा रास्ता उनके सामने जो निकल सकता था वह उन्होंने निकाला कि उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव को ही बदल दिया। उनका बदलना इसलिये स्वाभाविक है कि उन पर न तो वह हावी हो सकते हैं और न अपना नैतिक और चारित्रिक प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने किसी ऐसे आदमी को रखा है जिसके जरिये वह अपना काम चलाते रहें और वित्त मंत्रालय अपने ढर्रे पर चलता रहे। इसलिये मैं समझता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट के विषय में आप स्वयं सोचें और सदन भी सोचे कि इस प्रकार का आय व्ययक सारी परिस्थिति का एक पूरा खाका पेश करता है अथवा केवल पच्चीकारी ही करता है। इस नाम पर कि उसमें नई मद जोड़नी पड़ती हैं, एक प्रतीक अनुदान की आवश्यकता पड़ती है। वित्त मंत्रालय प्रदेश की आर्थिक स्थिति के साथ खिलवाड़ न करे। वित्त मंत्रालय यदि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति के साथ खिलवाड़ करेगा तो निश्चय ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन गिरती चली जायगी और उसके सुधार के लिये फिर आगे स्थिति कठिन हो जायगी जहां तक अनुदानों का प्रश्न है उसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक विशेष अनुदान है और वह राज्य विधान मंडल का अनुदान है। श्रीमन्, मुझे यह देख कर आश्चर्य नहीं हुआ कि इसमें इस तरह से खर्चा हुआ है, क्योंकि हमको प्रदेश के अच्छे माने जाने अखबारों के जरिये से यह सारी चीजें मालूम हुईं और जनता को भी मालूम हुई है। इस सदन की जो कमेटियां हैं या जो अधिकारी हैं या विधान परिषद् के जो अधिकारी हैं उन्होंने आवश्यकता से अधिक बैठकें कीं और आवश्यकता से अधिक दौरे किये। उन दौरों में इस संकट काल में भी अधिक पैसा व्यय किया गया।

श्री अध्यक्ष—

विधान मंडल के विषय में और उसके ब्योरे के विषय में चर्चा यहां पर नहीं होती है। सरकार के विरुद्ध होता है वह इसलिये कि हम ही आपस के लोग हैं। यहां पर जो परम्परा है उसके भी विरुद्ध होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अपनी गलतियों को भी देखना हमारा कर्तव्य है। जनतंत्र में परम्परा बदलती जाती है। इधर उधर के बैठने वालों से और आप से भी यह अनुरोध करूंगा कि इस

पर आप सख्ती से कार्यवाही करें और विशेष नियंत्रण रखें जिससे जनता को लूटा न जा सके और उसको बरबाद न किया जा सके ।

मैं एक और बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस सदन की परम्पराओं की बात आपने उठाई । मेरी जानकारी है और उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हममें से इस सदन में १०० माननीय सदस्य ऐसे हैं जो लाभप्रद स्थानों पर बैठे हुये हैं वे माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य भी हैं । श्रीमन्, यह एक ऐसी स्थिति है जो सारे माननीय सदस्यों के मन में एक बात पैदा करती है, और वह यह कि यह सदन ऐसा स्थान है जहां पर कुछ कमाई की जा सकती है, जहां पर कुछ रोजगार किया जा सकता है और जहां पर कुछ सरमाया इकट्ठा किया जा सकता है.....

श्री अध्यक्ष—

मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप विषय पर आ जायं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं, श्रीमन् आप से आग्रह करूंगा कि यदि संभव हो, तो आप इस स्थिति की जांच पड़ताल के लिये एक कमेटी नियक्त कर दें जिस में पचौरी साहब, मित्थल साहब और श्री भोलानाथ जी माहेश्वरी हों । यह कमेटी इस स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिये सक्षम होगी और इस में बहुत खर्च भी नहीं पड़ेगा । विशेषकर संकट काल की स्थिति में हम पैसे का अपव्यय बरदाश्त नहीं कर सकते ।

श्रीमन्, दूसरी बात सामान्य प्रशासन की है । इस शीर्षक में सरकारी कर्मचारियों के वेतन की एक मद है । आप को याद होगा कि सचिवालय के कर्मचारियों ने गत वर्ष एक दिन अपना वेतन नहीं लिया था जिस के कारण सरकार को सोचना पड़ा था कि इस का कोई प्रबंध होना चाहिये और उसी के फलस्वरूप पे रेशनलाइजेशन कमेटी की नियुक्ति हुई थी । उस की रिपोर्ट, मालूम पड़ता है कि कैबिनेट ने स्वीकार कर ली है, लेकिन आज तक उस का अमलदरामद नहीं हुआ और इसका क्षोभ इस सचिवालय में ही नहीं, सारे प्रदेश में है और वह बढ़ता चला जा रहा है। आप को याद होगा कि पिछले शुक्रवार को और सोमवार को भी ५ से १० हजार तक की संख्या में सचिवालय तथा अन्य दफ्तरों के कर्मचारियों ने सभायें कीं और उन्होंने ऐक्शन कमेटी का निर्माण किया । ऐक्शन कमेटी का निर्माण तो हम लोग करते हैं सरकार के खिलाफ । सरकार के हाथ पांव, जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी अगर मजबूर कर दिये जायं ऐक्शन कमेटी का निर्माण करने के लिये, तो यह बात समझ में नहीं आती । यह तो सिद्ध करती है कि सरकार "विनाश काले विपरीत बुद्धिः" के रास्ते पर जा रही है । यह सरकार और यह सरकारी ढांचा ढहने को तैयार ही बैठा है । आप उस स्थिति का अंदाजा नहीं कर सकते कि जब सरकारी कर्मचारी अपनी ऐक्शन कमेटी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ कदम उठायेंगे उस से सरकार का, प्रदेश का और देश का कितना अहित होगा । मुझे विश्वास है कि सरकारी कर्मचारी कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे संदेह होता है कि इस स्थिति में सरकार उन को जो कुछ देना भी चाहती है वह दे नहीं रही है । दिल्ली की सरकार जो कुछ दे रही है उसी में कुछ मिला जुला कर यह सरकार अपने कर्मचारियों को देना चाहती है और वह भी दे नहीं रही है । परसों यहां प्रश्न हो रहे थे और हर प्रश्न पर मंत्री जी गोपनीय है गोपनीय है, कहते रहे । क्या अपने ही आदमियों से गोपनीयता चल सकती है ? मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो दुर्व्यवस्था है और यह जो अनिश्चितता है, उस को आप समाप्त करें और सरकारी कर्मचारियों का आप विश्वास प्राप्त करें और उन को वफादारी से काम करने का मौका दें तथा उन को यह भी सहूलियत प्रदान करें कि वे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें ।

श्रीमन्, जहां तक जिला प्रशासन और कमिश्नरों का प्रश्न है, मुझे दुख है इस बात को कहने में कि उन में शिथिलता है । प्रशासन बिलकुल पैरेलाइज्ड हो गया है और कमिश्नर भगवान के बनाये देवता हैं । यह बेकार गद्दी पर बैठे हुये हैं । मैं एक कमिश्नर की बात अगर आप के सामने पेश करूं तो आप को सुन कर परेशानी होगी ।

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

हमारी कमिश्नरी में एक कमिश्नर थे। वर्तमान आयुक्त तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन पहले जो थे। उनका तरीका यह था कि ब्लाक का मुआयना जब करने जायं तो उनको १०१ रुपया नजराना मिलना चाहिये। जब थाने का मुआयना करने जायं तो ५०१ रुपया मिलना चाहिए। तहसील में भी यही हाल। गरज यह मशहूर था और एक सिपाही, एक-एक विलेज लेविल वर्कर और एक एक कर्मचारी इस बात को कहता था कि कमिश्नर महोदय इस तरह की आदत रखते हैं। और उनसे बढ़ करके थीं उनकी श्रीमती जी। उनके बंगले में आम बहुत सा होता था। उस साल बौर कम आया था। श्रीमती जी ने तहसीलदार को तलब किया। उसने कहा कि बौर बहुत कम है, इसका नीलाम अगर किया गया तो पैसा मुश्किल से १०० रुपया मिलेगा। श्रीमती जी को निराशा हुई तो उन्होंने डिप्टी साहब को बुलाया। वह इत्तफाक से कानूनगो से हुये थे और तमाम हथकंडे समझते थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी नीलाम कराता हूं और बतलाया कि १५०० रुपये में नीलाम हुआ बाग का आम। वह रुपया डिप्टी साहब ने अपने ही तरीके से लाकर मेम साहब को दे दिया। ऐसे लोग पैसा कमाने के लिये, जायदाद बनाने के लिये, मिल्कियत बनाने के लिये ही अगर एक जगह बैठा दिये जायं तो उससे इस प्रदेश का काम चलने वाला नहीं है। पे रेशनलाइजेशन कमेटी में १० ऐसे पद निर्माण किये गये हैं जो कमिश्नर के बराबर के होंगे। अब सोचिये कि पे रेशनलाइजेशन कमेटी तो गरीब छोटे कर्मचारियों के लिये बनी, क्लर्क और चपरासियों के लिये बनी और लाभ उठायें तमाम बड़े बड़े हाऊ हप्प। अपनी तनख्वाह ५०० रुपया बढ़ा ली, चपरासियों की कम कर दी।

और इतना ही नहीं, यहां पर सेक्रेटेरियेट में दो "दास" काम करते हैं एक तो बनारसी दास और एक के० के० दास। दो "दास" के बीच में भगवान पिस रहे हैं श्रीमती सुचेता जी इन दो पाटों के बीच में पिसती जा रही हैं और हम लोग भी पिसते जा रहे हैं पता नहीं आप पर उसकी छाया है या नहीं। बनारसी दास जी के बारे में तो इस वक्त ज्यादा नहीं कहूंगा, कभी मौका लगेगा तो कहूंगा। दास जी अलीगढ़ में कलेक्टर थे। इनका व्यवहार, इनका काम काज अपने ढंग का निराला था। शौकीन आदमी तो हैं ही, देखने में भी अच्छे मालूम होते हैं। उसके बाद लखनऊ में तशरीफ लाये। यह इसलिये कह रहा हूं कि आपको भी दिलचस्पी बढ़ जायगी। दिलचस्पी यों बढ़ेगी कि श्री के० के० दास कमिश्नर थे लखनऊ के और आपको याद होगा कि श्री गया प्रसाद जी ने हुरमुजी बेगम का जो प्रश्न उठाया है उसमें उनका पूरा हाथ है। मैंने यहां भी एक प्रश्न किया था कि के० के० दास की गवाही ली जाय। उसमें उन्होंने आर० टी० ए० की समिति में रहने की हैसियत से या कमिश्नर की हैसियत से एक मिनिस्टर साहब को खुश करने के लिये और कोई बात नहीं थी एक इंडिस्क्रिशन बरता। उसका नतीजा यह हुआ कि मुजफ्फर हसन साहब परेशान, सरकार परेशान; कमेटी बन रही है, कमीशन नियुक्त हो रहा है। ये सारी चीजें हुईं। वही किस्सा हुआ कि "खायें भीम और पचायें शकुनी।"

इतना ही नहीं, दास साहब को गुलाब का बड़ा शौक है। आपने देखा होगा एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि उन्होंने २५,००० की छोटी कलियां मंगवायी और बड़ी मेहनत से उनको लगवाया इस भवन की खूबसूरती के लिये।

श्री अध्यक्ष--

एक नियम हमारा यह भी है कि जो अफसर सदन में मौजूद रहकर उत्तर न दे सके उसके विरुद्ध इस तरह से नाम लेकर कुछ न कहा जाय। आप गवर्नमेन्ट को जो चाहें कह दें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैं छोड़ देता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

आपको गुलाब के फूल पसन्द हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । मुझे पसन्द हैं या नहीं, इसका प्रश्न नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आपको याद होगा श्रीमन्, नेता विरोधी दल तथा हम सब लोगों ने असेम्बली को बुलाने के लिये कितना प्रयास किया, आपको भी लिखा, अखबारों में भी निकाला, और उसके परिणाम-स्वरूप असेम्बली को बुलाने का निश्चय भी कर लिया गया था, लेकिन, मेरी जानकारी है श्रीमन्, एक दास साहब तो उसके लिये तैयार हो गये, मगर दूसरे दास साहब उसके लिये तैयार नहीं हुये, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री को सलाह दी कि असेम्बली नहीं बुलानी चाहिये, जो मरम्मत तलब चीजें हैं, उनकी पहले मरम्मत हो जाने दीजिये, असेम्बली फिर बुला लीजिये क्योंकि बजट सेशन में तो आपकी मरम्मत होनी ही है, दो बार बुलाने से क्या फायदा । श्रीमन्, ऐसी स्थिति है आज प्रदेश की । मैं समझ नहीं पाता हूं कि इस प्रदेश का राज्य कैसे चलेगा, प्रदेश किधर जायेगा ? मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री सचेत हों उसी प्रकार मुख्य सचिव को भी सचेत होना चाहिये, तभी प्रशासन ठीक प्रकार से चल सकता है ।

आप देखें श्रीमन्, जब पंडित पं० चीफ मिनिस्टर यहां के हुये तो उन्होंने मिस्टर झा को मुख्य सचिव बनाया, जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द चीफ मिनिस्टर हुये तो उन्होंने मिस्टर गोविन्द नारायण को चीफ सेक्रेटरी बनाया, जब माननीय गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर हुये तो उन्होंने मिस्टर भार्गव को चीफ सेक्रेटरी बनाया और जब यहां माननीया सुचेताजी चीफ मिनिस्टर हुई, तो इनको जब और कोई नहीं मिला तो उन्होंने मिस्टर के० के० दास को चीफ सेक्रेटरी बनाया । मेरा कहने का मतलब यह है कि मुख्य मंत्री को अपने कर्मचारियों और अधिकारियों पर विश्वास होना चाहिये । उस विश्वास का दुरुपयोग यदि होता है तो यह बड़ा ही अशोभनीय है और उससे प्रदेश का अहित हो सकता है, हित नहीं हो सकता है । मैं चाहता हूं के० के० दास साहब स्वयं यदि अपने पद को छोड़ दें तो अच्छा है, उनको तो और बहुत से काम हैं, वे अपने फार्म पर भी चले जाते हैं. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यहां पर व्यक्तिगत बातें नहीं कहना चाहिये ।

(व्यवधान) ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

ठीक है, श्रीमन्, माननीय मैनेजर सिंह कह रहे हैं कि इनको बोटेनिकल गार्डन का मैनेजर बना दिया जाय । (हंसी)

श्रीमन्, जब मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन शिथिल हो रहा है तो यह बिलकुल सत्य है । मैं आपके सामने उसके उदाहरण देना चाहता हूं । इलाहाबाद में उसी मसले का, जिसके ऊपर यहां सदन में माननीय हरगोविन्द सिंह को माफी मांगना पड़ी थी और श्रीमन्, आपने भी उनकी काफी मरम्मत की थी, एक मुकदमा ए० डी० एम० (जे०) के यहां दायर हुआ । जब उसकी पेशी हुई तो मुद्दई वहां पर हाजिर था, साढ़े ३ बजे तक वह अदालत में हाजिर रहा, लेकिन ए० डी० एम० (जे०) उस मुकदमे को लेने में बहुत घबरा रहे थे । कारण था कि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, माननीय हरगोविन्दसिंह जी भी उसमें थे, माननीय कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल, भी उसमें थे, उनकी भी उसमें शिरकत थी, जब ऐसे ऐसे महारथी उसमें थे, तो ए० डी० एम० (जे०) की कैसे हिम्मत हो सकती थी उस केस को लेने की । उन्होंने किया क्या ? उन्होंने यह कह कर कि मुद्दई हाजिर नहीं है, मुकदमे को खारिज कर दिया । मुद्दई ने फिर विवश होकर ए० डी० एम० (ई) के यहां अपनी हाजिरी लिखाई । यह न्याय की हालत है । ऐसी स्थिति में कैसे सच्चा न्याय मिल सकता है ? जहां न्याय करने की क्षमता छीन ली जाती हो, यहां न्याय कैसे मिल सकता है ?

[श्री केशरी प्रसाद पांडेय]

श्रीमन्, इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को, शासन करने वाली सरकार को अपने आप हट जाना चाहिये । मुझे तो बड़ी प्र न्नता थी जयपुर सेशन चल रहा था सन् ४७ में, मैं भी जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में गया था । इस बार वहां पर दूसरा सेशन हुआ । मुझे मालूम हुआ कि इसमें कुछ रद्दोबदल होने वाला है कुछ करिश्मा होने वाला है लेकिन उसके बाद जो देखा जो नींद खुली तो पाया कि उसी टूटी चारपायी पर पड़ा हुआ । वहां कामराज से कमलापति त्रिपाठी गुप्ता जी बनारसीदास और चतुर्भुज शर्मा जी भ मिले थे ऐसा लगा कि अब तो कुछ होगा ही । किन्तु माननीया सुचेता जी बरकरार रह गईं ।.....

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह अवसर है व्यक्तिगत बातों को कहने के लिये या राजनीति का इसमें समावेश करने के लिये ? हम यहां पर बजट पर बात कर रहे हैं ज्यादा मुनासिब होगा कि बजट के जो आंकड़े हैं उसी के अन्दर उसी विषय पर हम बात करें । इसी से सदन के गौरव गरिमा की रक्षा होगी । आप दलगत राजनीति का इसमें समावेश क्यों करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नहीं नहीं, इसमें इस समय उनका केवल मतलब यह है कि जो वर्तमान सरकार है उसमें परिवर्तन होना चाहिये और यह होने की आशा थी उसमें । किन्तु आगे यदि अधिक व्यक्तिगत रूप में जायेंगे तो मैं उनको रोक दूंगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन् मुझे यही कहना है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

इसके कहने का यही तरीका नहीं है इसके कहने का अलग ढंग और मौका होता है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप उनको कहने का तरीका बतायेंगे उन्हें कहने दीजिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मान्यवर, मैं आपकी सहायता का आभारी हूं । मैं चाहता था और जानता था कि इस प्रदेश की सारी जनता इतनी उत्सुक है कि शायद जयपुर के बाद यह सरकार बदल जायेगी और अपने आप वह सारा मसला तय हो जायगा, जिसके कारण इधर और उधर के लोग बराबर उलझा करते हैं और जिनके कारण जनता भी बुरी तरह से पिसी जा रही है । लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि वह चीजें अपनी जगह पर ही पड़ी हुई हैं । अब यदि यह स्थिति है तो ए० डी० एम० (जे०), इलाहाबाद किसी भी तरह से न्याय नहीं दे सकता । यह निश्चय है कि यह प्रशासन चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का और चाहे भले ही देश का हो, निकम्मा है, भ्रष्ट है और इसे शीघ्र नष्ट हो जाना चाहिये ।

(इस समय १२ बजकर ५३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, बड़ी कृपा होगी यदि आप कुछ हमारी तरफ ध्यान दें । श्रीमन्, दूसरा अनुवान इत्तिफाक से आपके आते ही पुलिस का आ गया । पुलिस मंत्री श्रीमन्, हमारे मंत्री हैं, हमारे जिले के भी हैं, और मुझे इस बात का गौरव है कि हर परिस्थितियों में जौनपुर सारे प्रदेश पर हावी रहता है, चाहे वह गलत हो क्यों न हो ।

श्रीमन्, माननीय गृहमंत्री जी के राज्यकाल में यही नहीं कि किसान मारे जाते हों, विद्यार्थी मारे जाते हों, मजदूर मारे जाते हों, वरन मिनिस्टर भी इ के कुशासन के शिकार हैं। बुलन्दशहर के पास में बनारसीदास ऐसे आदमी को, जो इस सूबे का टेरर है (हंसी) डाकुओं ने घेरा। श्री बनारसी दास जी अपने को डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर समझते हैं।

एक बार आपको याद होगा कि जब यहां पर अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था और हमारे साथी जनसंघ वाले दिल्ली गये थे राष्ट्रपति को ज्ञापन देने कि यह सरकार भंग कर दी जाय। उस समय यह प्रश्न आया था कि ऐसे अवसर पर मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति चिन्ता जनक है इन्होंने श्री दास ने) कहा था कि कोई बात नहीं हम तो हैं ही। ऐसे आदमी को डाकुओं ने घेरा। उनकी जान कैसे बची श्रीमन्, सुना है कि वे सीट के नीचे दुबक गये। और उनका जो अंगरक्षक था उसने बड़ी बहादुरी और चतुराई से काम किया और उसने उनकी जान बचाई। इसका मुझे बहुत दुःख है। लेकिन श्रीमन्, दुःख इस बात का भी है कि अगर माननीय बनारसीदास जी को थोड़ा बहुत सत्कार प्राप्त हो गया होता तो वे समझते कि इस प्रदेश का गृह मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है। उनको मालूम होता कि सीतापुर की से हम कितने दुखी हैं। श्रीमन्, यह शर्मनाक से शर्मनाक है कि आदमी मरा नहीं और पोस्ट मार्टम हो गया दूसरी लाश का। इस गृह मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं। मुझे दुःख है वे हाजिर नहीं हैं। अगर हाजिर होते तो उनके जवाब देने पर मुझे और भी कहने का मौका मिलता। श्रीमन्, सीतापुर का यह एक कांड नहीं है हजारों ऐसे कांड होते रहते हैं। चूंकि यहां की जनता मूक है, यहां की जनता आवाज नहीं उठा सकती है, उसकी आवाज अखबारों के जरिये हम तक नहीं आ सकती है इसीलिये ये सारे कांड होते चले जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह आवाज एक दिन उग्र रूप में उठेगी और हो सकता है कि इस प्रशासन को तहस नहस कर दे।

पुलिस प्रशासन की एक बात मैं और बतला दूं। सीतापुर, बाराबंकी तथा राय बरेली इन तीनों जिलों के थानेदार घाघरा नदी से सड़ी लाश निकाल कर कत्ल के अभियोग से दूसरे लोगों को फंसाते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं। यह कानून के खिलाफ गुनाह हो रहे हैं। ये सारे गुनाह इस गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हो रहे हैं। माननीय गृह मंत्री ने यदि उन जघन्य पापों का शमन किया होता और सम्बन्धित थानेदारों को उचित दंड दिया होता तो मैं उनको जरूर बधाई देता। श्रीमन्, एक रायबरेली का किस्सा सुन लीजिये आपको याद होगा यहां पर रामेश्वर हरिजन राय बरेली के एम० एल० ए० थे और श्रीमन्, कांग्रेसी थे। १९ जुलाई, १९६४ को उन पर आक्रमण हुआ और जमकर आक्रमण हुआ और श्रीमन्, उनकी नाक काट ली गई। पुलिस ने मुकदमा चलाया मुकदमें में माननीय गृह मंत्री की दिलचस्पी हुई। वह फाईल मौजूद है आपके इस सचिवालय में। माननीय गृह मंत्री चाहते थे उनमें से दो तीन आदमी निकाल दिये जायं। वे उनके मिलने जुलने वाले दोस्त थे, कुछ नाता रिश्ता भी था, ऐसा समझा जाता है। पुलिस ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता यह तो निकालना ही होगा। इस बीच में रामेश्वर जी सुचेता जी से मिले। सुचेता जी दयावान, उन्होंने सुना बड़े प्रेम से श्री रामेश्वर का दुख भरी कहानी, और सुनने के बाद इस काम को सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया। सी० आई० डी० ने श्रीमन्, सही रिपोर्ट दी और उन्होंने ताईद की कि इन तीनों नामों को नहीं निकालना चाहिये। इसके बाद रामेश्वर ने फिर हाथ जोड़े। सुचेता जी से उन्होंने रोकर कहा कि हमारे जान माल का खतरा है, अगर थोड़ा प्रबन्ध कर दिया जाय तो अच्छा हो। श्री के० के० दास इसके साक्षी हैं। उन्होंने उनको दो अंगरक्षक दिये। जब यूजुअल कोर्स में वह फाइल माननीय गृह मंत्री के पास गयी तो ८ दिन बाद उनके अंग रक्षक को हटा लिया गया। जिसके ऊपर प्राणघातक आक्रमण हुआ हो, जिसकी नाक काट ली गयी हो, जिसके मुल्जिमान को छोड़ने का सवाल हो, जो सदन का सदस्य रह चुका हो, और हरिजन हो, उसके साथ इस प्रकार का बरताव किया गया। यह सामने जो टोपियां दिखाई पड़ती हैं वह तीन चीजों के बल पर ही तो दिखायी पड़ती हैं—पहला हरिजन दूसरा मुसलमान भाई और तीसरा जिस जाति का उम्मीदवार हो। इन तीनों की मदद से इनका राज्य चलता है। उस हरिजन वर्ग के

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

प्रतिनिधि के साथ आपकी इतनी भी हमदर्दी न हुई और उसके दिये हुए अंगरक्षकों को हटा लया गया। जब मुख्य मंत्री ने उसको मंजूर किया था तो इनको हटाने का क्या हक था। सिवाय इसके कि वह चाहते थे कि रामेश्वर को खत्म कर दिया जाय। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। इतना ही नहीं उस मुकदमे को वापस लेकर उन तीन मुल्जिमान का जो नेता था, श्री शार्दूल सिंह, उसको निकलवा दिया। फिर उस मुकदमे का क्या हश्र होगा, यह भगवान ही जानें या रामेश्वर जाने। यह स्थिति है आपकी पुलिस की।

श्रीमन्, उनकी पुलिस हीरे चुराती है। कानपुर में बेशकीमती हीरे चुरा लिये हैं। यह पता नहीं कि उनको बेच पाये या नहीं। शायद बड़े आफीसरों के यहां भेज दिये गये हों। श्रीमन्, पुलिस हीरे ही नहीं झुमके चुराते हैं। देखिए हिम्मत इनकी। पुलिस के भाई गरीब किसानों के ही बच्चे होते हैं, लेकिन पता नहीं गृह मंत्री जी उनको कौन सी ट्रेनिंग देते हैं कि दो एक वर्ष में ही वे भोले भाले लोग खूंख्वार जानवर हो जाते हैं, इंसान से हैवान बन जाते हैं। इनकी पुलिस चोरी कराती है, डकैती कराती है, कत्ल कराती है। किसी भी लाश को दूसरे का नाम आरोपित करके उनका पोस्ट मार्टम कराती है। और यह सारी चीजें इन्हीं ५ वर्षों में देखने को मिली हैं। जौनपुर में दो-दो आदमियों को जो जेल में थे डकैती में फांस दिया गया। यह सब करिश्मे इन्हीं गृह मंत्री महोदय के जमाने में हुए हैं।

पुलिस की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आर्म्स एम्युनीशन के अवैध १७ कारखाने बरामद हुए जिनमें ७ राइफलें ५०८ बंदूकें, ६४ रिवाल्वर, २८८० पिस्टल, ५ हजार से ऊपर कारतूस बरामद हुए, लेकिन आप आनन्द से सोते रहे।

श्रीमन्, यहां एक डाक्टर हैं, डाक्टर खरे। उनका क्या काम है। उनका काम सिर्फ इतना है कि मंत्रियों की जी हुजूरी किया करें। माननीय रमेशचन्द्र जी को हार्ट अटैक हो गया। उनको टेलीफोन किया गया तो उनकी बीबी ने कहा कि वह इस समय भगवान की पूजा में मस्त हैं वह नहीं आ सकते। उनका काम केवल यह है कि वह एक अटैची उठा लेंगे और हर मिनिस्टर के बंगले पर जायेंगे मिजाज पुर्सी के लिये और वह एक सुई ३२ रुपए की लगाते हैं और उसके बाद मिनिस्टर चंगे होकर घूमते हैं चाहे वह ७० बरस के क्यों न हो गये हों। मैं बहुत सी चीजें लाया था आपकी आज्ञा होती सदन के सामने देता, लेकिन खैर समय नहीं है नहीं तो कहता।

अब मैं थोड़ी सी बातें शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इत्तिफाक से शिक्षा मंत्री जी भी हैं। विद्वान हैं पढे लिखे आदमी हैं और उस पर मुझ को भरोसा है। परन्तु जहां तक अध्यापकों की बात है वे पेरिटी के लिये चिल्लाते हैं। तो मंत्री जी लाभत्रयी योजना का शोर मचाते हैं। अध्यापकों का प्राविडेन्ट फन्ड वह भी उनका अपना जमा किया हुआ है, वह भी जमा नहीं किया जाता, बरसों तक उनका फन्ड वहां का मैनेजमेन्ट हज्म किये रहता है। जौनपुर के बारे में एक बार प्रश्न पूछा तो बताया गया कि ११ स्कूल है और फिर बताया कि ३४ हैं। वह जिला ही ऐसा है आप जो भी कहते हैं उसका भी पालन नहीं होता, कोई जबान की कद्र व कीमत ही नहीं हैं, जिसकी जबान नहीं उसकी करनी ही क्या हो सकती है।

मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा। कहा गया कि बड़ा कर्जा है ठीक है वह है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ला डिपार्टमेन्ट में वहां २० ऐसे टीचर्स हैं जो दस साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वह कनफर्म नहीं किये गये हैं। नतीजा यह होता है कि वह दूसरे विश्वविद्यालयों में चले जा रहे हैं केवल जो मजबूरी से पड़े हैं वही रह गये हैं। शिक्षा मंत्रालय इस पर विचार नहीं करता कि जब अध्यापक को सकून नहीं होगा उसको सन्तोष नहीं होगा और उनको उचित परिस्थितियों में काम करने का मौका नहीं

होगा तो वह क्या करेगा ? आयुर्वेदिक कालेज के ३५० मासूम बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, उनको होस्टल से निकालने की प्रिन्सिपल ने आज्ञा दी उनकी शांत हड़ताल थी एक दिन उन्होंने भूख हड़ताल भी की। उनकी मांग केवल इतनी है कि उनको आपने जो आश्वासन दे रखें हैं उनको पूरा करें। मैं ब्यौरे में नहीं जाता, लेकिन चूंकि वहां के प्रिन्सिपल किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं इसलिये उन्हें अहंकार है।

श्री उग्रसेन—

ठीक है, रिश्तेदार हैं —

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

वह उनके भाषण का भाष्य कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बीच में न बोलें।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

यह ३५० बच्चे आपके भी बच्चे हैं जिनको कालेज और होस्टल से निकाला गया, पुलिस बुलाई गई जब कि पुलिस की यह रिपोर्ट है कि बच्चे शांति पूर्वक कार्य कर रहे थे उनको नहीं छूना चाहिये। इस प्रिन्सिपल के खिलाफ बहुत से आरोप हैं आरोप की जांच की जाय और उन्हें दण्डित किया जाय। वह चूंकि मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार हैं और उनका दावा है, कि इसलिये उनके विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं होती। यह ३५० बच्चे आपके नाम पर आपकी सरकार के नाम पर, खाली सड़कों पर चक्कर काट रहे हैं और उनका समय और उम्र बरबाद हो रही है।

सरकार ने अध्यापकों का डी० ए० मंजूर किया लाभत्रयी योजना के अनुसार और एक प्रश्न के मौकेपर यहां पर उन्होंने स्वीकार किया भी कि डी० ए० लिया गया और उसका वितरण किया गया है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि इस लखनऊ शहर में ही केवल २ कालेज हैं एक क्रिश्चियन कालेज और दूसरा आई० टी० कालेज जहां डी० ए० निश्चित रूप से वसूल किया गया और बांटा गया अन्यथा कान्यकुब्ज कालेज, करामत उल्ला गर्ल्स आदि की इतनी दुरवस्था है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम होगी। अध्यापकों को डी० ए० वसूल करने के बावजूद डी० ए० नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इतनी बात की जिम्मेदारी लेंगे कि वहां के अध्यापक, डिग्री-कालिज के अध्यापक, सुचारु रूप से अपना काम कर सकें, अपना वेतन और उन्हें उचित समय से मिल सकें ? उनके पीछे कोई सी० आई० डी० या सफेद पोश आदमी न दौड़े जिससे उनके काम में कोई रुकावट पड़े। माननीय मंत्री जी ऐसी दुर्व्यवस्था को दूर करना होगा।

जहां तक मेडिकल विभाग की स्थिति का संबंध है, जिसके मंत्री माननीय दाऊ दयाल खन्ना जी हैं। वह अत्यन्त भयावह हैं। एक बार मैं अस्पताल में गया, मुझे खबर मिली कि वहां पर ३ स्त्रियों को गलत दवा देकर डाक्टरों के आदेश से मार डाला गया। कहते हैं कि नर्स ने डाक्टर से पूछा कि पैराफीन दे दी जाय। डाक्टर ने कहा हां। पर पैराफीन के बजाय उन्हें दे दी गयी कार्बोलिक एसिड या कोई और चीज जिससे ३ स्त्री मर गयीं। श्रीमन्, यह स्थिति है आपके डाक्टर और नर्स की। इनके अस्पताल में एक डाक्टर रिजवी और दूसरे श्री मलहोत्रा हैं जिन्होंने प्रोफेशनल मिस्कन्डक्ट किया। अस्पतालों में हमारी बहनें और बेटियां इलाज कराने के लिये जाती हैं न कि अपनी इज्जत और अस्मत लुटाने के लिये। अखबारों द्वारा इसका पर्दाफाश हुआ लेकिन यह सरकार और खासकर गृह मंत्री उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे डाक्टरों को तो नौकरी से बर्खास्त करना चाहिये। यह सही है कि वह बड़े अफसर की लड़की थी। लेकिन इससे क्या अन्तर पड़ता है। मैं समझता हूं कि उन्हें कभी भी नौकरी में नहीं रखना चाहिये, और जो रखते हैं, वे गुनाहगार हैं।

[श्री केशरी प्रसाद पांडेय]

आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस बजट को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि वित्त मंत्री इस बात पर तुले हुए हैं कि वह इस स्टेट की एकोनामी को ध्वस्त कर दें और भ्रष्ट कर दें। प्रदेश की जनता अपना खून सुखाकर इसलिये नहीं देती है कि इनके अधिकारी ३५०० मासिक वेतन लें और उनका जिन्दगी से खिलवाड़ करें। मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो इस तरह से खिलवाड़ किया है, क्या वे इस पर विचार करेंगे। १९६६-६७ के बजट में केवल ३१ लाख रुपये का घाटा है। यह इतना कम धनराशि है कि अगर सरकार जिस तरह से भी चाहे पूरा कर सकती है। और किसानों पर बढ़ा हुआ चवन्नी बढ़ान वापस ले सकती है। लेकिन यदि चवन्नी वाले आदेश को वापिस नहीं किया गया है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, चाहे वे इस ओर के बैठने वाले हों, या उस ओर के बैठने वाले हों, "नो रेन्ट" कैम्पेन अवश्य आरम्भ करें।

श्री ए० सी ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस माननीय सदन का सन् १९५२ से मेम्बर हूं और कोई साल ऐसा नहीं हुआ जब कि २-२ सप्लीमेन्टरी बजट पेश न हुए हों। मैं समझता हूं कि इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। हमारे जो विरोधी भाई कहते हैं, वह कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो बजट बनाने के लिये बैठता है, इन्कम और एक्सपैन्डिचर को ध्यान में रखता है फिर पता लगता है आटा दाल का भाव क्या है।

श्रीमन्, मैं, आपके द्वारा सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं कि पाकिस्तान के एग्रेशन के समय में भी प्रदेश में इतनी शांति रही, जिसको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। शुरू में मुझे आशा थी कि जरूर झगड़े हो जायंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर कहीं पर कोई मामूली किस्सा हो जाता है तो उसके लिये माननीय हरगोविन्द सिंह जी पर इल्जाम लगाया जाय यह मेरी समझ में नहीं आता है। एक बड़े तालाब में अगर एक गन्दी मछली हो जाय तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारा का सारा तालाब ही गन्दा है। मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि इस स्टेट में शांति रखी। जिस समाज को यह लोग गाली देते हैं उसी की बदौलत यह लोग रास्ते पर चल पाते हैं इसको कोई नहीं देख पाता। खाली शिकायत करते हैं। हम मानते हैं कि शिकायत वाली बातें हैं, परन्तु साथ में यह भी होना चाहिये कि जो धन्यवाद देने की बात हो उसके लिये धन्यवाद दिया जाय।

बजट में ऐजूकेशन के लिये अनऐक्सपेक्टेड ऐक्सपेंडिचर आ गया और उसका कारण तीन यूनिवर्सिटीज उनके डेफिसिट को वाइप आउट करने के लिये ग्रान्ट का देना है। महापालिका बिल पर मैंने कहा था कि लोकल आटोनामी आजकल फिजूल है। अंग्रेजों के जमाने में आटोनामी का बेट हमारे सामने इसलिये फेंका जाता था ताकि हम लोग खुश रहें कि हमको भी ऐडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा दिया जाता है। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए तो इन छोटी छोटी अटोनोमीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं बराबर देख रहा हूं कि यूनीवर्सिटी अटोनामी की वजह से हर साल सरकार को लाखों रुपया यूनिवर्सिटीज के डेफिसिट को वाइप आउट करने के लिये देना पड़ता है।

सरकार ने गर्ल्स एजूकेशन को हाई स्कूल स्टेज तक और लड़कों की ऐजूकेशन को छठी क्लास तक फ्री कर दिया इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। सरकार ने जो टीचर्स के लिए ट्रिपिल बेनीफिट फ्री स्कीम चालू की है उसके लिये कोई धन्यवाद नहीं देता। हमारे शिक्षा मंत्री १० हजार में एक आदमी हैं जो फाइनेंस और एजूकेशन डिपार्टमेन्ट्स को अच्छी तरह से चला रहे हैं और इसी स्ट्रेन के कारण उनको हार्ट अटैक हुआ। जब से मैं यहां का मेम्बर हूं कभी भी मैंने पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं सुना। माननीय राजनारायण सिंह भी कभी पर्सनल अटैक नहीं करते थे, मैंने उनके मुंह से कभी पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं सुना, आज श्री

के० के० दास पर इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म होता है, दिस इज ऐन अनहैल्थी डेमोक्रेटिक साइन जब अपोजीशन किसी इंडिविजुअल पर अटैक करे। बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन होना चाहिये। लेकिन इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म को मैं डिप्लोर करता हूं।

गल्ले के बारे में मुझे यह कहना है कि आज सवेरे क्वेश्चन आवर में ट्यूबवैल्स की मरम्मत के लिये बात उठी थी। क्या यह नहीं हो सकता कि जब ट्यूबवैल खरीदें तो कम से कम स्टैन्डर्ड के ले लें ताकि उसका मेंटेनेन्स ठीक रहे और रोज रोज की गड़बड़ी उसको फंक्शनिंग में न रहे? खराब किस्म के लेने से गड़बड़ी होती है और काम भी कुछ नहीं होता है। पानी इतना कम है, बरसात हो नहीं रही है लिहाजा जब तक कुवों का इन्तजाम नहीं होगा तब तक सिंचाई का इन्तजाम नहीं हो सकता और मेनटिनेन्स हो नहीं पायेगी।

मुझे इस तरफ भी ध्यान दिलाना है कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पिछले २१ साल से यह उम्मीद हो रही थी कि उनके यहां प्राविडेन्ट फन्ड स्कीम चालू हो जायगी, लेकिन कुछ नहीं हो सका है जिसका नतीजा यह है कि वहां कोई रहना नहीं चाहता। जब तक टीचर्स को ट्रेन्ड न किया जायगा तब तक शिक्षा बढ़ न सकेगी क्योंकि अनट्रेन्ड टीचर्स को कालेजेज में रखकर उनको ट्रेन्ड किया नहीं जा सकता, लिहाजा जब तक उनको प्राविडेन्ट फन्ड स्कीम की सुविधा नहीं दी जायगी तब तक टीचर्स ट्रेनिंग फेल रहेगी। इन शब्दों के साथ जो सप्लीमेन्टरी बजट पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत सप्लीमेन्टरी बजट थर्ड फाइव ईयर प्लान का अन्तिम सप्लीमेन्टरी बजट है। ऐसी हालत में इन छोटे से आंकड़ों को देखकर हम अपनी सफलता को अंकित नहीं कर सकते। इसलिये मैं माननीय सदन के सामने थर्ड फाइव ईयर प्लान के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। थर्ड फाइव ईयर प्लान पहले ४९७ करोड़ का था अब वह बढ़कर ५६२ करोड़ से ज्यादा का हो गया है और जब जैसी आवश्यकता पड़ी हम रुपये के खर्च को बढ़ाते चले गये। लेकिन फायनेन्शियल रिपोर्ट से जैसी यू० पी० की फायनेन्शियल पोजीशन मालूम होती है उसमें पर कैपिटा इनकम घट गयी। उसका विवरण इस प्रकार है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के पहले साल में २ रुपये प्रति व्यक्ति औसत आमदनी घटी, दूसरे साल में ६ रुपये घट गयी और तीसरे साल में वह एडीशनल कमी ४.५० रुपये हो गयी। एक तरफ हम धन की बढ़ोत्तरी चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी स्टेट के रहने वाले लोगों को गिरती हुई हालत को देखते हैं तो यह विवश होकर कहना पड़ता है कि सरकार या तो अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने में असफल रही अथवा इस राज्य को चलाने में पूर्ण अयोग्य साबित हुई।

दूसरे, इस सत्र के पहले सेशन में ४ ऐसे बिल आये थे जो सिर्फ टैक्सेशन संबंधी थे। और जिसमें केवल १३ करोड़ रुपये की वसूली का सवाल रखा गया था जो चौथे प्लान में सहयोग दे और उसमें कुछ इमर्जेन्सी के नाम पर भी कुछ आंका गया था जिससे जनता से कुछ धन लेने की जरूरत है। इसके लिये कृषकों पर, कर्मचारियों पर टैक्स लगाया गया और यहां तक कि इंटरटेनमेन्ट टैक्स बढ़ाया गया और मोटरों का भी किराया बढ़ाया गया। ऐसी सूरत में हर तरफ से १३ करोड़ रुपये के लिये साढ़े सात करोड़ जनता को भारी धक्का पहुंचाया गया है।

अब श्रीमन्, देखना यह है कि यह टैक्स क्यों लगाना पड़ा? आपकी जो कमजोरियां हैं और जो वायदे हैं उन पर हमें विचार करना है। मैं आंकड़ों के द्वारा इस सरकार की नाकामयाबी का एक छोटा सा नमूना इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने रख रहा हूं। फोर्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रदेश को हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा जो रुपया आय कर और एक्साइज मद का दिया है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। उससे स्पष्ट हो जायेगा कि यह सरकार अपनी गद्दी कायम रखने के लिये

[श्री रामआधार कनौजिया]

केन्द्रीय नेताओं के हाथ में कठपुतली बनी हुई है जो जनता की गरीबी और परेशानियों को उनके सामने सही ढंग से रखने की हिम्मत नहीं करती है। इनकी चोटी केन्द्र में फंसी हुई है और यह अपना निर्णय लेने के लिये तैयार नहीं है। वह इस प्रकार है जैसा कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि ६६.२ परसेन्ट और मदों में बढ़ाकर ७५ परसेंट सब्सीडी बनाने की स्वीकृति ले ली। लेकिन वितरण में देखा जाये तो मालूम होगा कि आंध्र को १३.५० करोड़, केरल को, २०.८२ करोड़, मैसूर को २०.८२ करोड़ और उड़ीसा को २९.१८ करोड़ रुपया मिला है और उत्तर प्रदेश को केवल ९.८५ करोड़ रुपया मिला है। जब कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीब है और इसकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। तो यह इस सरकार के कारनामों का ही परिणाम कहा जा सकता है कि इतना गरीब होते हुए, इतना अविकसित होते हुए भी यहां की जनता जिन परेशानियों में अपना जीवन बिता रही है, अगर सही मापदन्ड केन्द्रीय सरकार के सामने रखा गया होता तो क्या इतना ही रुपया इस प्रदेश को मिलता? अगर ठीक मापदन्ड रखा जाता तो कम से कम ३५–४० करोड़ इस प्रदेश को मिलता। इन्होंने जो १३ करोड़ रुपये के टैक्स लगाये हैं वे इस सरकार की पूर्ण असफलता का नमूना है। इस सरकार ने अपनी कुर्सी कायम रखने के लिये प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता को दुख पहुंचाने का प्रयास किया है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। मैं आप से निवेदन करता हूं कि यह गरीबों और विशेषकर कृषकों के कंधों पर बोझा रखा है। आज उनकी सहायता करने की जरूरत है। इसलिये जरूरत है कि २५ परसेन्ट जो उनके ऊपर टैक्स बढ़ा है और कुछ अंश सुरक्षा के नाम पर रखा था, इसको अपनी कमजोरियों को न छिपाकर समाप्त करने की कृपा करें। मान्यवर, यह सरकार कैपिटलिस्ट को ज्यादा मदद दे रही है और काश्तकारों को इगनोर करती जा रही है।

(व्यवधान)

श्री हरीसिंह मजदूरों के बारे में पूछ रहे हैं। मैं श्री जगजीवन राम जी के एक बयान की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अहमदाबाद में जब चार टेक्सटाइल मिलों का निरीक्षण कराया गया तो यह देखा गया कि ९८० रुपया प्रति मजदूर कर्जा लगा हुआ है। आमदनी से छः गुना ज्यादा कर्जा है। इस देश में जहां मजदूरों की यह हालत हो, खाने के लिये कर्ज लेना तो दूर रहा, अगर उनके लड़के की मृत्यु हो जाती है तो उसका अन्तिम संस्कार करने के लिये भी कर्ज लेना पड़ता है। जहां मजदूरों की यह हालत हो ऐसी सरकार जो अपने को जनप्रिय और समाजवादी सरकार कहती है, यह दोषपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह हमारे वित्त मंत्री जी ने आदरणीय सदन में १९६६–६७ का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके लिये बधाई देता हूं।

(व्यवधान)

सब बजट एक हैं। श्रीमन् जहां तक इस सप्लीमेन्टरी बजट का संबंध है यह तो जब वर्ष का अन्तिम समय आता है और कुछ कार्य ऐसे रह जाते हैं जिनका भुगतान नहीं हो पाता तब इस किस्म के बजट आदरणीय सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकत पड़ती है। इस सप्लीमेन्टरी बजट पर विवाद का प्रश्न ही नहीं है। इसको पारित करना है। इस पर विरोधी दल के माननीय सदस्य और हम क्या कहें? जब सालाना बजट आ रहा है आपको उस पर विचार व्यक्त करना चाहिये। यह सरकार कल्याणकारी सरकार है जिसने नैतिक स्तर काफी उठाया, मनोबल उठाया। दलितों और गरीबों को उबारा। आप लोगों को अधिकार दिया कि छोटे-छोटे किसानों की दुहाई दें और जब आवश्यकता पड़ती है तो किसानों को मारने के लिये, शोषण करने के लिये सब तैयार, विरोधी दल विशेष रूप से। कांग्रेस के लोग तो डरते हैं। लेकिन जब हम गांव

में जाते हैं, खेतिहर मजदूरों को देखते हैं जिनका जीवन खेत पर निर्भर है, इससे ज्यादा जमींदार भी शोषक नहीं था। जितने विरोधी दल के नेता हैं जो कांग्रेस से रूठ जाता है वही विरोधी-दल में सम्मिलित हो जाता है और किसान मजदूर की दुहाई देना शुरू कर देता है ताकि उनकी सद्भावना उनके प्रति खिंच सके।

सर्व प्रथम यह देखना चाहिये कि सरकार ने कितनी उन्नति की। उस वह लोग भी शामिल हैं और यह लोग भी शामिल है। सभी ने मिलकर उस बोझ को उठाया है और इस सरकार का विशेष उसमें हाथ रहा है। जहां तक मजदूरों और किसानों का वेतन और रोज मर्रा की मजदूरी का सवाल है उनको जीने लायक मजदूरी भी नहीं मिलती है, उन्हें कम से कम दिया जाता है। इस सरकार को पता नहीं और बड़े-बड़े अफसरों के वेतन और भत्ते हर साल और प्रत्येक मास बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो चपरासी हैं और सिपाही जो अपनी जान पर खेल रहे हैं उनको कोई भी इस बढ़ती हुयी मंहगाई में बढ़ोतरी नहीं दी जाती है। अफसर तो आराम से बैठकर दिन भर सिगरेट पीते हैं, गिटपिट करते हैं और दिन भर में बस दो फाइल निकालने का काम करते हैं, इस पर उनको इतनी-इतनी लम्बी तनख्वाह मिलती है। छोटे नौकर और मजदूरों के वेतन वृद्धि के लिये न तो विरोधी दल के लोग ध्यान देते हैं और इधर का तो कहना ही क्या ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यही तो आपका कल्याणकारी राज्य है।

श्री हरीसिंह—

है, क्यों नहीं, इसने देश का कल्याण किया है, देश की सुरक्षा की है, इसने देश की मान मर्यादा बढ़ाई है। क्या आप कल्याणकारी राज्य बनायेंगे, जिनमें आपस में संगठन नहीं है, जो खुद तो किसान मजदूरों का शोषण करते हैं और उन्हीं के कल्याण की दुहाई देते हुये कांग्रेस को गालियां देते हैं। इस साल एक पैसा भी जनता पर टैक्स का नहीं बढ़ाया गया। क्या आपकी सरकार होती तो बिना टैक्स के राज्य चला लेते ? हमारे राज्य में न शोषण है, और न होगा। यह आज नहीं, कल आपको मानना पड़ेगा कि यदि इस प्रदेश का शासन, कहीं दुर्भाग्य से विरोधी लोगों की सरकार बनी, तब इनको पता चलेगा कि कांग्रेस कितना कल्याण कर रही थी। क्योंकि जब आप लोग बहुमत में नहीं हैं तब तो इतना किसानों और गरीबों का शोषण कर रहे हैं जब बहुमत में होंगे तो कितना करेंगे, इसका क्या हिसाब है।

(व्यवधान)

जनहित के जो काम हैं वह बहुत से बहुत अच्छी तरह से इस सरकार ने किये हैं। जनहित की दृष्टि से इस सरकार ने कुम्भ के मेले में बहुत अच्छा प्रबन्ध किया था। हमारे जिले में गढ़ के मेले में भी बड़ा सुन्दर प्रबन्ध था, लेकिन परिवहन विभाग के बारे में, उसके प्रबन्ध का क्या कहना। परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार हैं उनको न मंत्री देखने वाले हैं और अफसर का तो कहना ही क्या। उनको तो अपने वेतन से काम रहता है, जनता चाहे जहां जाए और उसकी चाहे जो हालत रहे।

प्लानिंग डिपार्टमेंट और कृषि डिपार्टमेंट की भी हालत बड़ी खराब और भ्रष्ट है। कृषि विभाग के फार्मों में आज तक एक पैसे का फायदा नहीं हुआ है क्योंकि वह अफसर इन्हें चला रहे हैं जिन्हें खेती का जरा भी प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। श्रीमन्, यहां तक कि एक माघी हस्तिनापुर की डेरी थी, उन्होंने उसको भी लेकर उसे सेठ लोगों के हाथों में दे दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं वितरण का काम छोड़ कर उसका ठेका दे दिया जिस से अब गरीबों का शोषण होगा और उसका मुनाफा बड़े-बड़े सेठ साहूकारों की जेबों में जाएगा।

[श्री हरीसिंह]

जहां तक प्लानिंग विभाग का सम्बन्ध है, इसमें जो आपने बी० डी० ओ० वगैरह बढ़ा रखे हैं वे सब रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई मंत्री या उपमंत्री इनको देखने वाला नहीं है, वे सब अपनी मौज में लगे हुये हैं। वहां तो रुपये का अपव्यय हो रहा है और ये क्या यहां पर इसीलिये हैं कि प्लानिंग विभाग मौज करे? कोई बात कहने पर मंत्री महोदय सुनने को तैयार नहीं हैं और डांट दिलाते हैं और कहते हैं कि सब मेम्बर ऐसे ही कहते हैं। आपके प्लानिंग अफसर तक कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। वे एम० एल० एज० को नौकर समझते हैं और सरकार इनकी कोई पूछ तांछ करने वाली नहीं है। इसका कारण यह है कि जो हमारी प्रजातांत्रिक सरकार है, वह जनता की चुनी हुयी सरकार है और यहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि कोई बात पूछी जाय तो उसका संतोषजनक उत्तर तो मिले, लेकिन वह भी नहीं होता है। प्लानिंग विभाग को जो आपने जीप दे रखी है उसका किस तरह से दुरुपयोग होता है उसको इधर के और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्य जानते हैं। आपको चाहिये कि प्लानिंग विभाग से जीपों को वापस ले लें और उस रुपये को बचायें।

एक बात मैं यह भी चाहता हूं कि हमारा प्रदेश आप बांट दीजिये क्योंकि सारे पश्चिमी जिले कमाते हैं और पूर्वी जिले खाते हैं, फिर भी रोज चिल्लाते हैं। केवल मेरठ जिला ही १९ करोड़ रु० टैक्स के रूप में देता है और उस पर मुश्किल से आपका ३ करोड़ रुपया ही खर्च होता है। पिछले १५ सालों में क्या आपने एक पैसा भी मेरठ जिले को दिया है? मैं तो कहता हूं कि पश्चिम की ५ कमिश्नरी एक तरफ और पूरब की ५ कमिश्नरी को एक तरफ करके दो हिस्सों में बांट दीजिये, हम एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त—

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई बन्द करने पर अमेरिकन गेहूं देने की जो अपमान जनक शर्त लगायी गयी है उससे राष्ट्र के नेताओं की अक्ल खुल जानी चाहिये थी और सबसे जरूरी यह महसूस करना चाहिये था कि कृषि उत्पादन के लिये किसानों को उत्साह दिया जाय, साधन दिये जायं ताकि गल्ले का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। मैं समझता था कि इस बजट में इस उत्तर प्रदेश की गुटबन्दी के दलदल में फंसी हुई सरकार कुछ ध्यान देगी और इस दिशा की ओर बढ़ेगी। इसकी थोड़ी-सी झलक मुझे इसमें देखने को तो मिली क्योंकि पहले की अपेक्षा कृषि के उत्पादन के लिये कुछ अधिक खर्च करने की बात है लेकिन कृषि उत्पादन की अपेक्षा कर्मचारियों पर ज्यादा खर्चा बढ़ाया गया है। इस सरकार के पीछे जो असली शक्ति श्री बनारसी दास हैं उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जिन किसानों को अन्न उत्पादन की यह जिम्मेदारी दी है उनको वे सहूलियतें भी देंगे जो बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिये उद्योगपतियों को देते हैं? यदि ३ साढ़ ३, रुपये प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर तीन साल तक ऋण न लेने तथा किस्त पर वसूली की व्यवस्था भी कर दी जाय और कुएं खोदने, नलकूप बनाने और जलाशयों में बरसाती पानी को इकट्ठा करके सिंचाई करने की व्यवस्था हो जाय तो इस से बहुत काम हो सकता है और अन्न की पैदावार भी बढ़ सकती है। लेकिन आपने यह काम नहीं किया है। मेरा फतेहपुर जिला जो बांदा से लगा हुआ है, वहां कृषि उत्पादन के लिये बहुत जमीन पड़ी है, वहां मेहनती लोग हैं, वहां आपने कोई कारखाना भी नहीं लगाया है, और हर तरह से वह पिछड़ा हुआ है। इलाहाबाद की इन्दराजी हैं, लाल बहादुर जी वहीं के थे, नेहरू जी वहीं के थे, वहां के लिये सड़कें हैं, जगन प्रसाद जी के जिले में सड़कें हैं, देहरादून में सड़कें हैं, बिजनौर में सड़कें हैं, यानी जहां-जहां के नेता हैं वहां तो काफी अच्छी सड़कें हैं लेकिन हमारे यहां छाता ब्लाक का ब्लाक बिना सड़क के खाली पड़ा है। हमारी कमिश्नरी में मेरे जिले का ब्लाक छाता धान की फसल में फर्स्ट आया पर वहां एक इंच भी पक्की सड़क की व्यवस्था

नहीं है। तो जैसे आप हमको यहां दबाना चाहते हैं वैसे ही आपको ऊपर से कामराज जी भी दबाना चाहते हैं। अगर आप सही मानें तो दबे हुये लोगों को जरा उन्नतिशील लोगों के समक्ष लाना चाहें तो लोग आपकी सराहना करते। जितने थाने हैं, ब्लाक सेन्टर्स हैं और जहां-जहां उपजाऊ क्षेत्र हैं वहां पर आप पहले पक्की सड़कें देते, यही सीधी सी योजना आपके सामने होनी चाहिये। फतेहपुर जिला केवल कृषि पर आधारित है। दोआब का इलाका है। उत्तर में जाह्नवी (गंगा) बहती है और दक्षिण में यमुना बहती है, यह क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहा जाता है, जिसने संस्कृत का ज्ञान लोगों को दिया उसमें आपने एक भी नलकूप नहीं रखा।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

अध्यात्मविद्या के प्रचार करने वाले को संतोषी होना चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—

आप हमें अध्यात्म की शिक्षा न दीजिये। मैं मानता हूं कि आपने आजादी की लड़ाई में काम किया है तो हमने भी आप से कम काम नहीं किया है, नेगी जी। आप हमें उपदेश न दीजिये, वहां नलकूप खुलाइये। आपका विभाग भी ज्यादा उपज पर आधारित है। अगर उपज ज्यादा होगी तो आपकी दुकानें चलेंगी, नेताओं की दुकानें चलेंगी। आप शान्ति प्रपन्न जी से कहिये कि ज्यादा नलकूप हमारे जिले फतेहपुर को दें तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा जिला आपको अब से ड्योढी पैदावार करके दे देगा। लेकिन सिंचाई के साधन नहीं हैं। राम गंगा नहर बनी, लेकिन पानी नहीं, फसल सूख गयी, नहरों से पानी समय पर पहुंचा नहीं। मैं पूछता हूं कि आपके अधिकारी क्या करते हैं? आप एक कमेटी बैठाइये जो यह देखे कि कहां-कहां अधिकारियों की गलती की वजह से समय पर पानी नहीं पहुंचा और जिसके कारण किसान आपको गल्ला नहीं दे सका। आप अमेरिका के गल्ले से नेगी जी, कब तक जनता को खिलाते रहेंगे? गेंदा सिंह जी अभी चले गये। वे बेचारे हमारे जिले में कृषि का फार्म देखते गये। वहां जो अगुवा अफसर थे उन्होंने कहा कि केवल एक बैल ही फार्म में वर्षों से है। तो गेंदासिंह जी किसान आदमी फौरन बोले कि या तो उनसे वह भी बैल ले लिया जाता या उनको दो बैल दिये जाते। एक बैल किस तुक से? बिना दो बैल के खेती कैसे हो सकती है? वे गेंदासिंह जी थे, किसान के लड़के, हरगोविन्द सिंह नहीं थे जिन्होंने जिन्दा आदमी को मरा दिखा दिया और आदमी गिरफ्तार भी हो गये, पकड़े भी गये। दूसरा कोई होता तो ऐसे दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करता, लेकिन वे क्या कर सकते हैं जो नौकरशाही के इशारे पर नाच रहे हैं।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनुपूरक बजट आता ही नहीं अगर सही तरीके से खर्चा होता अगर आपका उत्पादन अधिक होता। जितना पैसा, उतना काम, चाहे सरकारी नौकर हो, चाहे उद्योग वाले हो, सबके लिये एक ही कसौटी हो। यदि ऐसा होता तो आज यह स्थिति न आती। कई लाख रुपये हर जिले में उद्योग धंधों के लिये दिया गया लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। मेरे जिले में एक ब्लाक प्रमुख हैं रामगोपाल जी, कांग्रेसी नेता हैं। १० साल पहले उन्होंने खरंजा लगाने के लिये १० या ५ हजार रुपया लिया सरकारी खजाने से। माननीय रक्षपाल सिंह जी ने यहां सवाल किये कि उसका उपयोग नहीं हुआ और उनसे वसूल किया जाय। आदेश भी आया पर अब वहां के जिला परिषद् के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने उसको इस तरह से रूप दिया है कि अब उसको वसूल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह दिया गया है। यानी जनता का इतना रुपया बेकार गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी दल इस दलबन्दी को छोड़े। अच्छे आदमी भी हर दल के अन्दर हैं। तो सबसे पहले यह काम किया जाय कि शासक दल को शुद्ध किया जाय तो देश की तरक्की इन्हीं हाथों हो सकती है। अब दशा यह है कि कोई आदमी चाहता है कि बनारसी दास की जगह आजाऊं, कोई चाहता है कि बनारसी दास जी ही डिक्टेटर बने रहें।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

आप क्यों घबराते हैं और परेशान हैं?

[श्री दीपनारायण सिंह]

हम इसलिये परेशान हैं कि आपकी दलबन्दी से प्रदेश का नाश हो रहा है। प्रदेश के लोग मर रहे हैं और हम भी मरे जा रहे हैं। यहां के लोगों पर टैक्स पर टैक्स आप लगाते जा रहे हैं। आपने लगान और मालगुजारी बढ़ाई है। आप किसान को ही खाना चाहते हैं और खतम करना चाहते हैं, जो आपके हैं। आपने २५ फीसदी किसानों पर अधिभार लगाया है। शकर उसको ब्लैक मारकेट से खरीदनी पड़ती है। हर एक चीज उसको ब्लैक मारकेट से लेनी पड़ती है। उसकी कमर टूट रही है। इस तरह की आपने महंगाई कर दी है कि वह परेशान है। हम समझते थे कि ताशकन्द घोषणा के बाद लोगों को शान्ति से बैठने का अवसर मिलेगा और यह टैक्स जो आपने लगाया है उसको वापस किया जायगा लेकिन हम देखते हैं कि यह जो आपका अनुपूरक बजट आया है इसमें कोई राहत किसानों को मिलने वाली नहीं है। आप ज्यादा बोझ किसानों पर ही लादते चले जाते हैं। यहां पर आप बजट पेश कर रहे हैं उधर किसान मर रहा है। इससे उत्पादन बढने वाला नहीं है। इसलिये पहला काम यह कीजिये कि आप उत्पादन बढ़ाइये। अपने प्रदेश में अगर टैक्निकल लोगों की जरूरत है तो उनको शिक्षित करने में हर एक छात्र को स्कालरशिप दीजिये। आप उनको २५, ३० रुपये स्कालरशिप देते हैं। आप गरीब आदमियों के लड़कों को, अछूत और बैकवर्ड क्लास के गरीब लड़कों को स्कालरशिप पूरी तरह दीजिये। मैं यह जानता हूं कि कुछ बड़े आदमियों के लड़के भी पहुंच जाते हैं और वे भी स्कालरशिप पा जाते हैं। हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको भी मिलना चाहिये लेकिन मेरा निवेदन है कि गरीब लड़कों को दिया जाय। हमको भी दिक्कत सामने आती है और आपको भी दिक्कत आती होगी लेकिन गरीब लड़कों का ध्यान रखा जाय। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपकी आलोचना आलोचना के लिये करते हों। आप आये या कोई भी आये लेकिन हम यह देखते हैं कि पिछले १८ साल में आजादी के बाद जो चीज हमको मिली है उसको हम यह कह सकते हैं कि उसका दुरुपयोग न किया जाय। जनता में इस तरह की भावना पैदा नहीं होना चाहिये जिसे जनता यह समझे कि उसके ऊपर बोझ लादा जा रहा है। यहां पर असेम्बली में जजों का झगड़ा हुआ लेकिन उसका बोझ जनता पर जाकर पड़ा। दोनों पक्षों को जनता का रुपया दिया गया और जनता का रुपया व्यय हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं ग्वालियर गया तो उन लोगों ने कहा कि यू० पी० में कुछ नहीं हो रहा है। यहां के लोगों को तो लड़ाई झगड़े से ही फुरसत नहीं है। वहां पर उन्होंने बताया कि अच्छा काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि फतेहपुर को कानपुर और इलाहाबाद के नेताओं के जिलों के बीच में दबाया न जाय, नहीं तो वहां के लोग बगावत कर देंगे। इसलिये उनको भी दबाया न जाय, उनको उठाने का प्रयत्न किया जाय।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वस्थ परम्परा स्थापित करने के लिये और जनतंत्र की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि विरोधी पार्टी स्वस्थ आलोचना करे। मैं केशरी प्रसाद पांडेय जी का बड़ा आदर करता हूं साथ ही मैं एक बात बहुत विनम्र रूप से उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आलोचना करना तो हमारा कर्तव्य है पर व्यक्तिगत आलोचना से हमको दूर रहना चाहिये। यह परम्परा हमको अवश्य स्थापित करनी चाहिये। केशरी प्रसाद जी पांडेय मुझे क्षमा करेंगे कि अधिकतर उनके भाषण में व्यक्तिगत आक्षेप ही रहे। ऐसी बात मैं समझता हूं कि हमारी स्वस्थ परम्परा को स्थापित करने में सहायक नहीं हो सकती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आलोचना तो उन्होंने की और हमारी खराबियों को भी बताया। हमारी खराबी को बताइये, यह ठीक है। ऐसा करना भी चाहिये। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि हमारी तरफ से कुछ अच्छाई का काम भी हुआ है? कुछ हमने अच्छे काम भी किये हैं। उसके लिये अगर वह एक शब्द भी कह दिये होते तो मैं प्रसन्न हुआ होता और उनको इसके लिये बधाई भी देता। क्या यह सही नहीं है कि अभी कुम्भ के अवसर पर जहां ७० लाख व्यक्ति प्रयाग में स्नान करने गये थे वहां एक भी दुर्घटना नहीं हुई और इतनी शान्ति से वहां पर कार्य हुआ? क्या उसके लिये सरकार बधाई की पात्र नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि खाद्यान्नों की कमी होते हुये भी सरकारी

दूकानों की कमी हो जाने के बावजूद आज गल्ले की उतनी कमी नहीं है, बाजारों में गल्ले के भाव बढोतरी पर नहीं हैं, बल्कि कमी पर हैं, परसाल के मुकाबले में ? क्या यह सही नहीं है कि आज के इस इमरजेन्सी काल में भी स्थिति ऐसी है कि अपराधों में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि अपराधों में कमी हुई है ? तो क्या इसके लिए सरकार बधाई की पात्र नहीं है ? क्या इसके लिये दो प्रशंसा के शब्द कहना उनके लिये उचित नहीं था ? "निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय" यह ठीक है, उनका कहना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप हमारी अच्छाइयों को भी देखिये ।

इन बातों के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने विकास मंत्री महोदय से कुछ बातें । पटेल आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत हमारे पूर्वी जिलों में कुछ जिले लिये गये थे जिसमें मेरा जिला आजमगढ़ भी था । बहुत आवश्यकता थी और मुझे विश्वास था कि वहां उसके अन्तर्गत कुछ विकास के कार्य हो सकेंगे । जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत कुछ सड़कें ले ली गयीं और उसमें दुर्भाग्य यह है कि वे काम भी पूरे नहीं हो रहे हैं । मैं एक उदाहरण दूं कि बलिया से आजमगढ़ को मिलाने वाली एक सड़क बिलोसी-भीमपुर सड़क है जो इन जिलों के पिछड़े भागों से होकर गुजरी है । उसको पक्की कराने की मंजूरी हुई और उसके लिये रुपया भी करीब चार लाख मंजूर हो गया था । सड़क पर मट्टी पड़ गयी थी, किसानों को इतना उत्साह हुआ कि उन्होंने खड़ी फसल कटवा दी, कंकड़ भी करीब करीब इकट्ठा हो गया है । लेकिन अभी मैंने सुना है कि उस सड़क का काम भी रोक दिया गया है इसी तरह से और भी काम जो हुये हैं वे बेकार पड़े हैं । अभी एक प्रश्न हुआ था माननीय इन्द्रासन सिंह जी का, उन्होंने कहा था कि बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बहुत सी धनराशि पूर्वी जिलों के लिये दी गयी थी । बाढ़ से वहां तबाही हो रही है । बाढ़ सुरक्षा के अन्तर्गत जो धनराशि उन जिलों में गयी थी वह रुपया खर्च नहीं हो पाया है और बहुत सा रुपया लैप्स हो गया है । तो इस तरह से विकास कैसे हो सकेगा ? पिछले १५ वर्षों से मैं स्वयं इस बात का प्रयास करता रहा हूं कि आजमगढ़ जिले में अधिक सड़कों का निर्माण हो। मेरे जिले आजमगढ़ में करीब २३ नदियां बहती हैं और हर साल वहां बाढ़ से तबाही हो जाती है । छोटी सरजू नदी जिले के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है । वहां अतरई नाम का एक बाजार है जिसमें सनई, सुतली, आदि का बड़ा कारोबार होता है और वहां से एक सड़क प्रयाग राज के लिये जाती है, पक्की सड़क भी हो गयी है । उस नदी पर पुल बनाने के लिये भी बहुत दिनों से लोगों की मांग रही है । उसके लिये कई बार जिला परिषद् ने भी प्रस्ताव किया । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पहले उसका ८ लाख का एस्टीमेट बनाया, फिर वह पांच लाख का हुआ और बाद में तीन लाख का इस्टीमेट बना । जिला परिषद् ने उस पर ५०,००० रुपये में पुल बनाने की बात कही, लेकिन अभी तक उसका बनना संभव नहीं हो सका है । उसी छोटी सरजू नदी पर करतारपुर नामी गांव में एक पुराना पुल बना हुआ है । वह टूट गया है और उस पर कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं । कई लोग नदी में गिर कर मर गये हैं, कई बार घोड़े गिर चुके हैं, बनिये सामानों के साथ गिर गये हैं। वह रास्ता अतरौलिया बाजार से होकर जाता है उस सड़क पर पुल के निर्माण के लिए बार-बार प्रयास किया गया, लेकिन पुल नहीं बन सका।

इसी तरह से मैं निवेदन करूं कि बाढ़ सुरक्षा के धन का क्या हो रहा है ? अगर अधिकारी ध्यान देते तो छोटी-छोटी नदियों में पुल बनवाने की व्यवस्था हो सकती थी जिससे कम से कम बरसात के दिनों में—यातायात की सुविधा हो जाती—क्योंकि इन नदियों में पानी ३-४ महीने रहता है—उन दिनों इतना विकट रास्ता हो जाता है कि आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और यातायात बन्द हो जाता है। तो थोड़ा सा यदि अधिकारीगण सतर्क रहते तो यह समस्याएं हल हो सकती थीं। जो रुपया इधर जाता भी है, उसका सदुपयोग नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि आज का हमारा अधिकारी वर्ग ज्यादा ध्यान जनहित की ओर नहीं देता। मैं सब को तो नहीं कहता, लेकिन आज कल वे लोग कमरे में हीं ज्यादा रहते हैं और कमरे के अन्दर फाइल का डिस्पोजल ही करते रहते हैं। आज समय की मांग है कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों

[श्री बृजबिहारी]

को गांव गांव जाना चाहिये, हमारी समस्याओं को देखना चाहिए और किसान जो कराह रहा है उन कराहों को सुन करके उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हम थोड़ा सा जाग्रत हो जायं। विकास के काम हुए हैं, इस में दो रायें नहीं हैं। अनेकानेक काम हुये हैं और हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ जनता को जो कष्ट हो गया है, जनता जो दुखी और परेशान है उसकी समस्याओं को हल करना भी हमारा कर्त्तव्य हो जाता है।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह आक्षेप किया कि यह अनुपूरक बजट क्यों आता है? यह हमारी अच्छी पद्धति का प्रमाण है, ऐसा होना ही चाहिये। जब खर्च होते हैं, काम होते हैं, तो पैसे की मांग होती ही है और उसकी स्वीकृति होनी ही चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के सम्बन्ध में, जो कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत है, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, जो मैंने बहुत गौर से सुने। माननीय हरीसिंह बोल रहे थे, उनको भी मैं ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सुना। उन्होंने कहा कि पूर्बियों से हम को अलग कर दिया जाय, हम मांग करते हैं। उन्होंने चार्ज लगाया कि कमाते हैं हम और सारा पैसा पूरब वाले खा जाते हैं। यह ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो उन्होंने कही। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि १८ वर्षों के अन्दर जो मौजूदा सरकार है जिस के अन्तर्गत वह हाथ उठाते हैं, सिर्फ एक सवाल को मैं लेना चाहता हूं, शिक्षा का। पूर्वी उत्तर प्रदेश के १४ जिलों में बनारस को छोड़ कर के एक भी लड़कियों का डिग्री कालेज आज तक नहीं हुआ। सिर्फ मेरठ में १० पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री कालेज हैं, मिक्स्ड और सिर्फ मेरठ शहर में २५ इन्टर कालिज हैं जिनमें १३ लड़कियों के हैं। तो दोनों के मुकाबले में बलिया में एक डिग्री कालिज है जिस में सिर्फ ४ लड़कियां पढ़ती हैं। माननीय हरी सिंह जी को इस पर विचार करना चाहिये कि वहां पर लड़कियों की शिक्षा की क्या स्थिति है।

श्रीमन्, इस बजट भाषण में शिक्षा के जो आंकड़े दिये गये वे बहुत ही भ्रामक तथा फर्जी हैं। शिक्षा के बारे में इसमें कहा गया है कि लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ कर ५५.४ हो गया है। श्रीमन्, मैंने जौनपुर में एक स्कूल के अध्यापक से पूछा कि भाई तुम्हारे स्कूल में लड़कियां पढ़ने के लिए आ रही हैं या नहीं। उस ने बताया कि शिक्षा विभाग का सर्कुलर है कि ३५ फीसदी लड़कियों को अवश्य भर्ती करो। इसलिये हम हाजिरी ३५ फीसदी की दिखाते हैं, अगर यह न करें तो हम से जवाब तलब किया जाता है। लड़कियां तो आती नहीं है। तो यह सब आंकड़े फर्जी तथा भ्रमात्मक हैं।

श्रीमन्, पूर्वी जिलों में एक भी डिग्री कालेज नहीं है। देहाती क्षेत्र में बहुत कम जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज हैं। सरकार अगर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाना चाहती है तो उसे इस जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेना चाहिये और देहातों में इन के लिए काफी मात्रा में स्कूल खोलने चाहिये।

तृतीय योजना का यह आखिरी साल है और यह शायद आखिरी सप्लीमेन्टरी बजट भी है। एजुकेशन के लिए देहातों में जो डेवलपमेंट ग्रान्ट जिला नियोजन आफिसरों को दी जाती है, अगर देखा जाय, तो उसका ५० फीसदी भी सही उपयोग नहीं हो पाया है और न तो टाइम से बंट पाता है। कहीं स्कूल की इमारत है तो छत नहीं है, कहीं कोई बिल्डिंग बनी ही नहीं है, और रुपया दिया गया है। बहुतों को ग्रान्ट भी नहीं मिली है। सराय लेखलाड, ब्लाक पन्डरा, वाराणसी में ग्रान्ट का ठीक से वितरण नहीं हुआ है। बरही, नवादा, ब्लाक बड़ा गांव, वाराणसी को कोआपरेटिव में फर्जी नाम से कुछ लोगों के नाम से रुपये को ले लिया है। तो यह सब ऐसी

चीजें हैं जिन पर सरकार को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। ग्रान्ट का वितरण सही तरीके से होना चाहिये। १८ वर्षों के बाद भी आज देश में २६ करोड़ लोग अशिक्षित हैं जिस में से सब से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। यहां पर हर क्षेत्र में ही गिरावट आयी है। कृषि के क्षेत्र में भी हमेशा गिरावट ही आयी है। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा ने कहा कि मुरादाबाद के ६४७ नलकपों में से अगर १४५ बन्द रहे तो क्या बात है। ४ में से एक नलकूप का बन्द रहना उन के लिए कोई गम्भीर बात नहीं है। मान्यवर, इसका कृषि उत्पादन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। यह कोई छोटी सी बात नहीं है।

मान्यवर, रोडवेज की हालत भी बड़ी खराब है। इस विभाग की इन्कम २८ फीसदी से घट कर १५ फीसदी पर पहुंच गयी है। पिछले साल २८ फीसदी इन्कम थी रोडवेज की जो घट कर १५ फीसदी हो गयी। मैं परिवहन मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस की क्या वजह है। कानपुर की कर्मशाला में बैटरी बनती थी। वहां बैटरी का बनाना बन्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ऊंचे दामों पर बैटरी बाहर से लेनी पड़ रही है। ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन इसका असर सरकार के प्रशासन और इन्कम पर पड़ता है। इस बात को गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये ताकि प्रदेश का भला हो। आज तक रोडवेज विभाग में जितने स्टेशन इन्चार्ज हैं इन की जूनियारिटी और सीनियारिटी का लिस्ट नहीं बनी है। मोची जो काम करते हैं, वे स्थायी नहीं किये गये। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

जहां तक कोआपरेटिव की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गोरखपुर, आजमगढ़ में सिर्फ खाद के मामले में तीन २, चार २ लाख रुपये का गबन हुआ है, कोआपरेटिव्स में। फैजाबाद और बनारस में मैंने कोआपरेटिव्स में कुछ लोग ऐसे पाये हैं जो कोआपरेटिव के सदस्य नहीं हैं। वाराणसी में बरहीनिवादा कोआपरेटिव है जिसके कुछ लोग सदस्य नहीं हैं। उनके नाम सुपरवाइजर या और लोगों ने फर्जी दस्तखत कर के हजारों रुपया कर्ज ले लिया गया है और उन के नाम रसीद जा रही है। इस तरह का तमाशा आज पूरे सूबे में हो रखा है। इसी तरह रतनपुर कोआपरेटिव में हुआ है। मैं चाहता हूं कि पूरे तौर पर कोआपरेटिव की जांच हो। इस कोआपरेटिव विभाग के सारे कर्मचारी पैसा लेते हैं और नतीजा यह होता है कि सरकार को दिखलाया जाता है कि वसूली हो रही है। इस ओर सरकार को मुस्तैदी से वसूली करनी चाहिये ताकि पता चले कि कोआपरेटिव क्या है। सारा फर्जी, बोगस, और जितना चार सौ बीसी का काम होता है वह सब कोआपरेटिव मुहकमे में होता है। बसनी कोआपरेटिव वाराणसी में, दस साल से पुराना खाद चार सौ बोरा आज भी रक्खा हुआ है। एक आदमी के मकान में है। वहां न कोई उठाने वाला है और न कोई सुपरवाइजर ही है। उस पर सरकार का हजारों रुपया खर्च हुआ है। कोआपरेटिव मिनिस्टर अगर आज भी चलें तो चलकर दिखाने को तैयार हूं। कोई उठाने वाला नहीं है। हो क्या रहा है? पुलिस के बारे में कुछ कहना ही नहीं। ज्यादा नहीं कहना चाहता। आज पुलिस की जो हालत है उस के बारे में माननीय केशरी पांडेय जी ने और बहुत से लोगों ने कह दिया। सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। ट्यूबवेल का जो एरिया है उस को आप कम कर दीजिये। हमारे पूरब में कोई ट्यूबवेल ३०० एकड़ से ज्यादा नहीं सींचता। वहां सरकारी कर्मचारी ८०० एकड़ का कमान्ड एरिया दिखाते हैं और पानी देते हैं केवल २५० एकड़ को। और सरकार से कह देते हैं कि हम ने इतना इरिगेशन कराया ट्यूबवेल से। इस पर विचार करना चाहिये, माइनर इरिगेशन में। बोरिंग कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे किसान पम्पिंग सेट लगवायेगा? इसलिए मशीनों के जरिये कुओं की बोरिंग करानी चाहिये जिसमें सरकार अपना भी कुछ पैसा लगावें। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे गम्भीरता से सोचे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो २९ करोड़ और कुछ का अनुपूरक अनुदान पेश हुआ है मैं उस का समर्थन करता हूं।

[श्री नवलकिशोर]

मान्यवर, यह कोई नयी चीज हमारे सामने नहीं आयी है। चाहे कितने ही अच्छे एस्टीमेट्स क्यों न बनाये जावें, फिर भी उन में फर्क होता ही है। इसीलिए यह प्रणाली पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में है कि यदि ज्यादा खर्च हो जाय तब उसके लिए सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मांगते है, या कुछ नयी मदें सामने आ जाती हैं जिन का अन्दाजा पहले से नहीं हो सकता है। यह भी होता है कि अगर पहले से प्राविजन हो और खर्चा किसी नयी मद में किया हो तो एक प्रतीक अनुदान की शकल में उसके लिए रुपया मांगते हैं। परन्तु आज की डिबेट से जो अब तक हुई है मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम जनरल बजट पर डिसकशन कर रहे हैं। सप्लीमेंटरी ग्रान्टस में एक ही बात देखने की है कि क्या गवर्नमेंट उन ग्रान्टस के बारे में पहले से नहीं सोच सकती थी।

मान्यवर, मैंने इन अनुपूरक अनुदानों को बड़ी छानबीन के साथ देखा है। शायद ४, ६ ग्रान्ट्स को छोड़ कर मेरे दृष्टिकोण से इस में कोई ऐसी ग्रान्ट नहीं है जो सप्लीमेंटरी बजट में नहीं आनी चाहिये थी। कुछ हालात बदले, लड़ाई हुई, और ऐग्रीकलचर में ज्यादा खर्चा हुआ। कुछ डिग्रियां भी हुयीं। पी० ए० सी० की स्ट्रेंथ बढ़ायी गयी है। कुछ लोगों ने पुलिस विभाग की बड़ी-कड़ी आलोचना की है। उसका जवाब तो मन्त्री महोदय देंगे, मैं उस में नहीं जाना चाहता हूं। मगर पी० ए० सी० के बारे में मैं कह सकता हूं कि पुलिस का यह वह अंग है जिसने उत्तर प्रदेश की मान-मर्यादा एवं गौरव को ऊपर उठाया है और आज बार्डर्स पर वह अच्छा काम कर रहा है। उस की मांग सेन्ट्रल गवर्नमेंट से दूसरे सूबों के लिए बराबर आती रहती है। फूड का मामला है, अस्पताल वगैरह बनाने हैं। ये सब चीजें, बहुत आवश्यक थीं। कुल ४७ करोड़ का अनुदान कोई ज्यादा नहीं हैं। पी० ए० सी के आंकड़े में पेश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन शिकायत यह है कि करोड़ों रुपया ऐसा होता है, जो सप्लीमेंटरी ग्रान्टस में लिया जाता है और खर्च नहीं किया जाता है। जिस से साबित होता है कि हमारे एस्टीमेट्स बहुत डिफेक्टिव होते हैं। ऐग्रीकलचर के बारे में इस में यह दिया हुआ है कि भूमि तथा जल संरक्षण की योजना—मुख्यतया कृषि जल विभाजक क्षेत्रों में उसका प्रसार उपर्युक्त योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के आय—व्ययक में ५६ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कलापों को तीव्र करना पड़ा, जिस के परिणामस्वरूप चालू वर्ष की व्यवस्था में २६ लाख रुपये की कमी पड़ गयी। मान्यवर, अन्दाजा कीजिये कि कुछ एस्टीमेट्स बने ५६ लाख रुपये के और उस के टारगेट्स फिक्स हुए और उनको इसी वर्ष में प्राप्त करने के लिए ऐक्टीविटीज को बढ़ाना पड़ा। इस से २६ लाख रुपये यानी ४६ प्रतिशत और ज्यादा खर्च हुये। अजीब दलील है अगर कुछ कीमतें बढ़ी होतीं, या, मजदूरी बढ़ी होती या स्टाफ बढ़ा होता तो बात समझ में आ सकती थी, मगर उन टारगेट्स को तो पहले से ही प्राप्त करने की बात थी। उन के लिए पहले ही पर्याप्त रुपया लेना चाहिये था। कोई नयी बात सामने नहीं आयी। जिससे खर्चा बढ़ता या इतना ज्यादा बढ़ता।

इसमें टोकेन ग्रान्ट्स भी काफी हैं, एजुकेशन, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ आदि में। इसमें लिखा है कि १०० रुपये की हम को टोकेन ग्रान्ट दे दी जाय चूंकि बाकी पैसा बचत से प्राप्त हो जायेगा। एजूकेशन नं० १ और २ करोड़ रुपये के बीच में टोकेन ग्रान्ट के अर्थ हम से मांगा गया है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी या वित्त मन्त्री जी इतनी सफाई और कर देते कि यह पैसा कौन सी मदों से बचेगा। कोई योजना काटी जाती होगी या बदली जाती होगी या उसमें भारी कमी की जाती होगी। वह सब हमारे सामने आनी चाहिये थी कि कौन सी स्कीम पर यह असर पड़ा है और उसे पहले क्यों रखा गया था। इस में केवल एक ही आइटम नहीं है, बहुत से आइटम्स हैं और बड़ी-बड़ी रकमें हैं। इस में मुख्य मन्त्री के फन्ड के लिए १५,००० रुपया मांगा गया है। मैं समझता हूं कि यह ७५,००० रुपये की रकम जो इस में पहले थी बहुत कम है। कम से कम २.५ लाख रुपये की रकम मुख्य मन्त्री के डिस्क्रीशन पर पहले से रख दी जाय। इस में एक आइटम है बार्डर रोड्स की, १ करोड़ ७५ लाख रुपये

की। उसे डाइरेक्टर-जनरल, बार्डर रोड्स गवर्नमेंट आफ इन्डिया देखते हैं। उन्होंने हम को कोई एस्टीमेट्स नहीं भेजे हैं। इस लाए-तलाली की तरफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहिये। इसमें एक एजूकेशन का आइटम है जूनियर हाई स्कूलों की कक्षाओं की हिन्दी तथा मैथेमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का नेशनलाइजेशन। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार पुस्तकें लिखा वे और दे चूंकि यह शिकायत थी कि बाजार में पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं मगर टेक्स्ट बुक के नेशनलाइजेशन से कहीं ऐसा न हो कि एजूकेशन में रेजिमेंटेशन शुरू हो जाय इसलिए अच्छा यह हो कि प्राइवेट ऐजेंसियों से भी किताबें लिखायी जायें और कम्पटीशन में जो अच्छी हो उसे रखा जाये।

पब्लिक हेल्थ के अन्दर एक ट्रांस्पोर्ट आर्गनाइजेशन बनाने की बात है। उन्होंने कहा है कि यूनीसेफ से काफी तादाद में हम को गाड़ियां मिली हैं और वे खराब हो जाती हैं। ट्रांस्पोर्ट की वर्कशाप्स हमारे विहिकिल्स की मरम्मत नहीं करती हैं, इसलिए हमको लखनऊ में एक सेन्ट्रल वर्कशाप की जरूरत है और स्पेयर पार्टस् के लिए एक स्टोर की। खैर, स्पेयर पार्टस् तो शायद यूनीसेफ दे देगी, लेकिन यह काम सरकार के ट्रांस्पोर्ट विभाग में भी हो सकता है जिनकी वर्कशाप जगह-जगह पर है। यह ट्रेन्ड कि हर विभाग अपनी अलग-अलग चीजें चाहता है, अच्छा नहीं है। इससे पहले भी यह ट्रेन्ड था कि हर डिपार्टमेंट अपना अलग पब्लिसिटी डिपार्टमेंट चाहता था, जिसके मानी यह है कि सेन्ट्रल पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बेकार है। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कमी है तो उसे ठीक कीजिये, वरना इस विभाग की गाड़ियों को दूर-दूर से भी लखनऊ आना पड़ेगा और बहुत खर्चा होगा।

इसके अलावा मुझे एक बात और यह कहनी है कि यह एक २९ करोड़ की ग्रान्ट है, जो एक बहुत बड़ी ग्रान्ट नहीं है। कोशिश इस बात की जरूर होनी चाहिये कि यह छोटी से छोटी हो। इस बजट के लिए मैं अवश्य ही बधाई दूंगा कि काफी छान बीन करने के बाद भी मुझे केवल ५-६ आइटम ही ऐसे मिले जिनका स्थान इसमें नहीं होना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने पेश किये हैं, उन पर ध्यान दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस २९ करोड़ की ग्रान्ट का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इन अनुपूरक अनुदानों को भली प्रकार से देखा। माननीय नवल किशोर जी के भाषण के बाद मुझे बहुत सी बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए थोड़ी बात कह कर ही मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। इस बजट में विधान सभा के सदस्यों के यातायात व्यय के कारण कुछ बढ़ोत्तरी हुई है। यदि यह व्यय वास्तव में अधिक बढ़ गया हो तो उसमें कमी करने की कोशिश की जाय और यात्रा के ऊपर कुछ पाबन्दी लगायी जाय। दूसरी बात यह है कि जो कूपन हम लोगों को दिये जाते हैं उनमें छोटे माइलेज के कूपन बहुत ज्यादा होते हैं जिससे बड़ी दिक्कत होती है। अगर बड़े डिनामिनेशन के कूपन्स अधिक दिये जायें, तो असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त जब हम स्टेशन पर जाते हैं, वहां के बाबू इसे बेगार का काम समझते हैं। कई बार झुंझला भी जाते हैं। हमारा खयाल उनकी शिकायत करने का नहीं है लेकिन हमारा कहना यह है कि इसका भी कोई विशेष प्रबन्ध होना चाहिये।

श्रीमन्, सहकारिता विभाग में जो सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन होता है उन सहकारी समितियों के लेखे जोखे को देखने का अधिकार न तो पी० ए० सी० को है और न इस सदन को। इससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। पी० ए० सी० में भी इसका सवाल कई बार उठाया गया है। सहकारिता विभाग में जो रजिस्ट्रार व्यय करते हैं, वह भी इस सदन के सामने आना चाहिए, नहीं तो यह भ्रष्टाचार बढ़ता ही जायगा।

सीमांत सड़कों के लिए २ करोड़ से ज्यादा का खर्चा रखा गया है। यह वहां के निदेशक की कमी है कि उसने पहले अपने प्रोपोजल्स नहीं भेजे इसलिए इतनी बड़ी रकम को अनुपूरक

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

अनुदानों में लाना पड़ा। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। खास तौर से उस समय जब कि वह दूसरे की लापरवाही के कारण हुआ हो। इसको भी देखने की आवश्यकता है।

इसमें यह भी जिक्र आया है कि कारागार में बन्दियों के लिए जो भोजन आदि दिया जाता है उसका व्यय बढ़ गया है उस के लिए कुछ रुपया मांगा जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि भले ही आपने जेलों को सुधारने की चेष्टा की हो, लेकिन जहां तक मैंने कैदियों के भोजन को देखा है उस में आप ने कोई सुधार करने की चेष्टा नहीं की है, इस ओर सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये। मैंने देखा है कि उन्हें उसी प्रकार सड़ा गला साग वैसी ही दाल जिस में सिवा पानी के कुछ नहीं होता और रोटियां भी इसी प्रकार की उनको दी जाती हैं कि जो मामूली तौर से पशुओं का भक्ष्य हो सकती हैं और मनुष्य का आहार नहीं हो सकतीं। मैंने अब से कुछ ही वर्ष पहले सेन्ट्रल जेल, बरेली में देखा था कि वहां तन्दूर की रोटी कैदियों को दी जाती थीं, लेकिन अब वह भी समाप्त कर दी गयी है। जहां हम अच्छे भोजन की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं और कुछ अधिक पैसा कैदियों के भोजन के लिए ले रहे हैं वहां इस बात की ओर भी हमारा ध्याना जाना चाहिये कि उनके भोजन की वितरण व्यवस्था ठीक हो और जो सामान दिया जाय वह अच्छी हालत में हो। इस तरफ हमारा ध्याना जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि अभी भी जो जेल के अधिकारी हैं, जिला लेविल के वे आमतौर से ईमानदार नहीं पाये जाते, जेल में डिप्टी जेलर, जेलर और असिस्टेंट जेलर ठीक तौर से भोजन की व्यवस्था नहीं करते और मुझे ऐसा लगता है कि वह उनके भोजन के व्यय में कटौती कर के स्वयं हजम कर जाते हैं। इस पहलू की तरफ भी सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जेलों का जो उत्पादन होता है, उसके विक्रय के लिए कोई ऐसी प्रणाली बनायी जाय जिस से सरकार को अधिक से अधिक आय हो सके। हम देखते हैं कि जितनी सब्जी वहां पैदा होती है, और दूसरी चीजें वहां बनायी जाती हैं जैसे दरी, कालीन वगैरह उनके बेचने का सही इन्तजाम नहीं है, वह होना चाहिये वर्ना इसमें भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिल रहा है और सम्बन्धित जेल अधिकारियों तथा दूसरों को मारने खाने का मौका मिल जाता है। मुझे खुशी है कि बरेली जेल का अब सब्जी का ठेला बाजार में निकलने लगा है, वह अच्छी चीज है और उससे अधिक आय होगी। जेल विभाग के बारे में मैं यह भी कहूंगा कि प्रोबेशन बोर्ड में जिन बन्दियों की रिहाई का मामला जाता है और वहां से मंजूरी होने के बाद भी जेल से बन्दियों को रिहाई नहीं की जाती है, उसमें जमानत पर रिहाई की सिफारिश के बाद भी ८–१० मास और साल भर लग जाता है, यह कैदियों के साथ अन्याय है। यदि उनको नहीं छोड़ना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर छोड़ना है तो ऐसी देरी न होना चाहिये और इस विषय में सरकार को कदम उठाना चाहिये।

एक बात मैं न्याय प्रशासन के बारे में और कहूंगा कि अभी तक जो अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हुई है, उस में सरकारी वकीलों आदि की नियुक्ति की तरह बड़ा पक्षपात किया गया है। उस में कांग्रेस के ही सब लोग या उन के द्वारा सिफारिश किये गये लोग ही चुने जाते हैं ताकि वह वक्त आने पर वोट दिलाने में मदद दें, इसके अलावा और कोई मापदण्ड इन नियुक्तियों का नहीं रखा गया है।

श्रीमन्, अगर इस प्रकार से बात रही, तो यह सरकारी दल की डिक्टेटरशिप में एक और कड़ी है। कांग्रेस वाले लोग ही अगर सरकारी वकील बनाये जायेंगे, और अवैतनिक मैजिस्ट्रेट बनाये जायेंगे तो हम तो यह कहेंगे कि हमें आप की ईमानदारी और निष्पक्षता पर भी पूरा शक है। आप पाकिस्तानी अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, उनकी मियाद बढ़ाने जा रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप को यह चाहिये कि आप कृपा कर के इन अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों का पद ही समाप्त कर दें, तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत १९६५-६६ के अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभी थोड़ी देर हुई यह कहा गया है कि अनुपूरक अनुदानों को सदन में लाने की ही कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर बजट को सही प्रकार से रखा जाता और खर्चे को सही प्रकार से चलाया जाता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह बात गलत है। कोई भी बजट अन्दाजे के ऊपर निर्भर करता है। अन्दाजे में और उस को कार्यान्वित करने में यह महसूस होता है कि उस को कहां, किस सीमा तक व्यय किय जाय, कहां बचाया जाय, ये सब बातें महसूस होती हैं। उस के परिणामस्वरूप ये अनुपूरक अनुदानें सदन में लाने की आवश्यकता होती है। अतः मैं समझता हूं कि इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये कि अनुपूरक अनुदानों को सदन में क्यों लाया गया। जहां तक मैं समझता हूं यह एक अच्छी परम्परा है।

जहां तक इस की आलोचना का ताल्लुक है, सदन में बहुत कुछ कहा गया है। बहुत सी ऐसी बातें कही गयीं हैं, जो सही भी हैं, लेकिन ज्यादातर बातें जो आलोचना के रूप में कही गयी हैं वे केवल आलोचना के लिए ही कही गयी हैं। मान्यवर, इस में दो राय नहीं हैं और इस में कोई शक नहीं है और न कोई सन्देह है कि यह कल्याणकारी राज्य है। यह कल्याणकारी सरकार है। इसके पीछे एक सुनहरा इतिहास है, इसके पीछे एक तजुर्बा है, इसके पीछे एक भावना है, इस के सामने प्रदेश का उज्जवल भविष्य है, इस के सामने जनता की खुशहाली और जनता की बेहबूदी का प्रश्न, इस के सामने इस विशाल प्रदेश का विकास है। मान्यवर, अगर इस के बखिलाफ बात होती, यह एक कल्याणकारी राज्य न होता तो मैं समझता कि वह राय सही हो। मुझे खेद है कि ऐसा इसके सम्बन्ध में सोचा भी जाय। कौन सोच सकता है, कौन समझ सकता है कि अगर किसी और दल की सरकार यहां पर हो जाय, वह इस तरह का कार्य कर सकती है? हमारे सामने अभी हाल में, नगर महापालिकाओं की जो दशा थी, वह आयी। लखनऊ में जनसंघ का बहुमत था। उसमें क्या गुल खिला, क्या हालत हुई, क्या-क्या बातें हुयीं। मान्यवर, उन बातों को सोचकर बड़ा अफसोस होता है कि क्या इसी तरीके से कोई दल एक कल्याणकारी सरकार इस राज्य के लिए ला सकता है। मैं समझता हूं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है।

मान्यवर, कहा यह गया कि कृषि में बहुत धन व्यय हुआ, लेकिन साथ-साथ उत्पादन घटता चला गया। मैं समझता हूं कि इसमें कोई सही बात नहीं है। मान्यवर, क्या कोई सरकार कुदरती हालात के ऊपर काबू रख सकती है? अगर सूखा पड़ जाय, अगर वर्षा हो जाय तो उसको सरकार नहीं रोक सकती। मनुष्य के बस में नहीं है, मनुष्य उस जगह लाचार है, मजबूर है। कोई सरकार उसे नहीं रोक सकती। अगर वर्षा के कारण उत्पादन घटा तो क्या सरकार का दोष है? हरगिज नहीं। मान्यवर, अगर ज्यादा वर्षा के कारण फसल नष्ट हों तो क्या सरकार का दोष है? नहीं। हमको किसी तस्वीर के एक ही पहलू को ही नहीं देखना चाहिए। दूसरे पहलू को भी देखें जो कि रोजाना का पहलू है आप देखेंगे कि इन सब कुदरती आफतों के बावजूद भी हम उत्पादन बढ़ाने में लगे हुए हैं प्रयास करते रहे और उस प्रयास के अन्दर सफल होते रहे।

मान्यवर, सिंचाई का पोटेंशियल बढ़ा। कितने ही नलकूप लगे, नहरें बढ़ीं, नए-नए बीज आये। ये सब कृषि का बढ़ोत्तरी के लिये, उत्पादन बढ़ाने के लिए ही किया गया है। मैं इस बात को जरूरी समझता हूं कि अपना उत्पादन बढ़ायें, हमारे लिए यह बात वाकई लज्जा-जनक है कि हम किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाएं और उससे अन्न मांगे। हमको इसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

भावना से कृषि के विकस के लिए सोचना पड़ेगा और इस सोचने में कोई कमी नहीं। हमारे नए कृषि मंत्री जो इस समय सदन में मौजूद हैं उन्होंने एक नौजवान की स्प्रिट के साथ इस संबंध में भाग दौड़ की, एक नौजवान की भावना के साथ भाग दौड़ की। आप आलू को देखें उसका उत्पादन इतना हुआ कि आज आलू की कीमत इस कदर गिर गई है कि किसान को परेशानी जरूर है लेकिन उस का इलाज भी सोचा जा रहा है कि किस तरह से किसान की अगर हालत मात्र घटने से खराब होती है तो प्राइस सपोर्ट किया जाय जिससे कि आलू की कीमतें के अन्दर इतना इजाफा हो जाय कि उपभोक्ता और पैदा करने वाले के लिए उचित हो।

इसके अतिरिक्त आप सिंचाई के साधनों को लीजिए। मैं मानता हूं कि सिंचाई विभाग में कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो कि मेहनत नहीं करते हैं जो कि सही प्रकार से अपना कार्य नहीं करते। लेकिन इससे सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। सरकार की तरफ से तो इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि वे सतर्क रहें और अपना काम भली प्रकार से, सुचारू रूप से चलाते रहें। सहकारिता विभाग के लिए कहा गया कि वह भ्रष्टाचार का विभाग है। लेकिन यह नहीं देखा गया कि वह विभाग किस सख्श के हाथ में है। वह ऐसे आदमी के पास है जिसके ऊपर पूरे तौर पर उसकी काबलियत पर विश्वास करना चाहिए। आज सहकारिता प्रदेश में पूरे तौर से फल रही है और फूल रही है। इसके लिए एक सुन्दर भविष्य है।

इसके अलावा पुलिस के लिए कहा गया। मैं इस चीज से इन्कार नहीं कर सकता कि पुलिस के अन्दर खामियां हैं, लेकिन यह भी आपको देखना चाहिए कि पी० ए० सी० ने क्या किया? सिविल पुलिस के अन्दर जहां खामियां हैं वहां उसके अन्दर अच्छे अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। इस कारण सबको एक लाठी से नहीं हांका जा सकता और सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अन्दर जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत है उसका विरोध करने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं। माननीय मुमताज मुहम्मद खां ने कल्याणकारी राज्य की एक परिभाषा करते हुए बताया कि कल्याणकारी राज्य का यह कर्त्तव्य होता है कि वह शिक्षा, चिकित्सा, कृषि उत्पादन, तथा आवास का प्रबन्ध करे और इन सब सुविधाओं को वह जनता को उपलब्ध कराए और उसी के लिए ये अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गयी हैं।

मैं पहले उनका और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिला फैजाबाद में जलालपुर, टाउन एरिया के अन्दर इस समय जो बारिश हुई है उसके कारण प्रत्येक आदमी को कीचड़ पार करनी होती है। उसकी गलियों तथा मुख्य सड़कों की तरफ मैंने सन् ६२ में ध्यान दिलाया था। आज उस टाउन एरिया से केवल सेल्स टैक्स के जरिए ४ लाख रुपए की आमदनी होती है, लेकिन सरकार ने उसकी गलियों तथा लड़कों को इम्प्रूव करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। इस टाउन एरिया के पास कुछ ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से चौपट हो जाते हैं। उनके घर तथा फसल नष्ट हो जाते हैं और वहां पर रहने वालों का जीवन स्तर आज भी वैसा ही है जैसा कि उनका जीवन स्तर सन् ४७ के पहले अंग्रेजी राज्य में था। जिस समय सिंचाई मंत्री राममूर्ति जी थे उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया था और उनसे कहा गया था कि वह कम से कम एक योजना पुलियों के निर्माण हेतु बनायें और घरों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएं जिससे बाढ़ आने पर उनके घर तथा फसल सुरक्षित रह सके और जो कुछ कृषि के जरिए पैदा होता है उससे वह अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन आज तक इस कल्याणकारी राज्य ने उस संबंध में कुछ भी नहीं किया और कागजी घोड़े इस सरकार के आज तक दौड़ते रहे। फैजाबाद के पूर्वी अंचल में ४० मील पर जो नदी पड़ती है उस पर एक पुल अकबरपुर का है और उसके अलावा कोई पुल नहीं है। सरकार का ध्यान बराबर जलालपुर के पुल की ओर आकर्षित किया गया।

जलालपुर के पुल बन जाने से जो चार यहां पर इंडस्ट्रियल प्लेसेज हैं वे मिल जायेंगी और वहां यातायात का साधन मिल जायगा जिससे कृषकों के उत्पादन की वस्तुएं बाजार में जा सकेंगी इससे कृषकों और रोजगार दोनों की उन्नति होगी । हमारे वर्तमान उप मंत्री हमारे जिले के के ही हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय भी हमारे जिले के अध्यक्ष हैं और इन लोगों की जानकारी में होते हुए भी इस कल्याणकारी राज्य में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे उपमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र इस पुल से ही जलालपुर बांदा सड़क से शुरू हो जाता है। मैंने कई बार इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया, है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस ४७ करोड़ के अनुपूरक बजट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

अब मैं आपका ध्यान चिकित्सा पर दिलाना चाहता हूं। इस बजट में सरोजिनी नायडू अस्पताल लखनऊ में और जवाहर लाल नेहरू जी के नाम से अस्पताल की व्यवस्था इलाहाबाद में की गई है। लेकिन उन क्षेत्रों के लिए जहां १० / १५ मील तक चिकित्सा का कोई प्रबंध नहीं है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा भी है कि ऐसे बहुत से अस्पताल हैं, जहां डाक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मांग इस अनुपूरक बजट में नहीं रखी गई है जिससे जनता का हित हो सके और वास्तविक रूप में जनता को सही चिकित्सा उपलब्ध हो सके ।

इसके अलावा श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मठाहाव नामक एक स्थान है जिसके संबंध में भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त के जमाने से इस सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि वहां पर एक आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिया जाय, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां के विकास क्षेत्र अधिकारी की भी रिपोर्ट है कि यहां पर आयुर्वेदिक औषधालय की अत्यन्त आवश्यकता है और १० मील के अन्दर अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है।

अब मैं आपका ध्यान प्रदेश के न्याय की ओर दिलाना चाहता हूं। किसी भी देश या प्रदेश के नागरिक में यदि यह विश्वास हो कि न्यायालयों द्वारा सही न्याय प्राप्त होता है तो उस समय ही प्रजातंत्र की सही व्याख्या हो सकती है। श्री सैय्यद अली जहीर के मंत्री-परिषद् में रहते हुए यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और जजों पर नाजायज दबाव डाला जाता है। उनके कुंबा परस्ती के लोग सरकारी वकीलों में हैं। आनरेरी मैजिस्ट्रेट ऐसे ही लोग बनते हैं जैसा कि माननीय हरीश कुमार जी ने कहा है कि जो उनको कृपापात्र हों या हम निवाला हों। अगर न्याय विभाग की यही हालत रही तो उचित रूप से जनता को न्याय कभी नहीं मिल सकेगा और जनता की न्याय के प्रति निष्टा हट जायगी और प्रदेश में दूसरी परिस्थिति पैदा हो सकती है ।

*श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, मेरा इरादा नहीं था कि मैं कुछ बोलूं क्योंकि उप वित्त मंत्री इसका प्रत्युत्तर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ कि संभवतः यह कहा जाय कि किसी मंत्री ने इस विवाद में भाग नहीं लिया इसलिए माननीय सदस्यों के सम्मानार्थ बोल रहा हूं।

मैं बड़ा आभारी हूं कि मेरे ऊपर बौछार नहीं आयी। (व्याख्यान) यदि जानबूझ कर छोड़ा तो और आभारी हूं और अगर वास्तविकता यह है कि छेड़ने लायक ही नहीं रहा तो भी आभारी हूं। यों तो हर विभाग पर इन अनुदानों के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए और यह बात है कि उन की टीका टिप्पणी के अन्दर कोई तथ्य नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि बड़े तथ्य की बात हैं। बहुत-सी ग्राहक बातें भी हो सकती है। हर विभाग का मंत्री उनका प्रत्युत्तर देने में असमर्थ है समयाभाव के कारण और चूंकि वार्षिक आय-व्ययक पर विवाद थोड़े समय के बाद होगा। उस समय, मैं आशा करता हूं, मंत्री प्रत्युत्तर देंगे और आपको संतोष होगा। जिस विषय पर आप की अधिक रुचि हो उस पर अधिक समय मांगिए, मिलेगा। उसका प्रत्युत्तर दिया जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

जहां तक इस सप्लीमेंटरी बजट का सवाल है नवलकिशोर जी ने मेरा बहुत कार्य हल्का कर दिया। अनुपूरक अनुदानों में विशेष नीति की बात नहीं होती है। यह सही है कि बजट के नियमों के अनुसार ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जिनको मूल बजट में ला सकते हैं। आखिरी पेज पर आप देखें कि १९-२० करोड़ के लगभग ऋण में है। अब इसके मानी यह हुए कि साढ़े नौ करोड़ के करीब अनुपूरक अनुदान है। उसमें एक करोड़ की व्यवस्था जैसे पुलिस १९-२० करोड़ की जो धनराशि है उसमें बिजली कारपोरेशन का कर्जा है जिससे बिजली बढ़े, कुछ सिंचाई से संबंधित है या उत्पादन के जितने विषय हैं उन पर लगा है। इसलिए यह अनुपूरक अनुदान जितने करोड़ का मालूम होता है यथार्थ में वह नहीं है। इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा-सा है। इसमें ऐसे आकस्मिक चीज हैं जैसे १४ लाख खाद्य विभाग का है, उसमें कानपुर में राशनिंग से संबंधित खर्चा भी है। इसका पहले अनुमान नहीं किया जा सकता था क्योंकि जुलाई में बंगलौर सेशन के बाद आया। भारत सरकार ने बाद में यह नीति बनायी।

श्री नवलकिशोर जी साहब अनुदानों की एक-एक मद देखकर उस पर लाल स्याही से निशान लगाकर ढूंढ रहे थे कि कहीं यह मिल जाय, कोई ऐसी मद मिल जाय, जिसको पहले रखा जा सकता था। मैं कहना नहीं चाहता हूं, हम गलत वातावरण में आ जायेंगे उनका कहना है कि सेंट्रल वर्कशाप यहां न बने। इस विषय में जाने पर विवाद पैदा हो सकता है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। यह बातें मूल बजट के समय में विचार कर ली जायेंगी।

जहां तक इस बात का सवाल है कि कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ा मैं एक अर्ज आपके सामने कर देना चाहता हूं, जिसे मैंने कई बार कहा कि यह लोगों का भ्रम है कि हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा है। उत्पादन अन्न के क्षेत्र में कैसे बढ़ता, क्योंकि कृषक लोग सिंचाई के साधन, पावर और उर्वरक का प्रयोग जिसे सरकार उनके लिए अधिक से अधिक देने का प्रयास करती है कैश क्राप का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वह अपने उपलब्ध सारे अच्छे अच्छे साधन कैश क्राप की बढ़ोत्तरी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जिसमें उनको ज्यादा पैसा मिलता है। क्योंकि इसका क्षेत्र सन् ५८ में जो १२ लाख एकड़ था, वह अब बढ़कर ३४ लाख हो गया है। इस प्रकार से अब आप हर चीज का उत्पादन देखें, जूट से लेकर मूंगफली और पुटैटो तक। मैं पुटैटो की बात बताता हूं, इसका उत्पादन करीब ७५ हजार एकड़ क्षेत्र में एडिशनल हुआ है। जहां इन चीजों का उत्पादन बढ़ रहा है अगर आप समूची पैदावार को देखें तो कोई नहीं कहता कि हमारा उत्पादन घटा है, बल्कि कई गुना बढ़ा है। अगर घटा है तो केवल अन्न के क्षेत्र में घटा है।

एक सदस्य—

यही तो हम लोग कहते हैं।

जगमोहनसिंह नेगी—

अरे चीज तो एक है, उसका जहां पर इस्तेमाल करें। अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जायगा तो वह बढ़ेगा और कैश क्राप बढ़ाने के लिए किया जायगा तो वह बढ़ेगा। यह मेज एक है चाहे इस पर बस्ता ही रख लिया जाय या खुद ही बैठ लिया जाय। इससे काम तो एक ही हो पायेगा। कहने का मतलब यह है कि उत्पादन घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है और बढ़ रहा है। कहा जाता है कि क्राप लाइनिंग किया जाय, किन्तु यह भी कामयाब नहीं होगी और किसान भी इसे पसन्द नहीं करेगा। और यदि किसानों पर यह तरीका सरकार जबरदस्ती लाद देगी तो आप ही इसका विरोध करेंगे। मैं तो आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। हमारी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि हम जो भी कुछ करते हैं, उसका आप विरोध करते हैं। काश्तकार से डाइरेक्ट अन्न लेना चाहते, शुरू करें तो आप लोग किसानों को बहकाना शुरू कर देंगे और यदि न करें तो आप लोग कहते हैं कि क्यों नहीं किया।

अभी फतेहपुर के दीपनारायणसिंह जी कह रहे थे कि किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता और कर के लिए कह रहे थे——अधिभार घटवा रहे थे, तो इस तरह की तो परस्पर विरोधी बातें कैसे संभव हो सकती हैं? बिजली, पानी और सब्सिडी, सबके लिए पैसा चाहिए और सरकार को पैसा कर से ही प्राप्त होगा। यदि कोई जादू दीपनारायण सिंह जी सिखा देंगे तो वह भी कर लेंगे, लेकिन अभी यह कैसे हो सकता है। सप्लीमेंटरी बजट में यह है कि सारा रुपया क्यों मांगा, तो सारी चीजें इसलिए हैं कि पावर बढ़ाओ इरीगेशन के साधन दीजिए और सरकार चाहती है कि उससे अपना उत्पादन बढ़ाओ।

हम इसकी प्ली नहीं लेना चाहते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप हो गया, इसलिए हम पंगु हो गए, उस पर विजय पाने के लिए हमारे पास विज्ञान है, उसके अजीब अजीब करिश्में हैं और साथ ही में मानव धर्म है। लेकिन ए जगह पर हम भी लाचार हो जाते हैं। नहरों और कुंओं में तो हम पानी दे सकते हैं और दे रहे हैं लेकिन यदि हमारी नदियों का पानी ही सूख जाए, उसकी नीचे सतह में चला जाए, तो हम क्या करें?

जहां तक कृत्रिम वर्षा की बात है, अभी हमारा देश उतना आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन कृत्रिम वर्षा के लिए अगर कृत्रिम बादल को रूस अपनी तरफ खींचने लगे, अमेरिका अपनी तरफ खींचने लगे और इंडिया अपनी तरफ खींचने लगे तो वह कहां-कहां जायगा? यह मानी हुई बात है कि बावजूद इसके कि इन्सान प्रकृति के विरुद्ध जितना लड़ सकता है, उसे लड़ना चाहिए, लेकिन अगर यह कहें कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेगा, मेरे खयाल से यह कपोल कल्पना है, न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। इसलिए इस बात को हमें मद्देनजर रखना होगा। बाज दफा विषम परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसके ऊपर न तो आपका कंट्रोल है और न मेरा कंट्रोल है। उस समय हम बहुत कुछ चाहते हुए भी क्या कर सकते हैं। अन्न के मामले में आप जानते हैं कि फसल के टाइम पर वह सस्ता रहता है और जब कमी का महीना होता है तो उसकी कीमत १५, २० और ३० रुपए क्विंटल तक बढ़ जाती है। (व्यवधान) माननीय बांकेलाल जी, आप मेहरबानी करके मेरी बात को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि आप एक बहुत बड़े किसान होंगे, आपके पास सिंचाई के साधन भी होंगे लेकिन जहां तक पहाड़ी क्षेत्र के किसानों का संबंध है वे तो केवल आकाश के ऊपर ही निर्भर करते हैं। आपकी तरह से मैं भी खेतों में जाता हूं और कभी-कभी घूम फिर कर देख लेता हूं। कोई भी सरकार किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, इसीलिए हमने कोशिश की कि ज्यादा रेट पर अनाज खरीदें जिससे वह किसानों को सीधा मिल जाय, अगर किसानों से डाइरेक्ट प्रक्योरमेंट हो।

श्री बांकेलाल——

जब किसानों के घरों में अनाज रहता है उस समय तो आप सस्ता कर देते हैं जब उनके घर में अन्न नहीं रहता है तब महंगा कर देते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी——

मैं सस्ता या महंगा नहीं करता हूं, मध्यवर्ती ही सस्ता या महंगा करते हैं।

श्री बांकेलाल——

लेकिन आपको तो किसानों के लाभ की बात सोचनी चाहिए?

श्री जगमोहनसिंह नेगी——

यही तो रोना है। अब मैं आपकी किस्मत को रोऊं या अपनी किस्मत को रोऊं? मैं भी इस बात को जानता हूं कि यह वोट का मामला है लेकिन मैं आपके वोट को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं करता। हम दिल से चाहते हैं कि किसानों का लाभ हो, क्योंकि इस वक्त जो सरकार है वह कल्याणकारी है। आप कहते हैं कि हमारे

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

यहां झगड़ा है, फूट है, तो क्या करें, डेमोक्रेसी में यह ऐब लगे हुए हैं। तो अब डेमोक्रेसी को छोड़ें या इन ऐबों को छोड़ें ?

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

यह तो सिद्धांत की बात है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर सिद्धांत की बात है तो पी० एस० पी० से एस० पी० और डी० एस० पी० कैसे हो सकता है ? अन्ततोगत्वा चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, सभी इस बात को कहते हैं। मिसाल के लिए मैंने यह बात कह दी कि अगला चुनाव आते आते इस तरह की कोई नयी पार्टी और आ जायगी। तो ऐसी विषम परिस्थिति के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। मैंने आपसे कहा कि फसल के वक्त सस्ता और कमी होने पर महंगा हो जाता है। लेकिन आपको मैं बतलाऊं कि पिछले साल रबी का उत्पादन हमारे यहां १८५ लाख टन हुआ जब कि इस साल १२५ लाख टन होने की उम्मीद है। तो मैं यह कह रहा हूं कि बजाय इसके कि इस साल ज्यादा महंगाई होती सस्ती होने लगी। तो कई चीजें हैं जिनके ऊपर हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरा खयाल यह है कि डिमांड सप्लाई और पुरानी ग्रेडेड इकोनामी की थ्योरी सब किताबों की बातें हैं। वह सब आउट आफ डेट हो चुकी हैं। मेरा विचार है कि उन्होंने उस जमाने में उनको लिखा था जब हवाई जहाज नहीं था, रेल नहीं थे, वायरलेस नहीं, टेलीग्राफ नहीं, ऐटामिक एज नहीं था। उन्होंने बैलगाड़ी के जमाने की बातें लिखीं। अब अगर हम उन थ्योरीज को लेकर बैठे रहें तो वह सब बेकार हो जायंगीं।

इस वक्त यह बात बिलकुल सही है कि हम एक ओर विचार करते हैं कि मेकेनाइजेशन चाहिए या नहीं और दूसरी ओर यह भी देखते हैं कि कहीं उसकी वजह से अनएम्प्लाइमेंट न बढ़े और आदमियों को काम न मिले। हमारे देश में विरोधी विचाराधाराएं हैं और वह डिमोक्रेसी की वजह से है। हमें दोनों का आदर करना है। असल में सारी बातें इस वक्त मिक्स्ड चल रही हैं। चाहे पूंजीवाद हो या समाजवाद, सब जगह मिक्स्ड मामला चल रहा है, मिक्स्ड इकानामी चल रही है। हम हम सीधे स्टेट ट्रेडिंग नहीं कर पाते और प्राइवेट ट्रेडिंग भी नहीं रख पाते। दोनों चीजें साफ नहीं हैं और उसका कारण यह है कि डिमोक्रेसी है। कम्युनिस्ट विचारधारा है, मगर साथ ही जनसंघ की विचार धारा भी है, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों को मिलाकर चलना है।

श्री रघुनाथसिंह—

भानुमती का पिटारा है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ठीक है उस भानुमति के पिटारे में डाक्टर साहब आप भी एक ओर कंडली मारे बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट आयेगा तब और सिद्धांत को बात कहूंगा इस समय तो इतना ही काफी है कि जहां तक मेरा खयाल है आज तक जितने भी सप्लीमेंटरी बजट आये उनके अन्दर तो यह दोष निकल सकता था कि ऐसे आइटम्स आये हैं जिनको फोर्सी किया जा सकता था मगर यह ऐसा सप्लीमेंटरी बजट है जिसमें कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसका अनुमान पहले किया जा सकता था। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको स्वीकार करें और यह भी प्रार्थना है कि इस बार आपने मुझ पर दया की है वैसी ही आइन्दा भी करते रहेंगे।

(श्री बनवारीलाल विप्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रघुनाथसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण माननीय खाद्य मंत्री से करना चाहता हूं। यह जो अनुपूरक बजट आया है..

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब किसी भी माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया जाय तो क्या उसके पश्चात् कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाकर स्पष्टीकरण का प्रश्न उठा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय डाक्टर साहब, आप बैठ जाइए। यह समय उसके लिए नहीं है।

*श्री बनवारीलाल विप्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में हमारे इधर और उधर के बैठनेवालों ने अपने विचार प्रकट किये। मेरे अपने विचार में अनुपूरक बजट में जो फिजूल का खर्चा सरकारी विभागों पर होता है वह अनावश्यक है। हमारे इधर के दस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उससे भी मालूम पड़ता है कि जितना रुपया अनुपूरक बजट के रूप में विभागों को दिया जायगा उनका दुरुपयोग होगा और इनसे कोई भी भला नहीं हो सकता है, यह जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा बेकार में चला जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात में यह भी कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में कम से कम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद इतना निष्पक्ष और पवित्र होता है, इतनी उनकी मर्यादायें होती हैं और इतना उनका अधिकार होता है और यदि कभी इधर के बैठने वालों को सहायता की आवश्यकता हो, उनके अधिकारों का हनन हो, तो वे अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके सम्बन्धित मंत्रियों और उनके सचिवों को बुलाकर कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जितनी भी गड़बड़ियां हो रही हैं या जो भी गलत काम हो रहे है उन पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि अभी तक आपकी इस कुर्सी से इस सदन को वह फायदा नहीं मिल पाया है और उसका कारण यह है कि आप या अध्यक्ष स्वयं किही दल विशेष से बंधे हैं इसलिये सही रूप में कोई बात नहीं कह पाते। लेकिन हमारा कर्त्तव्य है कि जब कभी जनता के पैसे का दुरुपयोग हो तो हम अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ६५ के अनुपूरक बजट में जो धनराशि बतायी गयी थी करीब उससे तिगुनी धनराशि इस अनुपूरक बजट में बताई गयी है और वह विभागों पर खर्च होगी। मेरा सबसे बड़ा विरोध है कि जितने अनुदान हैं, विभागोंपर खर्च करने के लिये जहां पर पैसादिया गया है अन्न उपजाओ आन्दोलन के सम्बन्ध में, कुओं के निर्माण के सम्बन्ध में, गूलों की सफाई करने के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के व्यय इसमें बताये गये, लेकिन मुझे दुख है कि चाहे वहां मूल बजट का रुपया हो, चाहे अनुपूरक बजट का रुपया हो, अगर विभाग की तरफ से वह ईमानदारी से खर्च किया जाय तो कोई वजह नहीं है कि इस प्रदेश की जनता को उसका लाभ न मिले। यह अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के लिये जो रुपया रखा गया है इस में शत प्रतिशत अनुदान दिया गया है वह पक्के कुओं पर, पुराने कुओं की म म्मत पर, पम्पिंग सेट्स पर, रहट वगैरह, पहाड़ी इलाकों में नीचे इलाकों में छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाओं पर खर्च करने के लिये रुपया इसमें रखा गया है। इसके अलावा जनरल बजट में करोड़ों रुपयों की धनराशि इसमें रखी गयी है, लेकिन इससे फायदा उतना नहीं होता जितना हम चाहते हैं। अगर सरकार कोई कमेटी बैठाये, दौरे उस कमेटी के लगवाये और किसानों के मन की बात पूछे कि क्या उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध हुये, क्या सरकार की तरफ से जो साधन दिये गये उनका उपयोग हुआ,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनवारीलाल विप्र]

क्या जो परती जमीन पड़ी हुई है क्या उनमें कोई सिंचाई की व्यवस्था हुई, तो मैं दावे से कहूंगा कि जितना पैसा अनुदान में या बजट में रखा जाता है उसका १० या १५ प्रतिशत भले उपयोग में आता हो, लेकिन बाकी पैसा नहीं खर्च होता। यदि ईमानदारी से सारा पैसा ठीक से काम में आये तो कोई वजह नहीं है कि उत्पादन हमारा न बढ़े। लेकिन पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, करोड़ों रुपया हमारा जो बजट में रखा जाता है किसी मद पर खर्च करने के लिये उसका २५ प्रतिशत रुपया इस्तेमाल होता है बाकी सब गवर्नमेन्ट में वापस आता है। अगर मशीन ठीक से काम नहीं करती, तो जितने साधन हैं, जितना रुपया है उसका उपयोग नहीं होगा और फिर चाहे कोई योजना हो, पंचवर्षीय योजना, तीन वर्षीय योजना, एक वर्षीय योजना उसका कोई भी फल भविष्य में निकलने वाला नहीं है।

श्रीमन्, जहां तक अनुदान की महत्ता का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे आगरा जिले में एक इंडस्ट्री है उसके लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि उसको अनुदान दिया जाय। जिस समय गेंदासिंह जी इधर बैठते थे तो उन्होंने गन्ना व्यवसायी किसानों और मिल मालिकों के लिये रहनुमाई की है और करोड़ों रुपये का अनुदान जो उनको मिलता था उसको ठिकाने से लगाया है। इस सरकार को चेतावनी भी दी है। अगर सही काम नहीं हुआ है तो समय समय पर उन्होंने आन्दोलन सभी चलाया है लेकिन इस तरफ वह दो साल पहले बैठते थे। अब वह उधर चले गये हैं। इस सदन में गन्ने की बात तो वैसे बहुत होती रहती है लेकिन हमारे इस प्रदेश में जूते का उद्योग भी एक ठोस उद्योग है। मैं चार साल से बराबर कहता आया हूं कि जूते का व्यवसाय हमारे देश के लिये ही उपयोग में नहीं आता बल्कि विदेशों के लिये बहुत उपयोग में आता है। विदेशों से हमको बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हमारे यहां से जूता रूस, कनाडा और जर्मनी जाता है और वहां से विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त होती है, लेकिन हमारे इस प्रदेश में, अपने घर में इस उद्योग को बढ़ाने के लिये जितना रुपया दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया जाता है। हमने पिछले चार साल में देखा कि न तो उस उद्योग को अनुदान के रूप में और न किसी दूसरे रूप में सहायता के लिये कोई अनुदान दिया जाता है और इस उद्योग को तरक्की पर लाने के लिये कोई सब्सिडी भी नहीं दी जाती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सम्भव हो इस प्रदेश में इस उद्योग को ज्यादा से ज्यादा रुपय देकर इसको आगे बढ़ाना चाहिये। चाहे कुटीर उद्योग के रूप में चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत या चाहे जिस रूप में, इस उद्योग को बढ़ाते रहना चाहिये। हमने इसके लिये बारबार कोशिश की और अपने यहां मिनिस्टर को भी बुलवाया और दिखाया कि यह उद्योग किस प्रकार से वहां पर चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिये यह भी बताऊं कि १९५७-५८ में इस आदरणीय सदन के कुछ माननीय सदस्य जानकारी करने के लिये वहां पर गये थे। उन्होंने एक रिपोर्ट भी सरकार को दी, लेकिन बाद में पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ। इस उद्योग की तरक्की के लिये हमने सरकार के पास सुझाव भेजे हैं और यह बताया है कि रा मैटीरियल जो उसमें लगता है वह सरकार अपने हाथ में ले और वहां पर एक जनरल स्टोर बनाये। सरकार इसके अलावा उस उद्योग को बढ़ाने के लिये धनराशि रखे तो मैं समझता हूं कि वहां पर जो उन लोगों का शोषण पंजाबी लोग कर रहे हैं वह नहीं हो पायेगा। इसके लिये अनुदान की व्यवस्था मंत्री जी को करनी चाहिये। यदि इस अनुपूरक आय-व्ययक में सम्भव न हो तो अगले बजट में इस मद में कुछ धनराशि रखने का प्रयास किया जाय। यदि इस प्रकार से रुपया रखना भी सम्भव नहीं तो फिर उस उद्योग को बढ़ाने के लिये कुछ सब्सिडी उनको दी जाय।

अन्त में मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात को बराबर कहता चला आया हूं कि इस व्यवसाय को करने वालों पर जो सेल्स टैक्स लगता है उससे उनको मुक्त किया जाय। इस व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं उनके लिये यह एक बड़ी भारी मुश्किल है। वह माल बाहर भेजते हैं तो उनको टैक्स की बड़ी भारी धनराशि देनी पड़ती है जिससे उसका असर उन छोटे छोटे काम करनेवालों पर पड़ता है जो अपने घरों में काम करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इससे इस सेल्स टैक्स को हटा लिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के दूसरे अनुपूरक अनुदान में जो मांग की गई है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे इधर बैठने वाले भाइयों की आलोचना सुनूं । मुझे प्रसन्नता होती अगर वह सिद्धान्त के अनुसार इस अवसर का उपयोग करते । मेरा आशय स्पष्ट है कि वे उन भागों की आलोचना करते कि जिनमें पैसा खर्च किया गया है । वे पूछते कि ज्यादा क्यों खर्च किया गया, वे उस के ब्योरे में जाते, उस का हिसाब देखते । बहुत सी मदों में, जिन को हम पहले से सोच नहीं सकते, हमको खर्च करना पड़ता है । मुझे यह देख कर अचम्भा हुआ कि हमारे माननीय सदस्य उन तफसीलों में नहीं जाते जिस में उनको जाना चाहिये । वे तफसील में जाते और उसमें जो नाजायज बात है उस को वे कह सकते हैं, किन्तु वे ऐसे अवसरों का उपयोग अपने राजनैतिक प्रचार के लिये करते हैं कि सरकार की ओर से यह तय किया जा रहा है वह किया जा रहा है और यह सब कांग्रेस दल के हित में किया जा रहा है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत बातों को व्यक्तिगत स्तर पर ही रहने देना चाहिये और उन समस्याओं को उसी तरह से ट्रीट करना चाहिये । यहां तो जो बातें नीति के संबंध में हैं उन्हीं को लाना चाहिये । व्यक्तिगत बातों को लाकर जो आप सहानुभूति प्राप्त करने हैं वह ठीक नहीं है । माननीय केशरी पांडेय जी ने बहुत तफसील से बात करने की कोशिश की । मुझे उनकी बात पर अकबर का एक शेर याद आ गया ।

"वे रोयें बहुत स्पीचों में हिकमत इसको कहते हैं ।

मैं समझा खैर ख्वाह उनको हिमाकत इसको कहते हैं ।"

(इस समय ३ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये)

ऐसी उन्होंने कुछ बात कही जिन की मुझे उन से आशा नहीं थी । उन बातों से सरकार का कोई संबंध नहीं है, यदि है भी तो बहुत दूर का, अप्रत्यक्ष सा । उनका दायित्व अगर आप सरकार पर डालते हैं तो वह ठीक नहीं है । लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर्स का कंफर्मेशन नहीं होता, तो वह अटोनामस बाडी है, सरकार का उससे सीधा ताल्लुक नहीं है । इसमें शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय को कैसे घसीटा जा सकता है । इसी प्रकार आप ने आयुर्वेदिक कालेज की मिसाल दे डाली । उसकी स्थिति यह है कि वहां पिछले चार सालों से बराबर विद्यार्थी किसी न किसी प्रश्न को ले कर हड़ताल करते रहते हैं । हम सभी सदस्यों को उन से सहानुभूति है, लेकिन श्रीमन, सहानुभूति के माने यह नहीं हैं कि जो सिद्धान्त का हनन करने वाली बातें हैं उनको भी हम पूरा कर दें । उनकी मांग यह है कि हम को एम० बी० बी० एस० के समकक्ष कर दो । तो क्या उनको हम सिविल सर्जन बना दें ? क्या हम उन को पी० एम० एस० बना दें ? यूं सहानुभूति प्राप्त करने के लिये आप उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन मैं मान्यवर आपसे निवेदन करूंगा कि जिम्मेदारी की मांग यह है कि सुझाव देते समय जिम्मेदारी से बात की जाय, जिम्मेदारी से सुझाव दिये जायं । उनकी मांग पूरी करना अपने को जिम्मेदारी से हटाना होगा । अब आप यह सुझाव दें कि आपकी हर बात सरकार मान ले तो यह भी संभव नहीं है । आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, चाहते हैं कि प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत हों और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं । हम उस सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस दल ने स्वस्थ्य परम्परायें स्थापित की हैं, उनका सृजन किया है, पोषण किया है, लेकिन मैं कहूंगा कि शीशे के मकानों में रहने वालों को दूसरों पर ईंट नहीं फेंकना चाहिए । क्योंकि शीशे का मकान छोटी सी कंकरी से ही टूट जायगा । व्यक्तिगत बातों में उलझने से पहले ज्यादा मुनासिब होगा कि आप अपने अन्तःकरण का पर्यवेक्षण कीजिये और सोचिये कि हम किस भावना से प्रेरित होकर यह बात कहते हैं । पुलिस प्रशासन को लेकर के यह तमाशा बन रहा है । इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं । मैं स्वीकार करता हूं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

है, लेकिन उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उससे हम सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते हैं । साथ ही साथ क्या यह सत्य नहीं है कि प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप होता है ? सदन में भले ही लम्बी चौड़ी आलोचनायें की जातीं हों, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि आलोचना करने वाले ही जिला स्तर के अधिकारियों को दबाते हैं और उनसे नाजायज काम करवाते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

आपने तो लाल बत्ती भी नहीं जलायी।

श्री अधिष्ठाता—

लाल बत्ती जली थी, आपने उसका ध्यान नहीं दिया । अब वित्त मंत्री जी का समय हो गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं समराइज तो कर दूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वित्त मंत्री सफाई कर देंगे ।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभार मानता हूं जिन्होंने बोलते हुये अपने सुझाव दिये । उनसे हम यथासंभव लाभ उठाने का प्रयास करेंगे । लेकिन श्रीमान जी, माननीय सदस्यों ने बजाय इसके कि अपने को सप्लीमेंटरी बजट से सीमित रखें, बहुत सी बातें इधर-उधर की कहीं और बहुत से आक्षेप की बातें कहीं, जिनके बारे में यहां उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि समय इतना नहीं है । माननीय खाद्य मंत्री जी ने बहुत सी बातों का उत्तर दे दिया है जिससे मेरा काम काफी हलका हो गया है । मैं अपने को कुछ चन्द बातों तक ही सीमित रखूंगा जिनके बारे में सिद्धान्तरूप से आलोचनायें की गयीं।

यह अक्सर आलोचना की जाती है और यहां पर माननीय केशरीप्रसाद जी ने आलोचना की कि अनुपूरक अनुदानों का लाना इस बात का द्योतक है कि हमारे बजेटिंग के तरीके में दोष है । उनका यह कहना कि क्या आवश्यकता इस बात की थी कि बार-बार अनुपूरक अनुदान लाये जायं और माननीय सदन से और धन मांगा जाय, मैं मानता हूं कि अगर संभव हो सके कि मूल बजट में ही हम सारी योजनाओं और सारे खर्चे का ठीक ठीक अनुमान लगा सकें और फिर अनुपूरक अनुदान पेश करने की जरूरत न पड़े तो अच्छी बात है,लेकिन आज के जमाने में जब कि हमारी अर्थ व्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, यह संभव नहीं है । यह संभव नहीं है कि जबकि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर पैसे की तुरन्त आवश्यकता हो तो अनुपूरक अनुदान लाकर के उसकी स्वीकृति माननीय सदन से न लें, बल्कि प्रतीक्षा में रहें कि दूसरे साल बजट में ले आवेंगे।

तो फिर यह उचित बात नहीं होगी । आज हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति बड़ी भयानक है । माननीय सदस्य ने देखा होगा कि इस तरफ काफी पैसा खर्च किया गया है । अब अगर हम अगले वित्तीय वर्ष तक उसका इन्तजार करते, जिन कार्यों को हमें करना था उन्हें न करते तो यह कहां तक उचित होता? बहुत से ऐसे आवश्यक कार्य आते हैं कि उन पर हमको पैसा खर्च करना आवश्यक हो जाता है । तो उसके लिये और कोई तरीका हो नहीं सकता, सिवाय इसके कि अनुपूरक अनुदान हम सदन के सामने रखें । यदि हम अपने प्लान के लक्ष्य को पूरा करना चाहते

हैं तो उसमें यह आवश्यक है कि कभी कभी हमें निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये जितना पैसा रखा गया है उससे अधिक खर्च करना पड़े यदि किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिये हम तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें बीच में यदि पैसे की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो हम उस खर्च को रोके नहीं रह सकते, हमें उसे पूरा करना करना पड़ता है। उसके लिये अगले बजट वर्ष तक प्रतीक्षा करना प्रदेश के हित में नहीं होता। इसलिये अनुपूरक अनुदानों का लाना आवश्यक हो जाता है। केन्द्रीय सरकार तथा देश के अन्य राज्यों में भी अनुपूरक अनुदान लाये जाते हैं। हमारे प्रदेश में ही यह हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिये यह कहना कि हमारा वित्त विभाग अयोग्य है, यह बात ठीक नहीं है। मूल बजट में जो कुछ रखा जाता है उसमें जितना परिवर्तन और राज्यों में होता है, हमारे यहां उससे बहुत कम है। इससे ही यह बात सिद्ध होती है कि हमारा वित्त विभाग किसी तरह अयोग्य नहीं है। माननीय केशरीप्रासाद जी जरा ठंडे दिल से इस पर विचार करें। अगर ठंडे दिल से वे विचार करेंगे तो वे इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि वित्त विभाग उचित ढंग से काम कर रहा है।

केशरीप्रसाद पांडेय जी ने प्रदेश की एकोनामी के बारे में कहा। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बात कही वह अच्छी तरह से विचार कर नहीं कही। जो बात आंकड़ों से सिद्ध न हो सके वह बात यहां नहीं कहना चाहिये। मैं आपको आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध कर सकता हूं कि जो बात माननीय पांडेय जी ने कही वह गलत है।

पहले सप्लीमेन्टरी बजट में हमने १८.३६ करोड़ की मांग थी जिसकी स्वीकृति माननीय सदन ने दी थी इस अनुपूरक अनुदान द्वारा २९.६३ करोड़ की मांग की गई है। यह बहुत बड़ी रकम हो जाती है। दोनों सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स को मिलाकर और इन्हीं को देखकर माननीय केशरीप्रसाद जी ने कह दिया कि एकोनामी ध्वस्त हुई जा रही है। लेकिन मैं बताऊं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। उनका यह खयाल सही नहीं है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब मूल बजट पेश किया गया था तो उस वक्त १४.९१ करोड़ का घाटा दिखाया गया था। पहले अनुपूरक अनुदान में रेवेन्यू एक्सपैन्डीचर की व्यवस्था ४.४६ करोड़ की की गई थी और इस अनुपूरक अनुदान द्वारा ६.९० करोड़ की व्यवस्था की गई थी। इस तरह से १४ करोड़ ९१ लाख का घाटा और यह दोनों अनुपूरक अनुदानों द्वारा जो राजस्व व्यय की व्यवस्था की गई है उन को मिलाकर २६.२७ करोड़ का घाटा होना चाहिये। लेकिन यह घाटा उतना नहीं है। इसमें से ६.९० करोड़ राजस्व व्यय की मांग उसमें की गई है। उसमें १.१७ लाख रुपया ऐसा है जो कि गवर्नमेन्ट रोडवेज के वैहिकल्स के रिप्लेसमेन्ट के लिये खर्च हो रहा है और यह रुपया डिप्रिशियेशन फन्ड से खर्च होगा। इसलिये उसका असर हमारे रेवेन्यू एक्सपैन्डीचर पर नहीं पड़ेगा। उसको निकालने के बाद २५.१० करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपैन्डीचर ज्यादा हो जाता है। घाटा होना चाहिये। बहुत-सी ग्रान्ट्स हैं जो सप्लीमेन्टरी बजट से प्रभावित नहीं होती हैं। ६ करोड़ रुपये की बचत हो रही है और ११.३४ करोड़ रुपये की आमदनी में वृद्धि हो रही है जिसमें से ८ करोड़ की तो टैक्सों द्वारा आमदनी हुई है और तीन करोड़ से ऊपर फारेस्ट, गवर्नमेन्ट्स रोडवेज और यूनियन एक्साईज ड्यूटीज में जो हमारा हिस्सा मिलता है उससे ज्यादा आमदनी हुई है। इस तरह से १७.३४ करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। ११.३४ करोड़ रुपये की आमदनी में वृद्धि हुई। १७.३४ करोड़ रुपया खर्चे में से कम हो जाता है और वह ७.७६ करोड़ रह जाता है और जो फर्क पड़ेगा उसी को देखकर ५.८९ करोड़ का घाटा ऐन्टीसिपेट किया गया है। इस बजट वर्ष के अन्त में इस तरह से यह देखने से तो लगता है कि उतना घाटा था और इतना रेवेन्यू एक्सपैन्डीचर और हुआ, बहुत बड़ा घाटा हुआ और यह सारी एकानामी ध्वस्त हो जावेगी ऐसा खयाल हो सकता है। पर अगर आप देखें तो ऐसी बात नहीं हैं और इसी तरह से कैपिटल एक्सपैन्डीचर जो हैं उसमें पहले सप्लीमेंन्टरी ग्रान्ट में तीन लाख रुपया कुल नान प्लान आईटम पर। ३३.६८ लाख रुपया प्लान पर था और यह खर्च भारत सरकार की सहायता से होना था। उसका कोई प्रभाव प्रदेश पर पड़ने वाला नहीं था। दूसरी सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट में ९५.०८ लाख रुपया नान प्लान

[श्री जयराम वर्मा]

कैपिटल एक्सपैन्डीचर में रक्खा गया जिसमें से ९४ लाख रुपया बेसिक सीड स्टोर के बीजों आदि के लिये रखा गया है। और यह पूरा रुपया इस साल और अगले साल में वसूल हो जायगा। इस तरह ९५.०८ करोड़ रुपये का जो खर्चा है उसका कोई प्रभाव प्रदेश की एकोनामी पर पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडीचर में २.१४ करोड़ रुपया प्लान्ड आइटम्स पर है। इसमें से एक करोड़ रुपया सिंचाई के सस्पेंस हेड में डेबिट का अकमोडेट करने के लिये है और इतनी ही आमदनी डेबिट रिकवरी से होने वाली है। इसलिये उसका भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। १.१४ करोड़ रुपये की सिंचाई विभाग के कार्यों के लिये और यू० पी० लैंड डेवलपमेंट बैंक के लोन पत्रों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यह रुपया बजट में फन्ड्स के डायवर्शन से मिल जायगा। इसका भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

इसी तरह लोन्स एन्ड एडवान्सेज में २९.४ लाख रुपया नान प्लान्ड साइड में है। यह पहले सप्लीमेंटरी में रखा गया था जिसको हमें अपने रिसोर्सेज से मीट करना है। इसके अलावा १३.२४ करोड़ रुपया प्लान्ड साइड में डिसबर्समेन्ट आफ लोन्स के लिये था। उसमें से २.०४ करोड़ रुपया पिछले साल जिन कर्जों की मंजूरी हो चुकी थी, उनका था। सिर्फ ११.२० करोड़ रुपया इस साल के खर्चे के लिये है। इसमें से ५.२९ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलना था। सिर्फ ६ करोड़ रुपया अपने रिसोर्सेज से मीट करना है। यह ६ करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कामों को बढ़ाने के लिये देना था। उसको अपने रिसोर्सेज से व्यवस्था करना है। सेकिंड सप्लीमेंटरी बजट में नान प्लान्ड आइटम्स पर ११६ लाख रुपये की व्यवस्था है जिसका कोई भी प्रभाव प्रदेश की एकोनामी पर नहीं पड़ेगा। इसमें २८ लाख रुपया ऐसा है जो हमारे असेट्स का है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रिहन्द डैम दे दिया गया है। उस रुपये की सम्पत्ति को कर्जे की शक्ल में लाना है। ५८ लाख रुपया मिडिल इकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम और लैंड एक्वीजीशन डेवलपमेंट स्कीम के लिये रखा गया है जो एल०आई०सी० से कर्जे के रूप में मिल जायगा। इसका भी कोई भार नहीं पड़ेगा।

इसी प्रकार से सुनारों के रिहैबिलिटेशन के लिये ३० हजार रुपया खर्च होगा जो हमें गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से मिलेगा। इस प्रकार इस ११६ लाख रुपये का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

इसी प्रकार से १८.४९ करोड़ रुपया प्लान के ऊपर लोन्स एन्ड ग्रान्ट्स में रखा है उसमें से १८ लाख रुपया बुक एडजस्टमेंट है। उसके खर्चे का भी असर नहीं पड़ेगा। ५० लाख रुपया देहाती क्षेत्र में बिजली की सप्लाई के लिये है। यह रुपया भी गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से मिल जायगा। इसलिये इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पूर्वी जिलों में नलकूपों को बिजली देने, पम्पिंग सेट्स आदि के लिये ४० लाख रुपया रखा गया है और यह सेविंग्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह धन के डाइवरजन से पूरा हो जायगा १५ करोड़ रु० ऐसा है जो बिजली बोर्ड को कर्जा दिया जा रहा है योजनाओं की पूर्ति के लिये। यह रुपया ऐसा है कि जिसमें से ३ करोड़ २० लाख रुपया सेविंग्स से दे सकेंगे और बाकी ११.८ करोड़ रुपया अपने रिसोर्सेज से मीट होगा। अब ग्रो मोर फूड के लिये २३३ लाख रुपया कर्जे की व्यवस्था है जिसमें से १३४ लाख रुपया उस १५० लाख में से खर्च किया जायगा जो केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया है और १०० लाख रुपया सेविंग्स से फंड्स के डाइवरजन से पूरा हो जायगा और इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी व्यवस्था इसमें है। इस तरह से इस में कुल प्राविजन १९.९५ करोड़ रुपये का है प्लान्ड और नान प्लान्ड को मिलाकर और उसमें से जो असल लायबिलिटी पहिले आती है वह ११ करोड़ ८० लाख रुपये की है और ६ करोड़ की लायबिलिटी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के अन्दर पहले आ चुकी है और इस तरह से कुल १७ करोड़ ८० लाख की कुल लायबिलिटी सूबे पर आती है इन कामों के लिये जिसको हम अपने रिसोर्सेज से व्यवस्था करके पूरा करेंगे। यह व्यय योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये, उपज

बढ़ाने के लिये, देहातों में किसानों की सहायता के लिये किया जायगा और इस व्यवस्था के लिये श्री केशरीप्रसाद पांडेय को शिकायत नहीं होनी चाहिये। इससे किसी तरह से भी सब की एकानामी ध्वस्त होने वाली नहीं है, इस से तो प्रदेश की दशा सुधरेगी ही और एकनामी भी हमारी साउन्ड होगी। कोई गड़बड़ उसमें नहीं है।

माननीय केशरीप्रसाद पांडेय जी ने एक बात की ओर और इशारा किया था कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया इस विषय में सदन में प्रश्न भी आया था और माननीय सदस्यों को भी इस सम्बन्ध में जैसा कि ज्ञात है कि जो उप समिति स्थापित की गई थी उसके सामने कुछ असंगतियां आई थीं जिस पर विचार करने के लिये एक सब कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट भी कैबिनेट के सामने पेश थी और उस पर कैबिनेट ने अपनी एक सब कमेटी विचार के लिये बिठाई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी और कैबिनेट ने भी इस पर विचार कर लिया है और कई रोज उस पर मेजर हिस्से पर कैबिनेट ने फैसला भी कर लिया है। आज भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है और स्पेशल पे को छोड़कर बाकी सभी मसलों पर आज फैसला हो गया होगा और जल्द ही दो चार रोज के अन्दर आदेश जारी हो जायेंगे जिसके द्वारा कर्मचारी अपना पुनरीक्षित वेतन और महंगाई भत्ता और दूसरी सुविधायें जो इन सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को मिलनी हैं वह पा सकेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि इस रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित होने में जो देरी हुई उससे कर्मचारियों को कुछ असुविधा हुई होगी लेकिन कुछ असंगतियों ऐसी आ गई थीं कि जिन पर विचार करना जरूरी था और उन पर गैर विचार किये निर्णय नहीं लिये जा सकते थे इसलिये इतना समय लग गया। लेकिन अब वे फैसले हो गये हैं और आदेश जल्दी ही जारी हो जायेंगे और इस बात का प्रयास किया जाय कि सभी बकाया वेतन कर्मचारियों को इसी वर्ष के अन्तर्गत मिल जाय। हो सकता है कि अधिकारियों को सब वेतन न मिल सके, लेकिन जहां तक कर्मचारियों के वेतन का संबंध है, जिनके बारे में ए० जी० से परामर्श जरूरी नहीं है, वह जरूर मिल जायगा। यह वेतन इन लोगों को एक साथ मिल जायगा। एक साथ मिल जाने के कारण मुझे आशा है कि वे उसका उचित उपयोग कर सकेंगे। यह रुपया इन कर्मचारियों को कैश में मिलेगा लेकिन अगर वे किसी अल्प बचत योजना में इसको लगाना चाहेंगे तो सरकार को इससे बड़ी प्रसन्नता होगी। अब इसमें कोई परेशानी नहीं है और कोई बात बाकी नहीं रह गयी है और मुझे आशा है कि माननीय केशरीप्रसाद पान्डेय जी को, अब इस संबंध में, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

एक माननीय सदस्य ने यहां पर चौथी फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहा। मैंने उसको रिपोर्ट में देखना चाहा लेकिन यह नहीं देख पाया कि कौन से पेज पर थी, लेकिन वह यह कह रहे थे कि फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से डिवाइजिबिल पूल तो बढ़ गया लेकिन उत्तर प्रदेश का हिस्सा कम हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का हिस्सा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। जो रकम विभाजित की जायगी, वह ज्यादा होगी। पहले हमारा परसेन्टेज का हिस्सा १४.४२ परसेन्ट था वह अब १४.६० प्रतिशत हो गया तो वह तो बढ़ा ही है और चूंकि रकम भी बढ़ी है तो हमें हिस्सा ज्यादा मिलेगा। ९ करोड़ ८५ लाख का जो जिक्र किया गया है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि ३२३ करोड़ ७७ लाख रुपया जो हमको कमीशन की सिफारिश के अनुसार मिलेगा वह हमारे लिये बहुत कम है। इसलिये हमको ९ लाख ८५ हजार रु० की ग्रान्ट और स्वीकृत हुई लेकिन इससे भी हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा लेकिन उन्होंने कुछ उसूल बनाये हैं कि अगर कोई भावी आवश्यकताएं होंगी तो उस पर भी केन्द्रीय सरकार विचार करेगी और हमें उम्मेद है कि वह विचार करने के उपरान्त हमें पैसा देगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने विचार बदल लें और जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको मान लें।

१९६५–६६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ६––स्टाम्प

श्री जयराम वर्मा—

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत १,६९,४०० रु० की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत १,६९,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७––निबन्धन

श्री जयराम वर्मा—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७—निबन्धन के अन्तर्गत २,०६,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—निबन्धन के अन्तर्गत २,०६,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८––राज्य विधान मंडल

श्री जयराम वर्मा—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ५,१२,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ५,१२,३०० रु० की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९––सामान्य प्रशासन

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रु० की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,७५,६७,००० रु० की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,७५,६७,००० रु० की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३—कारागार

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—कारागार के अन्तर्गत ४१,८३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कारागार के अन्तर्गत ४१,८३,५०० रु० की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४—पुलिस

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत १,१२,३२,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत १,१२,३२,२०० रु० की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १४,५२,१०० रु० की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १४,५२,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

श्री जयराम वर्मा—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत १,५०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत १,५०,१०० रु० की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—शिक्षा

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत २,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत २,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—चिकित्सा

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत १०० रुपय की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ३९, ८५, ५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ३९, ८५,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२—पशुपालन तथा मत्स्य पालन

श्री गेंदासिंह—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २३—सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७–सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां क अन्तगत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३१,७४,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३१,७४,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपय की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—परिवहन

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—परिवहन क अन्तगत १,१७,०५,६०० रुपय की अनुपूरक मांग १९६५–६६ क लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—परिवहन के अन्तर्गत १,१७,०५,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४—वन

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—वन क अन्तर्गत १९,९७,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—वन क अन्तर्गत १९,९७,१०० रुपय की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय

गृहमन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत २,६२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत २,६२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय

श्री गेंदा सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९४,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९४,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान-संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ११,००,५०० रुपये की अनपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ११,००,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,०१,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तगत २,०१,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३८,१०० रुपये की अनुपरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३८,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशि मूल्य

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशि मूल्य के अन्तर्गत ५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशि मूल्य के अन्तर्गत ५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १९,६४,९२,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १९,६४,९२,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५—६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५—६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५—६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५—६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५—६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करता हूं।

(कुछ हटकर कर)

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिनियोग, (१९६५—६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय, श्रीमन् जी, अभी. . . .

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जब माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं यहां पर मौजूद हैं, तो जब तक कि उनका लिखित रूप से आदेश न हो और वित्त मंत्री को न दे दें तब तक उप मंत्री महोदय कैसे पेश कर सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

शर्मा जी आप स्वयं विधि और नियमों को जानते हैं आपको इस प्रकार की व्यवस्था नहीं उठाना चाहिये। बजट के समय किसी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित करनी चाहिये। डिप्टी मिनिस्टर इसके लिये अधिकृत हैं और वह इस कार्य को सम्पादित कर सकते हैं।

श्री जयराम वर्मा—

यह विनियोग विधेयक २९,६३,३९,८०० रुपये का है, यह वह है विभिन्न मदों पर खर्च करने के लिये जिसकी आपसे मांग की गयी थी और आपने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अब उस धनराशि को खर्च करने के लिये संहत निधि से निकालने का अधिकार इसके द्वारा मांगा जा रहा है। मुझे आशा है माननीय सदन वह अधिकार देगा जिससे इतना रुपया उन सेवाओं के लिये निकाल कर, जिसके लिये माननीय सदन ने दिया है, खर्च किया जा सके।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, इस अनुपूरक का जो सिलसिला इस प्रदेश की सरकार ने लगाया है, उसे देखते हुये ऐसा लगता है कि शासन में बिलकुल ढीलापन आ गया है। अनुपरक बजट किस-किस स्थित में आने चाहिये उसका विवरण देते हुये हमारे वित्त उपमंत्री ने ठीक ही कहा है,

इसमें वह मद और खर्च आने चाहिये जिनका कि हम अनुमान बजट वर्ष के प्रारम्भ में बजट प्रस्तुत करते समय नहीं लगा सके थे। जो परिस्थितियां बाद में पैदा हो गयी और जिनका मूल बजट में समावेश नहीं किया जा सका और जिन पर व्यय करना आवश्यक था। इसमें हर विभाग की ओर से मांग की गयी है, इससे मालूम होता है कि हर विभाग को जो नीचे के बड़े बड़े अफसर हैं वह बहुत ढीले हो गये हैं और उनके काम में ढीलापन आ गया है। क्योंकि वह जानते हैं कि रूलिंग पार्टी का बहुत जोरदार बहुमत सदन में है और वह उससे जो कहेंगे, वह उसके द्वारा सदन से पास करा लेंगे और पैसा मिल जायगा। मैंने इस मेमोरेन्डम में गौर से पढ़कर देखा यह १५–१६ लाख का बिलकुल बेमतलब का खर्च दिखाया गया है। यह खर्च बिलकुल अनावश्यक रूप से किया गया है।

शुरू में ही नैपाल नरेश के यहां होने वाली एक शादी में हमारे राज्यपाल विश्वनाथ दास को बुलाया गया है . . . .

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह चीज यहां कहने की नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह चीज कहने की नहीं है, मैं मानता हूं कि यह आकस्मिक व्यय है, लेकिन १२ हजार रुपये जब कि यहां संकटकालीन स्थिति है, प्रदेश में गरीबी है, आम जनता को खाने को नहीं मिलता, इस तरह से साज-सज्जा पर और शादी पर राज्य द्वारा खर्च करना यह कहां तक उचित है? एक तरफ तो कानून बनाते हैं कि २५ आदमी से अधिक को दावत नहीं दी जा सकती और दूसरी तरफ १२ हजार रुपये इस तरह के काम में खर्च हों।

इतना ही नहीं, मुख्य मंत्री की तरफ से ७५ हजार रुपये की मांग की गयी है जिसको वे अनुदान के रूप में अपने विवेक से खर्च करेंगी। मैं समझता हूं कि एक आदमी के विवेक पर इतनी बड़ी धनराशि रख देना कि वे हर साल जिस तरह से चाहें खर्च करती रहें और उसका कोई हिसाब-किताब भी न हो, यह जनतंत्र के विरुद्ध है और इतना रुपया देना उनके राजनीतिक प्रभाव को उत्तर प्रदेश में बढ़ाना है। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज जनतांत्रिक उसूलों के खिलाफ है जब कि किसी राजनीतिक नेता के स्वविवेक पर इतना पैसा दे दिया जाय कि वह जिसको चाहे देता रहे। इससे जनतंत्र के लिये बड़ा खतरा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे पैसे अनुदान के रूप में न दिये जायं जिससे मुख्य मंत्री अपने प्रभाव को बढ़ावें। अगर उन्हें किसी को देना ही है तो जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर फंड खोल रखा था उसी तरह से यहां भी मुख्य मंत्री कोष खोल लें जिसमें चन्दे से पैसा वसूल हो और जिसको जिस तरह से चाहें, दें। लेकिन सरकारी खजाने का पैसा इस तरह से किसी को नहीं देना चाहिये।

इतना ही नहीं, शिक्षा के ऊपर, पुलिस के ऊपर सिलसिलेवार अनुदान की मांग की गयी है जिसका हिसाब-किताब साल के शुरू में होना चाहिये था। इसी तरह से ४० हजार रुपया पूर्वी जिले में बकरी की नस्ल सुधार के लिये रखा गया है। इसके द्वारा देवरिया और गोरखपुर जिले में बकरी की नस्ल का सुधार होगा। श्रीमन्, गायों के लिये तो ये अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे और बकरी की नस्ल का सुधार करने जा रहे हैं। यहां पर एक कानून पास हुआ था कि दुधारू जानवर उत्तर प्रदेश के बाहर न भेजे जायं। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से हर साल सैकड़ों गायें और भैंसें कलकत्ता चली जाती हैं और उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जब कि बकरी की नस्ल सुधारने के लिये यह सरकार ४० हजार रुपया खर्च करने जा रही है। मैं आपको बतला दूं कि ये सारे रुपये आपके आफिसर्स खा डालेंगे। इस तरह से आप एक-एक पेज को देख लें, सब इसी तरह के अनुदानों से भरे पड़े हैं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये भी लाखों रुपये की मांग की गयी है। श्रीमन्, सन् १९५३–५४ में एक मूथम इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी जब कि मैं इलाहाबाद

[काशी नाथ मिश्र]

यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की, कि किस हिसाब से विश्वविद्यालय पैसे खर्च करें, किस नियम और कानून के अन्तर्गत खर्च करें। यदि आज भी विश्वविद्यालय उस इन्क्वायरी कमेटी के बतलाये हुए रास्ते पर न चलें तो उनको इस तरह से अनुदान देना कहां तक उचित है और उनके घाटे के बजट को आप किस तरह से पूरा करते रहेंगे? जो यूनिवर्सिटी के आफिसर आपके कायदे-कानून को तोड़ कर विश्वविद्यालय में अपना शासन चलाते हैं उनको राज्य के खजाने से जनता की गाढ़ी कमाई का इतना पैसा देना कहां तक उचित है जबकि वे हर साल घाटे का बजट बढ़ाते ही जायं?

इसी तरह से यहां भातखंडे संगीत विद्यालय है और एक कन्याकुमारी में विवेकानन्द शिला स्मारक की योजना है जिसके लिये डेढ़ लाख रुपया बेमतलब हमारे राज्य का जायेगा। मैं समझता हूं कि इसमें से बहुत सारा रुपया आपके आफिसरों के पाकेट में चला जायगा। इसी तरह से नैनीताल में श्री गोविन्द बल्लभ पन्त की एक प्रतिमा का अनावरण किया जायगा जिसके ऊपर हमारे राज्य का ६६ हजार रुपया खर्च किया जायगा। मैं जानता हूं कि पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त बहुत बड़े मर्यादित नेता थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन जो काम उन्होंने किया उससे वे इतिहास में अमर रह सकते हैं न कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने से या उनकी मूर्ति बनाने से। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से अनापशनाप खर्च करना उनके द्वारा किये हुए कार्य को भी गन्दा करना है। मैं समझता हूं कि इसमें से ३०-४० हजार रुपया आपके आफिसर ही लूट खसोट लेंगे। एक तरफ तो आप इस तरह से करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से रुपया खर्च करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो यह रुपया मांगा गया है इस अनुपूरक अनुदानों के जरिये से वह बिलकुल गलत है। यह जनता के ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा बोझा है और मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, यह आपने अभी बजट पास करा लिया। इस देश ने लोकतंत्र को मान लिया है। लोकतन्त्र में बहुत खतरा भी होता है और अच्छाई भी होती है। यहां की संख्या के बल पर मैं पिछले चार वर्षों से देखता चला आया हूं कि विरोधी दल की कोई बात सुनी नहीं जाती है। इसमें कोई २९ करोड़ की बात नहीं है, किन्तु आपके प्रदेश का जो आगे बड़ा बजट आने वाला है वह भी बिड़ला परिवार से ज्यादा रकम का नहीं है। ८ करोड़ की जनता पर जो आप इस तरह से रकम खर्च करते हैं वह सारी रकम बिड़ला परिवार की रकम से अधिक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इतना भ्रष्टाचार आपके यहां पर है और विरोधी दल उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है और विरोधी दल अपना कर्तव्य पालन करता है, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती है। करोड़ों रुपया गबन इस आडिट रिपोर्ट में बतलाया गया है जो हर विभाग में है मगर उसकी तरफ यह सरकार कोई ध्यान देकर तकलीफ उठाना गवारा नहीं करती। जिस तरह से माननीय हरगोविन्द सिंह के विभाग के बारे में यहां पर बतलाया जाता है कि पुलिस भ्रष्ट है तो उसी प्रकार से माननीय बनारसीदास जी के विभाग में उसी तरह से लोग रकम खाते हैं। पुलिस वाले थोड़ा घूस लेते हैं लेकिन इनके विभाग में पूरी रकम खा जाते हैं। जौनपुर में देखा गया कि ४ लाख का गबन किया है। यहां पर सरकार से निवेदन किया गया तो बतलाया गया कि जांच हो रही है। शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वह बहुत योग्य आदमी हैं, लेकिन उसमें भी इस आडिट रिपोर्ट में बहुत गड़बड़ी बताई गई है। शिक्षा विभाग में एक योजना बनी जिसको मैं चरागाह की योजना कह सकता हूं। वह इसलिये बनी कि जो लोग असेम्बली में नहीं आ पाते हैं उनका मुंह बन्द करने के लिये, उनको साजिश करके देने के लिये १०, २० करोड़ रुपया चरागाह की योजना के रूप में रख दिया जाता है। १९५६ में किताबों को छापने के लिये एक योजना बनाई गई। इसमें लिखा हुआ है कि पथ प्रदर्शन के लिये शिक्षक और छात्रों के लिये एक स्कीम १९५६ में बनी। उसको ६ महीने का समय दिया गया। उसमें १८,७०० रुपया खर्च करने की बात थी, लेकिन इन चरागाह वाले लालबुझक्कड़ों ने इतनी बेइमानी की कि

उसका काम ७ वर्ष तक चलाया और इतने दिनों तक अपनी गुजर करते रहे। उसमें ९७ हजार रुपया खर्च कर दिया। आज भी कोई पुस्तक प्रेस में नहीं है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में निन्दा का प्रस्ताव पास किया है।

इसी तरह से दूसरा विभाग निर्माण का है, उसमें भी यही हालत है। इसी तरह से बकरी की नस्ल सुधारने के लिये एक योजना बनी। बकरी और भेड़ों का घर अल्मोड़ा में बनाने के लिये एक योजना बनी। वहां पर इनके लिये घर बनाया गया। वह घर ६७ हजार रुपये में बन कर तैयार हुआ। उसके बनने के बाद और भवन पास होने के बाद उस घर की छत चूने लगी। ठेकेदार को नहीं पकड़ा गया। उसके लिये जिम्मेदारी आज तक खोजी जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट में बराबर कहा गया है कि यह कैसे हुआ। जनता का इस तरह से ६७ हजार रुपया बरबाद हो गया मगर यहां टैक्स पर टैक्स लगाये जाते हैं। अगली योजना के लिये भी बहुत बड़ा टैक्स आने वाला है। इसको सरकार जरा सोचे और देखे कि यहां पर किस तरह से काम हो रहा है। ३१ मार्च के पहले जाली बाउचर पास हो जायंगे। मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि इस तरह से यह भ्रष्टाचार नहीं रुक पायेगा, क्योंकि आप जिस तरह से चाहते हैं करते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि भातखंडे संगीत विद्यालय पर १ लाख ६४ हजार रुपया खर्च हो रहा है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई बन्द हुई तो आपको थोड़ी सी सांस मिली। दम मारने का मौका मिला है तो भातखंडे संगीत विद्यालय पर एक लाख ६४ हजार रुपया खर्च किया जा रहा है, उसमें मास्टर सारंगी बजाने और नाचने की शिक्षा देंगे। इस तरह से आपका मन मर गया है, जनता का मन टूट गया है। उस पर टैक्स लगाये गये, यह देश का दुर्भाग्य है।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो इस विवाद में भाग लेने वाला नहीं था, लेकिन बलिया ने बहुत जोर बांधा, इसलिये मेरा मन भी चल गया कि कुछ कह दूं। हमारे काशीनाथ जी ने एक बात कही जिसके मुताल्लिक ही मैं कुछ अर्ज करूंगा। उन्होंने कहा कि नेपाल में गवर्नर साहब गये और उन पर बारह हजार रुपया खर्च हुआ। उनके मुंह से यह बात सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। यह देश हमारा नेबर है, हमारे उनके बीच सोशल कांटैक्ट बढ़ने चाहिये और खास कर हम महसूस करते हैं क्योंकि हमारे बहुत से गांव आधे उनके इलाके में हैं और आधे हमारे इलाके में हैं। वह हमारा पड़ोसी राज्य है तो हमारे और उनके ताल्लुक अच्छे होने चाहिये। इस सिलसिले में अपोजीशन की यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। वह तो समाजवाद का नारा लगाते हैं। अगर हम सोशल कांटैक्ट बढ़ाने के लिये गवर्नर साहब को अपने यहां से वहां भेजें तो हर्ज क्या है? और जब कभी कोई छोटा या बड़ा आदमी कहीं जाता है तो कुछ उपहार लेकर जाता है, खास कर लड़की की शादी के मौके पर। गरीब आदमी भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ ले ही जाता है। ऐसी मिसालें हमने देखी हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिये कुछ कहा जाता। यही मेरा निवेदन है।

*श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत है उस पर हमारे कई मित्रों ने प्रकाश डाला। मैं आंकड़ों में न जाकर मोटे तौर पर कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। आज देश अथवा प्रदेश की सरकार चाहती है कि हम विदेशों की नकल करके उसी पैटर्न पर अपने यहां का बजट बनावें, उसी तरह के काम अपने यहां करें, उसी तरह के टैक्स भी अपने यहां की जनता पर लगायें जाते हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जिस तरह वे टैक्स लगाने के सुझाव देते हैं उसी तरह से वे उस आये हुए पैसे को खर्च करने के सम्बन्ध में भी सुझाव दिया करें। जब टैक्स लग जाता है और बजट मंजूर हो जाता है उसके बाद उस पैसे की कोई परवाह नहीं की जाती। आपका ध्यान मैं शिक्षा के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। शिक्षा के बिना हम अपना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामआसरे वर्मा]

जीवन नहीं चला सकते। आज शिक्षा संस्थाओं में जनतांत्रिक प्रणाली अपनायी जा रही है। उसमें गरीब व्यक्तियों पर बहुत असर पड़ता है। बड़े आदमियों के बच्चों पर दो सौ, तीन सौ रुपया खर्च होता है जबकि गरीब के बच्चों पर दो, ढाई रुपये प्रति मास खर्च आता है।

ऐसे विद्यालयों का आप पता लगावें कि देहातों में जिला परिषदों के जितने भी विद्यालय हैं उनमें अव्वल तो कोई स्कूल नहीं है। बिल्डिंग है तो फरनीचर नहीं है, फरनीचर है तो अध्यापक महोदय नहीं चाहते कि ठीक से पढ़ायें, क्योंकि ५०० रुपया रिश्वत देकर आते हैं और चुने जाते हैं। फिर वह सोचते है कि हम जनता से तो इतना नुकसान पूरा कर नहीं सकते है, इसलिए वह अध्यापक स्कूल में आकर हाजरी लेकर चले जाते हैं और खेती बाड़ी में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ बड़े-बड़े लोगों के बच्चों के लिए देहरादून और टेहरी में स्कूल खोले जाते हैं। आज मेडिकल कालेज के लड़कों का एजीटेशन चल रहा है। आज जहां सरकार ने ६ महीने का कोर्स डाक्टरों की कमी के कारण कम कर दिया, उन्हीं छात्रों के सामने अनेक कठिनाइयां उपस्थित हैं और उनकी मांगों को सरकार स्वीकार करने में आनाकानी कर रही है। पालीवाल जी ने कहा कि क्या छात्र चाहते हैं कि उनको सिविल सर्जन बना दिया जाय। तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिविल सर्जन भी उन्हीं में से बनते है और इसी तरह से बनते है—आकाश से नहीं आते हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो उन्होंने १९५१ या ५२ में बी० एम० बी० एस० के छात्रों को एम० बी० बी० एस० में ले लिया था और मैं कई ऐसे डाक्टरों की मिसाल पेश कर सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, अब कोई विशेष कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई नयी बातें नहीं उठायी गयीं। छोटी-छोटी सी रकमों के सम्बन्ध में आपत्तियां की गयीं, मेरे खयाल से वह उचित नहीं है। अभी मुख्य मंत्री के विवेकानुदान का विरोध किया गया। इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें क्या स्थिति है, उसको देखते हुए कितनी छोटी-छोटी सहायता के लिए लोग मुख्य मंत्री के पास आते हैं। उसमें ७५,००० की व्यवस्था थी, वह धन खर्च हो गया है। दरख्वास्तें पड़ी हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग हैं जो कि सरहद पर लड़कर मारे गये हैं, उनके घर के लोग सहायता के लिए आते हैं, उसके लिए १५,००० रुपया और रख दिया तो कौन बड़ी आपत्ति की बात हो गयी?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो मंत्रियों का विवेकानुदान होता है वह सब्जेक्ट टु आडिट क्यों न हो, इसमें क्या आपत्ति है?

श्री जयराम वर्मा—

इसी तरह से एक आपत्ति की गयी विवेकानन्द स्मारक के सम्बन्ध में जो कि कन्याकुमारी में बनने जा रहा है। मद्रास में एक समिति साढ़े ३१ लाख रुपया खर्च कर रही है तथा विभिन्न राज्य सरकारों से रुपये की मांग कर रही है। हमारे प्रदेश ने डेढ़ लाख रुपया दे दिया तो कौन सी बड़ी आपत्ति हो गयी? ऐसे बड़े व्यक्ति के स्मारक के सम्बन्ध में आपत्ति करना मुनासिब बात नहीं है। फिर संगीत विद्यालय के बारे में जिसके सुधार के लिए उसका प्रान्तीयकरण हुआ और सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है अगर थोड़ा सा ज्यादा रुपया खर्च हो गया तो इसमें क्या आपत्ति की बात है? मूल बजट में व्यवस्थित धनराशि से जरूरत पड़ने पर ज्यादा खर्च की मांग की जाती है, उसके अलावा ऐसी सेवाओं पर भी खर्च करना जरूरी हो जाता है जिनके बारे में बजट बनाते वक्त सोचा नहीं गया था। और उसके लिये प्रतीक्षा करना मुनासिब

नहीं होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाता है जो नियमों के विपरीत हो। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इन सब बातों पर विचार कर इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६

३१ मार्च, १९६६ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, १९६६, कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो ३१ मार्च, १९६६ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग २९,६३,३९,८०० रु० (उन्तीस करोड़ त्रेसठ लाख, उन्तालिस हजार, आठ सौ रुपया) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६५–६६ के लिये २९,६३,३९,८०० रु० का दिया जाना विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

१	२	३		४
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२	भू-राजस्व ..	..	५,१००	५,१००
६	स्टाम्प ..	१,६९,४००	..	१,६९,४००
७	निबन्धन ..	२,०६,०००	३००	२,०६,३००
८	राज्य विधान मंडल ..	५,१२,३००	६,०००	५,१८,३००
९	सामान्य प्रशासन ..	१००	४९,४००	४९,५००
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन	१,७५,६७,०००	२१,१००	१,७५,८८,१००
१२	न्याय प्रशासन	..	६५,२००	६५,२००
१३	कारागार ..	४१,८३,५००	१,५००	४१,८५,०००

अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१४	पुलिस ..	१,१२,३२,२००	८,०००	१,१२,४०,२००
१५	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	१४,५२,१००	..	१४,५२,१००
१६	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	१,५०,१००	..	१,५०,१००
१७	शिक्षा ..	२,१००	..	२,१००
१८	चिकित्सा ..	६००	..	६००
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य	१००	..	१००
२०	कृषि सम्बन्धी विकास	३९,८५,५००		३९,८५,५००
२१	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	२००	..	२००
२३	सहकारिता ..	२००	..	२००
२४	उद्योग ..	४००	९,१००	९,५००
२६	श्रम और सेवायोजन ..	..	१,१००	१,१००
२७	सूचना निदेशालय ..	१००	३००	४००
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	२००	..	२००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	३१,७४,७००	९,७००	३१,८४,४००
३१	सिंचाई अधिष्ठान ..	१००	..	१००
३९	परिवहन ..	१,१७,०५,६००	८५,०००	१,१७,९०,६००
४४	वन ..	१९,९७,१००	१८,५००	२०,१५,६००
४५	प्रकीर्ण व्यय ..	३००	..	३००
४६	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय	२,६२,४००	..	२,६२४००
	ऋण और अन्य दायित्वों पर व्याज ..		१,२०,९८,५००	१,२०,९८,५००
४७	कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय ..	९४,००,०००	..	९४,००,०००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	११,००,५००	..	११,००,५००
४९	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	२,०१,००,१००	१,५५,२००	२,०२,५५,३००
५१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	१,०००	..	१,०००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	३८,१००	१२,७००	५०,८००
५३	पेंशनों का राशिमूल्य ..	५०,०००	९,०००	५९,०००
५५	व्याज वाले ऋण और अग्रिम	१९,६४,९२,१००	..	१९,६४,९२,१००
	योग ..	२८,३७,८४,१००	१,२५,५५,७००	२९,६३,३९,८००

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड, २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त उर्वरकों के वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, इस प्रश्न की महत्ता से सारा सदन परिचित है। प्रश्न यह है कि जो खाद काश्तकारों को दी जाती है उसमें उनको निरर्थक रूप से अधिक मूल्य प्रांतीय सरकार को देना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया सदन में शान्ति बनाए रखें। माननीय पालीवाल जी माननीय सत्यवीर जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उस दिन, मान्यवर, प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया उससे शंका का समाधान नहीं हो सका। मान्यवर, जो खाद किसान को मिलती है उस पर उसको काफी सूद देना पड़ता है। वह किस स्टेज पर देना पड़ता है और क्यों देना पड़ता है यह बात देखने की है। कुछ मुनाफे पर फैक्टरी इस खाद को देती है। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ३ प्रतिशत की दर से अपना मुनाफा चार्ज करती है। फिर प्रांतीय सरकार करती है। जब यह सहकारी समितियों को देती है तो वह उस पर सारा खर्चा आदि लगा कर कुछ मुनाफा लेती है। फिर वह जब नीचे की समितियों को देती है तो ८ परसेंट का सूद फिर लेती है। इस प्रकार से सब मिला कर करीब १४-१५ प्रतिशत का सूद पड़ जाता है जो किसान को देना पड़ता है जिसके कारण खाद के मूल्य काफी बढ़ जाते हैं। उन संदर्भ में मुझे यह भी निवेदन करना है कि प्रान्तीय सरकार का रुपया जैसा कि बजट अनुमानों से भी देखेंगे अधिक से अधिक जो कुल रुपया बीज के विनियमन में लगता है वह एक करोड़ से अधिक नहीं होता। चाहे उसे सहकारी बैंक लगाएं, चाहे फैडरेशन लगाये। मूल्य पांस का होता है १५ करोड़ से ऊपर पर रुपया एक करोड़ से अधिक नहीं लगता और इस प्रकार एक करोड़ पर १५ करोड़ का सूद लेकर भी फायदा उठा रहे हैं जिसमें विशेष रूप से सहकारी विभाग का हित सन्निहित है। मेरा मतलब यह है कि सहकारिता विभाग का फायदा लेने का यह समय नहीं है। ८-९ परसेन्ट मुनाफा इस सारे प्रदेश से कमाया जाय, यह वांछनीय नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि काश्तकारों की बढ़ोत्तरी केवल पांस का मूल्य बढ़ जाने से नहीं होती, इससे उसकी रीअल इन्कम में कमी आ जाती है। मेरा निवेदन है कि हमारे सहकारी मंत्री को देखना चाहिए कि किस स्थान पर पांस का मूल्य अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

होता यह है कि जो फैडरेशन से पांस को लेते हैं वे उसी दिन उतने दाम को लेकर फिर फायदा उठाते हैं। सोसाइटी का जहां तक सवाल है, पीछे जब उनको मैन्योर मिल जाता है तो हमारी सुविधा जो ट्रांसफर होनी चाहिए वह सोसाइटीज को ट्रांसफर नहीं होती वरन् सोसाइटीज को फिर रुपया लेना पड़ता है और धन तत्काल देना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि आठ प्रतिशत तक ऊपर पांस पर बेकार में देना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य द्वारा इतना जानना चाहता हूं कि इस अनावश्यक धन को काश्तकार से न लिया जाय। इसको हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रश्न पर सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है और केंद्रीय गवर्नमेंट ने एक फर्टीलाईजर कमेटी भी नियुक्त की है इस सवाल पर विचार करने के लिए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पैदा किया वह यह है कि हमारे सूबे में इस खाद के वितरण की एजेंसी सहकारिता विभाग की तरफ से हमारा कोआपरेटिव फैडरेशन है। कोआपरेटिव फैडरेशन जिला संघों को खाद देता है और जिला संघ के द्वारा जिलों को जो छोटे-छोटे संघ बने हुए हैं प्राय: एक ब्लाक के अन्दर दो तीन तक भी होते हैं, खाद उनको दी जाती है और इस सारी रकम की अदा करने की जिम्मेदारी पूरे तौर से प्रदेशीय संघ की होती है और १८ महीने में लाजिमी तौर से यह धनराशि प्रदेशीय संघ को देनी पड़ती है। तो माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि १८ महीने का यह कर्जा फर्टीलाइजर जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से देना पड़ता है और आपका प्रश्न यह है कि जब १८ महीने का कर्जा फैडरेशन को मिलता है तो १८ महीने तक बिना किसी ब्याज के किसानों को भी दिया जाय। तो उसमें इस पर विचार किया गया। प्रश्न यह है कि यह साल भर में हर महीने में खाद आती है और साल भर में केवल दो मर्तबा यानी खरीफ और रबी की फसल के मौके पर खाद किसानों में वितरण करनी पड़ती है और अब तक तजुर्बे से यह देखा गया है कि जितनी खाद फैडरेशन से मिलती है करीब-करीब आधी खाद हमेशा फैडरेशन के स्टाक के अन्दर रहती है। दो महीने तो डिस्पैच के स्थान से पहुंचने तक लगते हैं। फिर उसके अलावा नीचे स्तर तक पहुंचने में तीन चार महीने का समय लगता है और फिर फर्टीलाइजर के अन्दर इस तरह की वैराइटीज होती है जिसकी मांग नहीं होती, वेडरेशन के स्टाक में रहती है जिसका रुपया भी फैडरेशन को देना पड़ता है। अभी तक की यह शर्तें थीं कि डिसपैच होने के बाद खाद की बिक्री नकद की जाय और अगर कोई नकद नहीं ले सकता है तो उसके लिए क्रेडिट की व्यवस्था जिलों के सहकारी बैंक सोसाइटियों के जरिए से करते हैं। कर्जा बांटने का तरीका सहकारी विभाग की तरफ से यह है कि या तो नकद दें या जिन्स की शक्ल में दें। प्राविशियल कोआपरेटिव फेडरेशन को खाद बांटने में कोई विशेष लाभ नहीं होता है। माननीय सदस्य ने कहा कि जैसे और क्रेडिट्स पर पौने नौ परसेंट ब्याज होता है, खाद की रकम पर भी किसानों को इतना ही देना पड़ता है और फर्टीलाइजर कमीशन ने सिफारिश की है कि २ महीने का क्रेडिट तो मैनुफैक्चरिंग कंपनीज दें डिस्पैच की तारीख से, उसके बाद ४ महीने का क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट दे, यानी ब्याज की रकम को स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में बर्दाश्त करे। फिर उसके बाद किसानों से यह न ली जाय। फर्टीलाइजर कमीशन की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के विचाराधीन है और कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। यह एक प्रश्न है १८ महीने का जबकि फैडरेशन को कर्जा बिला ब्याज के देना पड़ता है, तो किसानों को क्यों न ब्याज छोड़ दिया जाय। इस प्रश्न को व्यावहारिक दृष्टि से हमने जांच कराने का प्रयास किया है और हम देखेंगे कि अगर ब्याज में कोई कमी की जा सकती है या क्रेडिट दिया जा सकता है जिससे फैडरेशन को भी हानि न हो, तो अवश्य इसका प्रयास किया जायगा। इस दृष्टि से हमने फैडरेशन को आदेश दिए हैं। गवर्नमेंट तो कहीं इसमें तस्वीर के अन्दर आती नहीं है। एग्रीकल्चर विभाग की जरूरी ऐसी डिपोज हैं जिनकी तरफ से खाद तक्सीम की जाती है। वहां की व्यवस्था भी इसी तरह है। उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

अगर इसमें फेडरेशन को किसी तरह की हानि नहीं हुई और ब्याज में अगर हम कोई रिबेट दे सकें तो अवश्य इस बात का प्रयास किया जायगा।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

लगभग १ करोड़ की खाद बांटते हैं और उसका क्रैडिट का उपभोग फेडरेशन ही करता है। डेढ़ साल तक फेडरेशन उस रुपए पर ब्याज कमाता है, यह बड़ा अनुचित है। किसानों से इसलिये ले लेते हैं कि सहकारी बैंकों को रुपया देना पड़ता है। तो क्या मंत्री जी ऐसे आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे कि किसानों को खाद का नकद दाम न देना पड़े और न ब्याज देना पड़े, सिर्फ प्रोनोट भुना दिया जाया करे? इस तरह से १ साल में किसानों को देना होगा और ६ महीने का मार्जिन प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन को रह जायगा और उसके बाद किसानों को सस्ती खाद मिल जायगी।

श्री बनारसीदास—

मैंने तो पहले ही निवेदन किया है कि प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन और विभाग के बीच में विचार-विमर्श चल रहा है। सिद्धांततः मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि फेडरेशन को हानि न हो और ब्याज की रकम अगर किसानों से वसूल न की जाय तो अवश्य मैं इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं। इस पर गौर किया जायगा कि कहां तक ऐसा करना संभव होगा? यह देखा जायगा कि किस प्रकार से कोआपरेटिव फेडरेशन को तुरन्त कर्ज का रुपया मिल सकता है और उस शक्ल में किसान को कितनी छूट दी जा सकती है। हम अवश्य ही इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि ४३ करोड़ में से १८ करोड़ रुपया इसके लिए है; इस १८ करोड़ पर किसान को ९ प्रतिशत का ब्याज देना होता है? इस रुपये को गवर्नमेंट लेती है या फेडरेशन?

श्री बनारसीदास—

इस समय सवाल यह है कि ब्याज को उस रकम में शामिल करें या न करें। खाद किसानों को दो प्रकार से दी जाती है। एक सीधा एग्रीकल्चर विभाग देता है और दूसरा कोआपरेटिव विभाग देता है। कोआपरेटिव फेडरेशन का रुपया बिलकुल सुरक्षित रहता है, उसकी वसूलयाबी पर भी कोई खर्चा नहीं होता। उधर एग्रीकल्चर विभाग का पूरा रुपया वसूल नहीं होता और वसूलयाबी में भी खर्चा होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रश्न को पूरी तरह से छानबीन करके देखा जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

इस बात को देखते हुए कि अन्न उत्पादन के लिए खाद की विशेष आवश्यकता होती है, यह पौने नौ प्रतिशत का ब्याज बहुत ज्यादा है जो बैंक रेट से भी दुगुना पड़ता है, क्या मंत्री जी कोई तत्काल ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इन्टरेस्ट को कम किया जा सके?

श्री बनारसीदास—

जहां तक बैंक रेट की बात है, वह सही नहीं है। बैंक रेट तो तमाम मुल्क में एक सा है। ६ प्रतिशत से कहीं कम नहीं है। खासतौर से जो कोआपरेटिव क्रेडिट मिलता है, वह तो बहुत कम है। लेकिन उससे काम नहीं चलता है। डिपाजिट्स लेने होते हैं जो ६ महीने के लिए भी ६ प्रतिशत पर मिलते हैं। इसके अलावा जो सवाल नरसिंह नारायण ने रखा है वह अलग है। इसके बारे में मैंने बताया कि विचार किया जायगा। किसान को अगर ६ महीने में भी देना पड़ा तो १०४ रुपया देना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि उसका यह चार रुपया ही छूट जाय। इस संबंध में सब पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर किया जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

जो काश्तकार खाद उधार लेते हैं और जो कैश में रुपया देते हैं, उन दोनों से आप सूद चार्ज करते हैं। जो कैश देता है उससे आप सूद क्यों लेते हैं ?

श्री बनारसीदास---

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ३६६ रुपया टन नकदी की कीमत लगाता है और साढ़े तीन प्रतिशत लगाकर बिक्री की कीमत निश्चित करता है। वह कीमत तो कम हो नहीं सकती। अब रही बात यह कि जो नकद लेता है उसको भी ३६६ रुपया देना पड़ता है और जो उधार लेता है उसको भी ३६६ रुपया देना पड़ता है, इसको देख लिया जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि फैडरेशन को देने के कारण आज बरसों से कोई एकाउन्ट कृषि विभाग से नहीं मिल रहा है ?

श्री बनारसीदास---

माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि इस वक्त २ व्यवस्थाएं हैं, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से खाद्य के डिपो हैं, उसमें रेट में कोई फर्क नहीं है जिस तरह से कि कोआपरेटिव फैडरेशन है, केन फैडरेशन है और गन्ना विभाग के जो डिपो हैं उन पर जो उधार दिया जाता है वह तकावी की शक्ल में दिया जाता है और रेट एक ही है चाहे किसान नकद ले या खाद की शक्ल में ले, सूद देना पड़ता है। अब असल सवाल यह है कि क्रेडिट में किसान को पास आन कर दें। इस तरह से अगर करें और उसमें हानि न हो तो हम विचार करेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मान लें कि फेडरेशन असमर्थ हो इसमें, तो क्या बिना मुनाफे के सीधे सरकार की तरफ से कराने का वह आश्वासन देंगे ?

श्री बनारसीदास---

इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया, जगह-जगह किसानों को कर्जा देने की बात है। उन १७ जिलों में तकावी बन्द कर दिया है क्योंकि वसूली का खर्च ही सरकार को ५-६ प्रतिशत का पड़ता है और ५० प्रतिशत से अधिक वसूलयाबी नहीं होती और इस तरह से राजस्व पर बहुत अधिक भार होता जाता है। इसलिए यह भी सोचना होगा कि प्लान की सीलिंग जो है और हम चाहते हैं कि किसानों की आवश्यकताएं प्लान सीलिंग के बाहर कोआपरेटिव क्रेडिट पूरी हो जायं तो हमें प्लान सीलिंग में दूसरे कामों में पूंजी लगाने में आसानी होगी। इसलिए अभी ऐसा मुमकिन न होगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया, आज भी कृषि विभाग की तरफ से सीधे खाद दी जाती है और बजाय नकद देने के उन को तकावी मिल जाती है और उस पर उनको सूद देना होता है। आप का सवाल यह है कि बुनियादी तरीके से हम मान लें कि निश्चित कुछ समय के लिए हम किसानों को उधार दे दें और व्याज न लें तो इस विषय में हमने कभी कोई निश्चय नहीं किया है। आपके सुझाव पर हम विचार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ११ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१५ फरवरी, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर।)

श्रीमान ए० डी० एम० (जे०), सीतापुर,

नन्दा वल्द गुरदीन साकिन गोड़ियनपुरवा मजरा, धर्मपुर, थाना सदरपुर, जिला सीतापुर।

श्रीमान जी,

सेवा में निवेदन है कि मैं जिन्दा हूं। मेरी शिनाख्त के लिए मेरी बीबी और मेरे लड़के बुला लिए जावें। जब तक मेरे लड़के व बीबी शिनाख्त के लिए न आवें तब तक मुझे जेल भेज दिया जावे। पुलिस वाले कहते हैं कि भाग जाओ वरना बन्द कर देंगे, तब मैं डर के मारे खुद घर से भाग गया था।

प्रार्थी--नि० अं० नन्दा,

ता० २७ जनवरी, १९६६।

(ह०) श्याम मनोहर, अरजी नबीस,

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर आगे पृष्ठ १५ पर।)

जिला निर्वाचन कार्यालयों से निकाले गये कर्मचारियों की सूची

जिले का नाम	निकाले गए लिपिकों की संख्या	निकाले गए चपरासी एवं डुप्लीकेटर आपरेटरों की संख्या
१—आगरा	३	२
२—अलीगढ़	३	१
३—इलाहाबाद	६	३
४—अल्मोड़ा	२	१
५—आजमगढ़	६	३
६—बहराइच	३	२
७—बलिया	२	१
८—वाराणसी	४	२
९—बांदा	१	१
१०—बाराबंकी	३	२
११—बस्ती	७	३
१२—बरेली	३	२
१३—बिजनौर	२	१
१४—बदायूं	२	१
१५—बुलन्दशहर	४	२
१६—देहरादून	१	१
१७—देवरिया	५	३
१८—एटा	२	१
१९—इटावा	३	२
२०—फैजाबाद	४	२
२१—फर्रुखाबाद	३	२
२२—फतेहपुर	२	१
२३—गढ़वाल	१	१
२४—गाजीपुर	२	१
२५—गोंडा	६	३
२६—गोरखपुर	७	३
योग ..		

जिले का नाम	निकाले गए लिपिकों की संख्या	निकाले गए चपरासी एवं डुप्लीकेटर आपरेटरों की संख्या
२७—हरदोई	३	२
२८—हमीरपुर	१	१
२९—जालौन	१	१
३०—जौनपुर	४	२
३१—झांसी	२	१
३२—कानपुर	३	१
३३—खीरी	२	१
३४—लखनऊ	३	२
३५—मैनपुरी	२	१
३६—मथुरा	२	१
३७—मेरठ	७	३
३८—मिर्जापुर	३	२
३९—मुरादाबाद	४	२
४०—मुजफ्फरनगर	३	२
४१—नैनीताल	१	१
४२—प्रतापगढ़	२	१
४३—पीलीभीत	१	१
४४—रायबरेली	३	२
४५—रामपुर	१	१
४६—सहारनपुर	४	२
४७—शाहजहांपुर	२	१
४८—सीतापुर	३	२
४९—सुल्तानपुर	२	१
५०—टेहरी, गढ़वाल	१	१
५१—उन्नाव	२	१
योग ..	१४९	८३

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर।)

संलग्न किया गया ब्योरा

क्रम-सं०	ग्राम का नाम			आबादी	मासिक आय
					रु०
१	दुबारी	..	..	७,७६६	४४.१०
२	लखनौर	..	..	२,१५५	१७९.८०
३	कटघरा शंकर	..	..	१,९१०	..
४	दरगाह	..	..	१,५१०	..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर।)

क्रम-सं०	तनखवाह तथा सुविधा का प्रकार	क्लीनर-कम-कन्डक्टर	कन्डक्टर	अन्य
१	२	३	४	५
१	तनखवाह का क्रम	रु० ३५–३–५०	(अ) मैट्रिक पास ६०–४–८०–६० रो० ४–१००। (ब) नान मैट्रिक ४०–३–७०	
२	तदर्थ वेतन भत्ता तथा अन्तरिम सहायता सहित शासन के अन्य कर्मचारियों के अनुसार	रु० ४८.००	रु०५५.००	
३	गुड कंडक्ट एलाउंस	रु० ५.००	रु० ७.००	
४	नाइट हाल्टेज एलाउंस	रु० ०.६२ प्रति रात्रि बाहर रहने पर।	रु० ०.७५ प्रति रात्रि बाहर रहने पर।	
५	यूनीफार्म (वर्दी)	(अ) ग्रीष्म कालीन: २ पैन्ट और २ कमीज प्रति वर्ष।	स्तम्भ ३ के अनुसार	
		(ब) शरद कालीन : १—ऊनी कोट, १ ऊनी पैन्ट, १ पी० कैप तीसरे वर्ष।	स्तम्भ ३ के अनुसार	
६	वर्दी की सिलाई ..	(अ) ग्रीष्म कालीन : रु० ४.५० पैसे प्रति सेट (ब) शरद कालीन : रु० १४.३७ पैसे प्रति सेट	स्तम्भ ३ के अनुसार	
७	धुलाई भत्ता ..	रु० २.०० प्रति माह ..	स्तम्भ ३ के अनुसार।	
८	ओवर टाइम भत्ता	सामान्य परिलब्धियों (इमालूमेन्टस) की दूनी दर से मोटर, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट में दिये गये उपबन्धों के अनुसार।	स्तम्भ ३ के अनुसार।	
९	उपार्जित अवकाश	२४० दिन कार्य करने पर प्रति २० दिन के कार्य पर एक दिन का सवैतनिक अवकाश मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के अन्तर्गत।	स्तम्भ ३ के अनुसार	

क्रम-सं०	तनख्वाह तथा सुविधा का प्रकार	क्लीनर-कम-कन्डक्टर	कन्डक्टर	अन्य
१	२	३	४	५
१०	विश्राम तथा साप्ताहिक।	प्रति दिन प्रति ५ घंटे कार्य के बाद आध घंटे का विश्राम तथा साप्ताहिक विश्राम मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के अनुसार।	स्तम्भ ३ के अनुसार	
११	त्योहार आदि की छुट्टियां।	वर्ष में ६	स्तम्भ ३ के अनुसार	
१२	रेस्टोरेन्ट व कैन्टीन आदि की सुविधा।	जहां पर उपलब्ध हैं वहां पर दी जाती हैं।	स्तम्भ ३ के अनुसार	
१३	चिकित्सालय एवं प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा।	अन्य राजकीय कर्मचारियों के अनुसार	स्तम्भ ३ के अनुसार	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर।)

गत वित्तीय वर्ष (१९६४–६५) में ३०.८१० लाख रुपये की निर्धारित धनराशि में से २०.८७९ लाख व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नलिखित है

योजना का नाम	निर्धारित धनराशि (लाखों में)	१९६४–६५ में कार्य पर व्यय (लाखों में)
१	२	ऋण
तटवर्ती बांध	५.९६०	६.५३२
ग्रामों को ऊंचा करना	१५.४५०	९.७२८
पूर्वी जिलों में ड्रेन	९.४००	१.८९६
		१८.१५६
ओवरहेड चार्जेज	..	२.७२३
योग	३०.८१०	२०.८७९

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर।)

मथुरा नगर में बिजली के फेल्योर की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही।

१--हाइडिल से थोक में दी जाने वाली सप्लाई सम्बन्धी आयल सर्किट ब्रेकर बदल दिये गये हैं।

२--हरदुआगंज पावर हाउस का जनन वोल्टेज जहां तक संभव है ऊंचा रखा जाता है जिस से मथुरा के सब स्टेशन का वोल्टेज ऊंचा रहे।

३--आगरा से मथुरा तक १३२ के० वी० लाइन बिछाने का मामला उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है। इसके पूर्ण होने पर मथुरा को दो तरफ से थोक में बिजली सप्लाई की जायेगी।

४--बिजली कम्पनी द्वारा सब स्टेशन तथा लाइनों की क्षमता बढ़ाने की योजनायें उनके मुख्य कार्यालय के विचाराधीन हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर।)

नत्थी किया गया ब्योरा

जालौन जिले में चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित स्थानों को बिजली दी जा चुकी है

(१) बंगरा
(२) माधौगढ़
(३) खकसौर
(४) अमखेरा

उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों को भी वित्तीय वर्ष में बिजली दी जाने की संभावना है:

(१) गोपालपूरा
(२) रमपुरा
(३) उमरी
(४) जगमनपुर

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ २९ पर।)

[इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन]

१—खंड २ (१) द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा १६ जी (३) के खंड (सी) की द्वितीय पंक्ति में से शब्द "उत्तर प्रदेश" निकाल दिये जायं और तृतीय पंक्ति में शब्द "अध्यादेश, १९६५" के स्थान पर शब्द "अधिनियम, १९६६" रख दिये जायं व अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"यदि वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, सम्भागीय उप निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति ने ही निरीक्षक की हैसियत से दिया था तो निदेशक के आदेश से वह अपील किसी अन्य सम्भागीय उप निदेशक को निर्णय के लिये संक्रमित हो जायगी और इस खंड के उपबन्ध उस सम्भागीय उपनिदेशक के निर्णय के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वह अपील उसी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी"।

२—खंड २(२) द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा १६ जी (३) के खंड (डी) की प्रथम पंक्ति में से शब्द "उत्तर प्रदेश" निकाल दिये जायं और द्वितीय पंक्ति में शब्द "अध्यादेश १९६५" के स्थान पर शब्द "अधिनियम, १९६६" रख दिये जायं तथा चतुर्थ व पांचवीं पंक्ति में आये हुये "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१६ एल० ए०—१९६६—८६२।